लोक-सभा
वाद-विवाद

सोमवार,
२१ मार्च, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक सभा

सोमवार, २१ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री दिनेश प्रताप सिंह (जिला हरदोई-पूर्व)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीन द्वारा बन्दी किये गये अमरीकी

*१२३१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीन की सरकार द्वारा जासूसी के आरोपों पर बन्दी किये गए ११ अमरीकी उड्डयन सेवा कर्मचारियों की मुक्ति के लिये भारत को अपनी सद्भावना का प्रयोग करने के लिये किसी समय प्रार्थना की गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : नहीं, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के प्रधान होने के नाते इस सम्बन्ध में कोई दायित्व निभाने थे, क्योंकि वह ११ उड्डयन कर्मचारी इसी झगड़े के सम्बन्ध में पकड़े गये थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : : माननीय सदस्य ने अपने इस अनुपूरक प्रश्न में बहुत

सी परिकल्पनायें की हैं जिन के बारे में विवादग्रस्त पक्षों ने भी बड़े जोर से इंकार किया है । खैर, किसी तरह भी हो, तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग काफी समय से समाप्त हो चुका है और इस पर किसी नये उत्तरदायित्व का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । इन उड्डयन सेवा कर्मचारियों के प्रश्न पर, जहां तक चीन का सम्बन्ध है उन का कोरियाई झगड़े के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों की ओर भावुकता से देखने वाले तथा विश्व में शान्ति संतुलन के इधर उधर हो जाने को रोकने के लिए कड़ा प्रयत्न करने वाले हमारे प्रधान मंत्री को क्या किसी समय इस के बारे में कुछ करना पड़ा है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : प्राकृतिक रूप में हमें जैसे कि अन्य बहुत से मामलों में रुचि है उसी प्रकार से इस में भी है और हम ने दोनों पक्षों से तथ्य जानने का प्रयत्न किया है । हम ने इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों से अनौपचारिक बातचीत भी की है किन्तु हम ने कोई स्पष्ट प्रस्थापनायें नहीं दीं और न ही इस विषय पर हमें कोई सरकारी पत्र भेजे गये थे ।

सामान रूप समिति

*१२३३. **श्री डाभी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५४, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४५

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्पश्चात सामान क्रय समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार ने प्राप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). समिति का अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री डाभी : इस प्रतिवेदन के कब तक पहुंच जाने की आशा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दो सप्ताह के भीतर :

रेलवे की खानों में क्षति

*१२३४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ के दौरान रेलवे की खानों के कार्यवहन में भारी क्षति होने के क्या कारण थे ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री झूलन सिंह : ग्यारह खानों में से आठ खानों को जो भारी घाटा उठाना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने घाटे को दूर करने की तरकीबें सोची हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां । सरकार उपाय सोच चुकी है । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि रखे गये विवरण में कारण दर्शाये गये हैं । हम आशा करते हैं कि आगामी वर्ष में हमें ३३ लाख रुपये का लाभ होगा ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत पुरानी और खराब प्रकार की कोयले की खानें निजी उपक्रमों द्वारा लाभ में चलाई जा रही हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं माननीय सदस्य से ही यह जानकारी प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : इस समय ठेके के बहुसंख्यक श्रमिकों तथा पुरानी मशीनों की क्या अवस्था है किसे तीन अथवा चार वर्ष पूर्व इन खानों में हुई हानि का मुख्य कारण समझा गया था ?

श्री आर० जी० दुबे : यह प्रश्न सभा में पहले भी पूछा गया था तथा सभा को यह बताया गया था कि इन में से कुछ कोयले की खानों में यंत्रीकरण, अतिरिक्त कोयला काटने वाली मशीनें, घूमने वाली पेटियां तथा अन्य मशीनें लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

श्री केलप्पन : विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि कुछ खानों में अतिरिक्त श्रम के कारण भी हानि हुई है । इस अतिरिक्त श्रम को हटाने के लिये क्या किया जा रहा है ।

श्री आर० जी० दुबे : ये मामले अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख निलम्बित हैं । परन्तु सरकार का यह मत है कि जहां तक हो सके बेकारी की समस्या को पैदा न होने दिया जाये । इसीलिये हम ऐसे अन्य उपाय सोच रहे हैं जिनसे इन अतिरिक्त श्रमिकों को काम दिया जा सके ।

अफगानिस्तान

*१२३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अफगानिस्तान तथा भारत के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों के बढ़ाने

एवं दृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या अफगानिस्तान स्थित भारतीय पुण्यस्थलों एवं मन्दिरों को बनाये रखने के लिये कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) अफगानिस्तान के शिक्षा उपमंत्री की अध्यक्षता में, फरवरी, मार्च १९५४ को एक सांस्कृतिक शिष्ट मंडल भारत का दौरा करने के लिये निमंत्रित किया गया । इस शिष्ट मंडल ने सारे भारत की यात्रा की तथा शिक्षा सम्बन्धी, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा किया ।

प्रत्येक वर्ष अफगानिस्तान में जशन मनाने के अवसर पर भारतीय खिलाड़ियों के दल, विद्यार्थियों के सद्भावना मंडल, भारतीय कलाकार तथा अन्य दल भाग लिया करते हैं ।

शिक्षा तथा अन्य संस्थाओं के साथ मैत्री पूर्ण मैच खेलने के लिये अफगानिस्तान के खिलाड़ी दल समय समय पर निमंत्रित किए जाते हैं ।

सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन प्रतिवर्ष अफगान राष्ट्रजनों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । इस समय भारत में ९ अफगान विद्वान शिक्षा पा रहे हैं । वर्ष १९५५–५६ के लिये तीन अन्य विद्यार्थियों का चुनाव हुआ है तथा कुछ अफगान अध्यापकों को भारत में कुटीर उद्योगों के कार्यों की पद्धति देखने की सुविधायें प्राप्त हैं ।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न टेकनिकल तथा अन्य विषयों की पुस्तकें अफगानिस्तान सरकार तथा काबुल विश्वविद्यालय प्रकृति संस्थाओं को उपहार स्वरूप दी गई हैं । तेन्दूलकर लिखित महात्मा गांधो की जीवन कथा का एक पूरा सेट पिछले वर्ष अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री को भेंट किया गया ।

अफगानिस्तान की सरकार ने अफगान स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये कुछ भारतीय अध्यापकों को नियुक्त करना चाहा । भारत सरकार ने ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति में सहायता की । ६ अध्यापक १९५० में नियुक्त किये गये तथा १९५३ में १० नियुक्त किये गये ।

भारत सरकार अफगानिस्तान में पुरातत्व सम्बन्धी खोज तथा मूर्तियों, लेखों, सिक्कों तथा पुरातत्वीय स्थानों इत्यादि के कार्य के लिये एक पुरातत्वीय दल का संगठन कर के उसे वहां भेजने का विचार कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सभा-सचिव हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि कब एवं किस के द्वारा इन मन्दिरों, पुण्य स्थलों आदि का निर्माण हुआ था, तथा आज उनकी रखवाली कौन करता है ?

श्री सादत अली खां : यह प्रश्न इतिहास से सम्बन्ध रखता है ।

गांधी जी के सम्बन्ध में फिल्म (चलचित्र)

***१२३६. श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि क्या तत्पश्चात् ओटो प्रेमिंगर को गांधी जी की शिक्षाओं पर फिल्म का निर्माण के लिये वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी नहीं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या किसी भारतीय फिल्म निर्माता ने इस प्रकार के चित्र के निर्माण के लिये सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है ?

डा० केसकर : सरकार से ऐसे फिल्म के निर्माण के लिये सहायता नहीं किन्तु सुविधाओं के लिये प्रार्थना की गई है, क्योंकि ऐसे चित्र के निर्माण में, किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ।

बालकों के लिये चलचित्र (फिल्म)

*१२३८. **श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बालकों के हित के लिये चलचित्रों का निर्माण करने के सम्बन्ध में फिल्म व्यापार से वार्त्ता करने का विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक बालक चलचित्र समिति जल्दी ही पंजीपित की जायेगी; वह समिति बालकों के चित्रों के लिये उपयुक्त विषयों का चुनाव कर निजी निर्माताओं, अथवा किसी अन्य साधन द्वारा जिसे वह उचित समझती है, चल चित्रों का निर्माण करायेगी ।

श्री मुरारका : अब तक बच्चों के लाभ के लिये कितने चित्रों का निर्माण हो चुका है ?

डा० केसकर : जहां तक भारतीय निर्माताओं के सम्बन्ध में मुझे मालूम है, उन्होंने बालकों के लाभ के लिये किसी चित्र का निर्माण नहीं किया है, जिसे बाल चित्र मेला कहा गया है, उसी के लिये हाल ही में भारत सरकार के चित्र विभाग ने दो तीन चित्रों का निर्माण किया है ।

श्री मुरारका : क्या सरकार ऐसे चित्र बनाने वालें व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ।

डा० केसकर : सरकार बाल चलचित्र समिति को कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है । मैं ने इस सम्बन्ध में पिछले दिन भी विस्तार पूर्वक बताया था ।

श्री चट्टोपाध्याय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बालकों ने नाटक एवं साहित्य के नाम पर इस देश में जो कुछ भी लिखा जाता है वह बहुत पुराने ढंग का होता है तथा उस मे बालक के मन का प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, क्या निमण, के पूर्व चित्र की प्रति, बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञों की समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी ?

डा० केसकर : बाल चलचित्र समिति, जो सरकारी निकाय न हो कर एक स्वतंत्र निकाय होगी, में प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे । उक्त योजना के अनुसार बालकों के चित्र की एक प्रति समिति को प्रस्तुत की जायेगी जिस में विशेषज्ञ लोग अवश्य ही होंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सरकार का बाल चलचित्र समिति से, धन के अलाव और क्या सम्बन्ध है ?

डा० केसकर : समिति में सरकार के प्रतिनिधि होंगे । सरकार उन्हें विशेष चलचित्रों के लिये अंशदान देकर भी सहायता करेंगी वास्तव में जैसा कि मैंने उस दिन विस्तार पूर्वक कहा था प्रारम्भ में हम एक दो चित्रों की लागत देंगे तत्पश्चात् हम कुछ अन्य चलचित्रों की लागत का कुछ प्रतिशत चुकायेंगे ।

निर्यात परिषदें

*१२४१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री इन बातों

की जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान वास्तव में कुल कितनी निर्यात संबर्धन परिषदें स्थापित की गईं;

(ख) उन परिषदों के क्या कार्य हैं तथा वे किस प्रकार किये जाते हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उन पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ;

(घ) क्या सरकार इन परिषदों का वित्तीय भार ग्रहण करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके लिये और क्या व्यवस्था है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री के० सी० सोधिया : विवरण में दो परिषदों के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पहली, अर्थात् सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को ५ लाख रुपये प्रदान किये गये हैं। दूसरी को केवल १८,००० रुपये दिये गये हैं। क्या मैं इस विषमता का कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : कारण यह है कि पहले मामले में जो कुछ दिया गया है वह पर्याप्त है जब कि दूसरे मामले में अधिक की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन दोनों समितियों का संयोजन करना वांछनीय नहीं होगा तथा एक ही समिति दोनों का कार्य करे ?

श्री करमरकर : संयोजन करना ? यह भ्रान्तिपूर्ण होगा । उद्देश्य यह है कि प्रत्येक मद के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् हो, जिससे कि वह उस विशेष मद पर, जिसके लिये परिषद् का निर्माण किया गया है, अपना ध्यान केन्द्रित कर सके ।

श्री के० सी० सोधिया : जब प्रत्येक को इतने सारे कार्य करने पड़ते हैं तो यह कैसे हो सकता है कि एक परिषद् को ५ लाख रुपये की आवश्यकता होती है, और दूसरा अपने सारे कार्य १८,००० रुपये में ही करती है ?

श्री करमरकर : मैं क्या उत्तर दूंगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही ऐसा है ।

श्री करमरकर : मुझे खेद है। हमने इन मामलों पर उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया था, और हमने उतना धन स्वीकार किया जो आवश्यक था, अधिक नहीं ।

श्री गोपाल राव : यह परिषदें कैसे बनाई जाती हैं, अर्थात् क्या समस्त हितों का प्रतिनिधित्व होता है ? क्योंकि यह कहा गया है कि कपास उगाने वालों तथा अन्य उत्पादकों को समृद्ध बनाना, इन निर्यात् संवर्धन परषदों के संस्थापन का मूल कारण है ।

श्री करमरकर : निर्यात करने वाले विशेष रूप से वाणिज्य संगठन और वाणिज्य व्यवसाई हैं । हम यह ध्यान रखते हैं कि, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । जो लोग साधारणतया निर्यात करते हैं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है ।

कोयला क्षेत्र

*१२४३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में असम्बद्ध कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ; और

(ग) इसकी की गई कार्यवाही पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) से (ग) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३**]

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : विवरण की एक संक्या ६ में, जिसका सम्बन्ध मद्रास राज्य से है, यह बताया गया है :

> "एक परियोजना समन्वय समिति, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, इस बात के लिये नियुक्त की गई है कि वह उस सम्बन्ध में और आगे जांच पड़ताल करे .

मैं जानना चाहता हूं कि यह समिति कब नियुक्त की गई थी, और इसका सभा को इस लिगनाइट (बभ्रु अंगार) के खान और उपयोगी कारण के बारे में एक एकीकृत योजना कब प्राप्त होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : यह समिति अभी हाल में ही नियुक्त हुई थी, और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में इसे कुछ मास और लगेंगे ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : सरकार को ऐसी समिति नियुक्त करने में इतना समय क्यों लगा, जबकि यदि मुझे ठीक स्मरण है तो, एक वर्ष पूर्व हमें यह बताया गया था कि उस क्षेत्र में लिगनाइट (बभ्रु अंगार) की खानें मिली हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (लिगनाइट बभ्रु अंगार) की खानों का पता बहुत पहिले लगा था, परन्तु वहां एक अग्रिम परियोजना चल रही है जो मद्रास सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । अग्रिम परियोजना के कुछ अंगो को अभी आगे सफल सिद्ध होना है, और उन के सफल सिद्ध हो जाने पर ही हम पूर्ण खनन परियोजना लागू कर सकते हैं । पूर्ण खनन परियोजना लागू करनें से पहले हम जो प्रयोग किये जा रहे हैं, उन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

मान्य एकड़ का मूल्य

*१२४५. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री १ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-भूमि के मान्य एकड़ का मूल्य निर्धारित करने पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अक्टूबर, १९५३ में उन्होंने सिन्ध, बहावलपुर और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांन्तों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और इस मामले पर उनसे मत मांगे थे ;

(ग) क्या बख्शी टेकचन्द समिति ने, जिसे यह प्रश्न परामर्श देने के लिये भेजा गया था, कोई सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस समिति के क्या विचार हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). लगभग एक वर्ष पूर्व बख्शी टेकचन्द समिति ने सरकार के विचारार्थ कुछ विचार प्रकट किये थे । अब बख्शी टेकचन्द संविहित मंत्रणा बोर्ड विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अधीन नियम बनाने के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि सरकार के आजकल विधवाओं, वृद्धों और भूमि के अनिश्चित दावेदारों को प्रतिकर देते हुये मान्य एकड़ का मूल्य ३५० रुपये निर्धारित कर दिया है, जिसे विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधि बहुत कम समझते हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : अस्थाई भुगतान के रूप में यह धन राशि निर्धारित की गई थी । जब मूल्य वास्तव में निश्चित हो जायेंगे, तब दावेदारों को भुगतान शेष का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि विस्थापित भूमिधारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने में पुनर्वास के भूतपूर्व मंत्री ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि मान्य एकड़ का मूल्य ८०० और ९०० रुपये के बीच में निर्धारित होना चाहिये ?

श्री जे० के० भोंसले : मेरा ख्याल है कि वह इससे सहमत नहीं हैं । मेरा ख्याल है कि उन्हें अपना मत देने के लिये बुलाया गया था, और विस्थापित व्यक्तियों के अनेकों प्रतिनिधियों ने भिन्न-भिन्न मत दिये थे ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि पिछली बख्शी टेकचन्द समिति ने यह सिफ़ारिश भी प्रकट की थी कि मूल्य ८०० और ९०० रुपये के बीच निर्धारित होना चाहिये ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं, यह सच नहीं है । परन्तु बख्शी टेकचन्द समिति ने जो आंकड़े दिये थे, वे गोपनीय समझे जाते हैं, और मैं समझता हूं कि अभी उन्हें बताना लोक हित में नहीं है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार इस प्रश्न पर शीघ्र निश्चय करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : आज कल बख्शी टेकचन्द समिति की बैठकें हो रही हैं । हमें आशा है कि लगभग एक पक्ष में यह नियमों को अन्तिम रूप देंगे । नियमों के निश्चित हो जाने पर, वे प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

गुड़

*१२४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रारम्भ में गुड़ की जो मात्रा निर्यात करने के लिये छोड़ी गई थी उसमें से अब तक कुल कितनी मात्रा में गुड़ का निर्यात किया गया है; और

(ख) उसका निर्यात-मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४,३७० टन; २५ फरवरी, १९५५ तक ।

(ख) भिन्न भिन्न समय पर जो निर्यात हुआ है उसके मूल्य बताना सम्भव नहीं है । माल की किस्म और भेजे जाने वाले बन्दरगाह के अनुसार अलग अलग मूल्य होते हैं । २५ फ़रवरी, १९५५ तक निर्यात किये गये माल का कुल मूल्य १६,३९,५९३ रुपये था ।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि कुल ४,३७० टन गुड़ २५ फ़रवरी सन् १९५५ तक बाहर भेजा गया है, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि उस गुड़ की चीनी यहां की मिलों में बनाई जाय ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस देश में गुड़ से चीनी बनाई जा सकती है ।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य जानते हैं कि अपनी आवश्यकतानुसार गुड़ बनाने वाले गुड़ बनाते हैं और शक्कर बनाने वाले शक्कर बनाते हैं । जो गुड़

यहां पर बनाया जाता है और जब यहां पर उसकी कमी होती है तो हम उसके एक्स-पोर्ट को रोक देते हैं और जब ज्यादा होता है तो उसको बाहर भेजते हैं, यह हमारी रीति है ।

डा० राम सुभग सिंह : जिस समय यह गुड़ विदेशों में भेजा गया, उस समय कितनी शक्कर विदेशों से भारत में मंगा ी गयी और गुड़ के दाम बतला सकना मंत्री महोदय ने कहा सम्भव नहीं है तो क्या वह बतला सकते हैं कि विदेशों से आई हुई शक्कर जो यहां चीनी बनाने के निमित्त लाई गई, वह किस मूल्य पर यहां मंगायी गयी ?

श्री करमरकर : वह तो अलग प्रश्न है और उस के लिये अलग नोटिस चाहिए, वर्तमान प्रश्न तो गुड़ के लिये है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गुड़ बाहर भेजा गया है, वह किन किन प्रदेशों से आया और कितना कितना आया ?

श्री करमरकर : वह मैं नहीं बतला सकता, उस के लिए सूचना की जरूरत है ।

श्री एन० एल० जोशी : १९५४-५५ में भारत से कितने गुड़ का निर्यात हुआ ?

श्री करमरकर : १९५४-५५ में, अप्रैल से दिसम्बर तक, मेरे ख्याल में ४३० टन गड़ विदेशों को भेजा गया ।

अफ़गान औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल

*१२४७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ़गान औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल ने, जो अभी भारत में आया था, भारत सरकार से अफ़गानिस्तान के कपड़ा, हाथ-करघा, तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये सहायता मांगी है ;

(ख) क्या अफगानिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या भारत सरकार निकट भविष्य में कोई ऐसा एक औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : ऐसा प्रस्ताव यदि आया तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या अफगानिस्तान में हमारा कोई ऐसा एम्पोरियम है, जिस में हमारे हाथ से बनाय गये कपडे तथा कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किये गये सामानों का वहां पर प्रदर्शन किया जाता हो ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

वृत्तान्त चलचित्र

*१२५०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सरकार और निजी लोगों ने क्रमशः कितने कितने वृत्तांत चलचित्र बनाये ;

(ख) प्रत्येक चलचित्र की क्या लागत है ; और

(ग) निजी निर्माताओं को विषय देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चलचित्र विभाग ने ३३ वृत्तांत चलचित्र बनाये छः निजी निर्माताओं से मोल लिए गए ।

(ख) जैसा कि २४ नवम्बर, १९५४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर में बताया गया था, वृत्तांत चलचित्रों के निर्माण पर चलचित्र विभाग प्रत्यक्ष और परोक्षरूप में व्यय करता है । नियमित लागत लेखा न होने की स्थिति में यह ठीक रूप से नहीं बताया जा सकता कि किसी वृत्तांत चलचित्र पर कुल कितना व्यय हुआ है ।

निजी निर्माताओं को १० से २० रुपये प्रति फुट तक दिया जाता है ।

(ग) प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार स्वीकृत निजी निर्माताओं की एक तालिका बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । चलचित्रों के निर्माण के ठेके देने से पहिले इस तालिका में सम्मिलित निर्माताओं से मूल्य-विवरण मांगे जायेंगे । चालू वर्ष के लिये, तालिका तैयार होने तक उन निर्माताओं का प्रवरण हो चुका है, जिन्हें किसी भी स्थिति में तालिका में सम्मिलित किया जायगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं यह जानना चाहता हूं कि डाकुमेंटरी फिल्म्स तैयार करने के लिये जो विषय चुने जाते हैं उन को चुनने का क्या तरीका है ? इस के लिये कोई विशेषज्ञों की समिति है या सरकार चुनती है ?

डा० केसकर : विषयों के बारे में जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वह सोचती हैं और जो विषय वह बताती हैं वही विषय डाकुमेंटरीज के लिये चुन लिये जाते हैं । एस्टिमेट्स कमेटी की सलाह है कि इस के लिये कोई समिति बननी चाहिये और इस विषय पर विचार हो रहा है तथा उस पर जल्दी ही निश्चय होगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : निजी निर्माता द्वारा और सरकार द्वारा बनाये गये वृत्तांत चलचित्रों की लागत में क्या अन्तर है ? अर्थात् लागत में कितने प्रतिशत अन्तर होना है ?

डा० केसकर : यह बताना बहुत कठिन है ? हम निश्चित रूप से औसत लागत जान सकते हैं, परन्तु विषयों में इतना अधिक अन्तर होता है कि कोई विषय ऐसा हो सकता है जिस के लिये सारे देश की यात्रा करनी पड़े, और ऐसे चलचित्र की लागत बहुत अधिक होगी । यदि कोई ऐसा विषय हो जो बहुत आसानी से चित्रित किया जा सके, तो ऐसे वृत्तांत चलचित्र की लागत थोड़ी होगी । निजी निर्माता को लागत इस बात के आधार पर दी जाती है कि उसे कितनी यात्रा करनी पड़ती है तथा कहां-कहां से सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है ।

खाद्यान्नों में वायदा बाज़ार

*१२५२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों गुड़ और चीनी गें वायदा बाजार पर रोक लगाने का है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : गेहूं, चना और चीनी के वायदा बाजार पर इस समय रोक लगी हुई है ।

सेठ गोविन्द दास : जो शेष चीजें हैं उनके ऊपर भी कोई रोक लगाने का सरकार का इरादा है ?

श्री करमरकर : जब जरूरत होती है तब ऐसा इरादा किया जाता है । अभी कोई इरादा नहीं । है हमारे यहां फार्वर्ड

मार्केट्स कमिशन है, इन सब चीजों पर विचार करना उस का काम है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं कि ठीक समय पर ही इन चीजों पर रोक लगाई जाती है और पहले से इस विषय में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, इसलिये जब बाजारों में उतार चढ़ाव हो जाता है, उस के बाद रोक लगाने से कोई लाभ नहीं होता ?

श्री करमरकर : जब बाजार में उतार-चढ़ाव हो जाता है तभी रोक लगाना होता है । जब बाजार में कोई अनबैलेन्स होता है उस वक्त हम रोकते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उस को रोकते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था, जैसा कि मैं ने कहा भी, कि जो यह रोक इतनी देर से लगाई जाती है उस से कोई फायदा नहीं होता इसलिये क्या सरकार इस बात का विचार कर रही है कि इस प्रकार की वस्तुओं पर पहले से ही रोक लगाई जाये जिस से बाजारों का भाव इतना चढ़े उतरे नहीं जितना कि इस समय उतरता चढ़ता है ।

श्री करमरकर : हम तो ठीक समय पर ही लगाते हैं, यह जल्दी होती है या देर से, यह तो राय की बात है । हमारी राय में जो कुछ हम करते आये हैं वह साधारणतः ठीक ही होता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का सुझाव यह है कि हमेशा के लिये रोक होनी चाहिये ।

श्री करमरकर : हम हाउस के सामने कोई ऐसी पालिसी नहीं रख सकते हैं कि यह हमेशा के लिये हो । जिस वक्त प्राइसेज ऊपर उठेंगी, उस वक्त जितनी देर के लिये जरूरी होगा उतनी देर तक रहेगी ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि खानों की चीजों पर ही रोक रक्खी जाती है या ऐसे पदार्थों पर भी रोक रक्खी जाती है जो खाने के नहीं हैं ?

श्री करमरकर : खाने की चीजें तो मुख्य होती हैं पर और भी जो चीजें हमारे सामने आती हैं जिन पर सामाजिक रूप से रोक रखना आवश्यक हो जाता है उन के बारे में भी हम सोचते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछले दिन खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यहां घोषणा की थी कि गेहूं के मूल्य को १० रुपये से नीचे नहीं गिरने दिया जायेगा । क्या मंत्री महोदय को विदित है कि पंजाब और पेप्सू में ६ या ७ रुपये के लगभग वायदा बाजार का व्यापार हो रहा है और क्या सरकार का विचार इस पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

श्री करमरकर : प्रश्न के दोनों पहलुओं के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

भारतीय अणु सम्बन्धी परियोजनायें

*१२५३. **श्री सारंगधर दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय, जब कि प्रधान मंत्री लंदन गये थे, इंगलिस्तान की सरकार से भारतीय अणु सम्बन्धी परियोजना के विकास में सहायता देने के लिये किसी अणु भौतिकी-विद की सेवा के लिये प्रार्थना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक इस प्रार्थना का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार किसी अन्य देश से ऐसी ही सहायता की प्रार्थना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). भारत की ओर से प्रधान मंत्री ने या किसी

भी अन्य व्यक्ति ने कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की है। ऐसी कोई विदेशी सहायता आवश्यक नहीं समझी जाती। विदेशों के कुछ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत आये थे और उन का सदैव स्वागत है। परन्तु अणुशक्ति आयोग ने कभी भी यह नहीं विचारा है कि हमारी अणुशक्ति परियोजनाओं को पर्याप्त रूप में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से चलाया जाये। कभी-कभी बहुत थोड़े वैज्ञानिकों की सेवायें प्राप्त की गई हैं।

(ग) जी नहीं।

श्री सारंगधर दास : क्या आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिफैण्ट, जो इस समय भारत का दौरा कर रहे हैं, सरकार द्वारा निमंत्रित हुए थे या वह अपनी इच्छा से भारत आये हैं ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं पूरे निश्चय से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा विचार है कि अपने देश को वापिस जाते समय उसे भारत में कुछ दिन ठहरने का न्यौता दिया गया था। हम उस जैसे विख्यात वैज्ञानिकों को यहां आने का न्यौता प्रायः दिया करते हैं ताकि वे वापसी पर भारत में दो–एक महीने रहें और कुछ भाषण दें। हम उन्हें बाध्य नहीं करते किन्तु चूंकि वे ख्यात होते हैं अतः उन्हें आमंत्रित किया जाता है, और उन के यहां आने से हमारे यहां के वैज्ञानिकों को काफी लाभ होता है।

श्री सारंगधर दास : उन की बातचीत अधिकतर अणु शक्ति पर होगी अथवा औषधि, शिल्प चिकित्सा और कृषि में उस के प्रयोग के सम्बन्ध में ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोजनों में प्रयोग के सम्बन्ध में हम इन सभी बातों को सम्मिलित करते हैं–– बिजली से ही चलने वाले किसी उद्योग-धन्धे के लिए अथवा मुख्यतः औद्योगिक अभिप्रायों के लिए। औषधि सम्बन्धी तथा अन्य प्रयोजन भी हैं। इस को हर किसी प्रयोजन के लिये काम में लाया जायगा। हां, यह तो स्पष्ट है कि मुख्यतः शक्ति के रूप में इस का प्रयोग होगा।

श्री सारंगधर दास : यदि निकट के अगामी वर्षों में अणु शक्ति का विकास हुआ तो क्या वर्तमान जल-विद्युत् संयंत्र बेकार पड़ जायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : तो जल-विद्युत् संयंत्रों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या अणु शक्ति के विकसित होने पर जल-विद्युत् शक्ति से कुछ काम लिया जायगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्संदेह, उस से भी काम लिया जायगा। मैं आज से सौ वर्ष बाद की बात तो नहीं कह सकता; किन्तु जहां तक उन के और मेरे जैसे माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, सभी का विचार है कि इन संयंत्रों से भी काम लिया जायेगा ?

पूंजी वस्तुयें (मूल मशीनें)

*१२५४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड़ सीमेंट कम्पनी और वाइकर्स ब्रिटिश फर्म के बीच इस सम्बन्ध में वार्त्ता पूरी हो चुकी है कि भारत में मूल मशीनों का निर्माण हो ;

(ख) यदि हां, इस प्रकार की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी को वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की सहायता देना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार के पास कोई भी जानकारी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार हमारे निर्माताओं को पूंजी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कानूनगो : हम सदैव प्रोत्साहन देते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कानूनगो : हम वित्तीय प्रबन्ध करते हैं । औद्योगिक परामर्शदाताओं के साथ हमारे पास प्रविधिक परामर्शदाता भी हैं । यदि कोई उपक्रम प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो हमारा राष्ट्रीय विकास निगम स्वयं काम करता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : पूंजी वस्तुयें बनाने के लिये जो लोग आगे आते हैं उन्हें सरकार किस प्रकार की आर्थिक अथवा अन्य सहायता देने की प्रस्थापना करती है ।

श्री कानूनगो : यह तो प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर निर्भर करता है उन के सम्बन्ध में कोई निश्चय उन के गुणों के आधार पर किया जाता है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में पूंजी वस्तुयें बनाने के सम्बन्ध में क्या किसी विदेशी कम्पनी से करार किया गया है अथवा उस की बातचीत की गई है ? यदि भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं अन्य विदेशों से इस विषय में क्या बातचीत चल रही है ?

श्री कानूनगो : ि सी प्रकार की बातचीत नहीं चल रही है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न की सूचना मिलने पर क्या सरकार ने एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से उस की पूंजी वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी प्रस्थापना के सम्बन्ध में कोई सीधी पूछताछ की थी ?

श्री कानूनगो : हां । एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी ने इस विषय में स्वयं ही वाईकर्स को आमंत्रित किया था । उन्होंने कुछ चर्चा की और देश में भ्रमण किया । सभ्यता के नाते उन्होंने माननीय मंत्री से भी भेंट की । जिन्होंने उन को आमंत्रित किया था, उन को अर्थात् एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी को क्या प्रतिवेदन दिया यह हमें ज्ञात नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार देश में पूंजी वस्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में वाईकर्स और आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को जांच करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री कानूनगो : जब तक उन के आमंत्रक प्रस्थापनायें प्रस्तुत न करें, तब तक हमारी इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है ।

हैवी वाटर

*१२५५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार हैवी वाटर तैयार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना का विवरण क्या है और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक योजना फर्टिलाइजर बनाने की है और उस के लिये जिस चीज का नाम हैवी वाटर है जिस का अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है और अभी होने वाला है . . . .

एक माननीय सदस्य : भारी पानी कह लीजिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारी पानी के कोई मायने नहीं हैं । मामूली लोग इसे गन्दा पानी समझते हैं ।

उस योजना के सिलसिले में काफी हैवी वाटर बनेगा । हैवी वाटर एक बहुत जरूरी चीज है । आज कल एटोमिक एनर्जी रिएक्टर बनाने का भी हमारा इरादा है और उस के लिये भी हैवी वाटर की जरूरत है । क्योंकि उस की भी तफसील अभी तक तैयार नहीं हुई इस वास्ते मैं दे नहीं सकता । बाकी रहा खर्चे का सवाल, आप समझ सकते हैं एक फर्टिलाइजर की योजना में कितना रुपया खर्च आता है और जो हमारी सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी है उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या यह सच है कि, जैसा कि आज के पत्रों में छपा है, हम अणु शक्ति के उत्पादन के हेतु अमरीका से बीस करोड़ रुपये का रियेक्टर खरीद रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई भी कहीं रियेक्टर नहीं खरीदता है । हम संयुक्त राज्य से कुछ हैवी वाटर खरीद रहे हैं । परन्तु हम अपने रियेक्टर स्वयं तैयार कर रहे हैं । संभवत : हम इस वर्ष में या अगले वर्ष के प्रारम्भ में एक प्रयोगात्मक रियेक्टर तैयार कर लेंगे और इस से भी बड़ा एक और रियेक्टर हम अगले वर्ष तैयार करने की प्रस्थापना करते हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जाहिर है इस के लिये ऐसी जगह हो सकती है जहां बहुत बिजली की शक्ति मिलती है और सब से मौजूं जगह भाखड़ा नंगल के आसपास की है ।

छोटे पैमाने की इंजीनियरिंग संस्थायें

*१२५६. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा में और उस के आसपास छोटे पैमाने की इंजीनियरिंग संस्थाओं के विकास के लिये अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये किस प्रकार की योजना अपनाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४**]

श्री तुषार चटर्जी : विवरण से पता चलता है कि इन छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायता करने के लिये एक केन्द्रीय संगठन स्थापित किया जायगा । क्या मैं जान सकता हूं कि यह संगठन किस प्रकार का होगा और उस की संरचना क्या होगी ?

श्री कानूनगो : यह केन्द्रीय संगठन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा स्थापित

किया जायेगा जिस के लिये १,८९,६३८ रुपये का अनुदान और ११,८३,३३३ रुपये का ऋण दे दिया गया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस योजना को अभी चालू नहीं किया है, वह इसे चालू करने पर विचार कर रही है।

श्री तुषार चटर्जी : विवरण से यह भी पता चलता है कि ये सभी इकाइयां एक साथ ही इस संगठन के अन्तर्गत नहीं ली जायेंगी बल्कि तीन प्रक्रमों में यह काम होगा। इन प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों है ?

श्री कानूनगो : क्योंकि हमें इस प्रकार के कार्य का अनुभव प्राप्त करना है और सभी ७०० संस्थाओं को एक साथ ले लेना ठीक नहीं होगा।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना वास्तव में कब कार्यान्वित की जाने को है ? रुपया देने से पहले, क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई समय-सारिणी दी है जिस के अनुसार उसे योजना को कार्यान्वित करना चाहिये ?

श्री कानूनगो : सदैव यही समझा जाता है कि जिस वर्ष अनुदान दिया जाता है उसी वर्ष योजना कार्यान्वित की जाती है।

दामोदर घाटी निगम

*१२५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के कार्य के लिये पश्चिमी बंगाल के बर्दवान, बांकुरा और हावड़ा जिलों की किसानों की कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है ;

(ख) १९५४ में कितनी अधिग्रहण-सूचनायें दी गईं और उन के द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई ; और

(ग) अब तक कितने किसानों ने पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त की है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि जो जमीनें १९५३ में ली गई थीं उन के लिये क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं दी गई है ?

श्री हाथी : इस की मुझे सूचना नहीं है।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों से भूमि ली गई है उन्हें उस के बदले भूमि दी जायेगी या नकद रुपया ?

श्री हाथी : सामान्य नीति उन्हें भूमि देने की है। किन्तु उन्हें भूमि अथवा नकद रुपया लेने का विकल्प दिया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या दामोदर घाटी निगम के अफसरों में इस विषय पर मतभेद है कि क्षतिपूर्ति दी जाय या नहीं और क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय पर ध्यान देगी ?

श्री हाथी : भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार की जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग

*१२५८. **डा० सत्यवादी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर इन बातों की सूचना देने वाले एक विवरण को रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में विभिन्न राज्यों को अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग

बोर्ड द्वारा कितना अनुदान और ऋण दिया गया है ; और

(ख) जिन उद्योगों के लिये सहायता दी गई उन के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन घरेलू दस्तकारियों के लिये कोई केन्द्र स्वयं बोर्ड ने भी चालू कर रखे हैं और अगर हैं तो कितने और कहां कहां ?

श्री कानूनगो : बोर्ड या सैन्टर कितने हैं और कौन सी जगह हैं, इसकी इन्फरमेशन हमारे पास नहीं है। अगर नोटिस दिया जाये तो बतलाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने सेंटर चलाती हैं ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन सहयोगी संस्थाओं को यह सहायता दी जाती है वे सीधे बोर्ड को एप्लाई करती हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ?

श्री कानूनगो : दोनों जगह कर सकते हैं ।

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मैसूर के अगरबत्ती के छोटे निर्माताओं को भी आर्थिक सहायता दी जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वैयक्तिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि खादी उद्योग को दी गई आर्थिक सहायता से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और खादी की विभिन्न दुकानों पर जो माल इकट्ठा हो गया था उसमें कुछ कमी हुई है ?

श्री कानूनगो : जो माल इकट्ठा हो गया था वह अब प्रायः आधा रह गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बोर्ड ने बिजली अथवा मोटर शक्ति के द्वारा सूत के उत्पादन के लिये अनुदान दिये हैं ?

श्री कानूनगो : नहीं बोर्ड शक्ति का प्रयोग अभी तक नहीं चाहता है ।

विस्थापित छात्रों को वृत्तियां

*१२५९. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन विस्थापित छात्रों को जो प्राविधिक संस्थाओं में भर्ती हो गये हैं, मासिक वृत्तियां देती है ;

(ख) यदि हां, तो इन वृत्तियों के दिये जाने की क्या शर्तें हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विस्थापित छात्रों को जो प्राविधिक संस्थाओं में प्रविष्ठ हो गये हैं चालू सत्र में अभी तक वृत्ति की कोई किस्त प्राप्त नहीं हुई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) हां ।

(ख) (१) छात्र को पहले ही किसी प्राविधिक संस्था में प्रवेश प्राप्त कर लेना चाहिये ।

(२) छात्र के पिता-संरक्षक की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो कि वह उस की शिक्षा के भार को वहन करने तथा उस की देख रेख करने में असमर्थ हो ।

(३) वृत्ति का जारी रहना छात्र द्वारा परीक्षाओं में उत्तरोत्तर उत्तीर्ण होने की शर्त पर निर्भर

है । यदि वह संपारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो छात्रवृत्ति बन्द कर दी जाती है । इस सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विद्यार्थियो की वृत्तियां केवल उसी समय बन्द की जाती हैं जब कि कोई विद्यार्थी दूसरी बार में भी संपारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है ।

(ग) हमारे सामने ऐसे दो मामले आये हैं। पहले में उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग विद्यालय के पांच छात्रों ने अभ्यावेदन दिया है कि उन की वृत्तियां परीक्षा में प्रथम बार ही अनुतीर्ण होने के बाद ही बन्द कर दी गई हैं । राज्य सरकार से उन्हें एक और अवसर देने और इस बीच उन की वृत्तियों को चालू रखने के लिये कहा गया है। दिल्ली के पोलीटेकनिक के एक विद्यार्थी का मामला विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिन में छात्रवृत्तियों तथा वृत्तियों की स्वीकृति तो दे दी गई किन्तु वास्तव में विद्यार्थियों को वह प्राप्त नहीं हुई ?

श्री जे० के० भोंसले : केवल पंजाब का एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है । कोई पन्द्रह दिन पूर्व शिक्षा मंत्री स्वयं मुझ से मिलने आये थे और मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक पुनर्वास मंत्रालय का सम्बन्ध है हम ने मई, १९५४ ही में १८·८९ लाख रुपये की स्वीकृति दी है और यदि कोई देर हुई है तो इस में हमारा कोई दोष नहीं है ।

लाला अचिंत राम : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे केसेज कितने हैं कि जिन में गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों के लिये वजीफे मुकर्रर किये हों , लेकिन जिस महीने के लिये किये गये हों, उस महीने में उन को न मिले हों ?

श्री जे० के० भोंसले : यह सवाल हम से ताल्लुक नहीं रखता है। हम तो सिर्फ पैसे देते हैं और उस पैसे को तकसीम करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है । हमारे नोटिस में ऐसे कोई केसेज नहीं आये ।

निष्क्रांत सम्पत्ति सम्बन्धी वार्ता

*१२६१. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की चल निष्क्रांत सम्पत्ति, भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन आदि प्रश्नों पर बात करने के लिये २७ फरवरी, १९५५ को जो भारतीय शिष्ट मंडल कराची गया था उस की इस यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : कराची में १ से १२ मार्च, १९५५ तक सचिवालय स्तर पर हुई वार्त्ता की समाप्ति पर जारी किये गये १३ मार्च, १९५५ के प्रेस नोट की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री जेठालाल जोशी : विवरण से जान पड़ता है कि वाद-विवाद का क्षेत्र बहुत विस्तृत था । बैंकों की अभिरक्षा मे रखे गये दोनों देशों के निष्क्रमणार्थियों के अंशों, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों तथा बीमा की पालिसियो के दावो तथा ठेकेदारों के काम, भविष्य निधि तथा राजनीतिक पेंशनों की लगभग राशि कितनी है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है परन्तु सरकार द्वारा सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है

और हम आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही जनता को बता दिया जायेगा ।

श्री जेठालाल जोशी : भारत में ऐसे निष्क्रमणार्थियों की संख्या कितनी है जो पाकिस्तान सरकार से पूरी या आंशिक पेंशनें पाने के हकदार हैं तथा क्या भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को उन के पेंशन के दावों के बदले कोई वित्तीय सहायता दी है ?

श्री जे० के० भोंसले : पेंशन के दावों की वास्तविक संख्या मेरे पास नहीं है ; परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को कितनी राशि दी गई है ; पेंशनों तथा उपदानों के लिये हम ने अभी तक ७८,००० रुपया दिया है तथा भविष्य निधि के लिये हम ने २०,५३,००० रुपया दिया है ।

मशीनें

*१२६२. **कुमारी एनी मस्करीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहयोग मिशन कार्यक्रम ने किसी भी मशीन के बनाने में हमें सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की मशीनरी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). टेकनिकल सहयोग मिशन से मशीनें बनाने के सम्बन्ध में कभी कोई परामर्श नहीं मांगा गया है । फिर भी टेकनीक के सुधार के सम्बन्ध में विशेषत: ढलाई उद्योग तथा कुएं बरमाने के उपकरणों के निर्माण में काम आने वाली टेकनीक के सुधार के सम्बन्ध में हम ने विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : टेकनिकल सहयोग सहायता के सम्बन्ध में अमरीका के साथ जो करार किया गया है क्या उस में कोई ऐसा उपबन्ध भी है कि मशीनों के निर्माण के सम्बन्ध में भारतवासियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ?

श्री कानूनगो : मैं एक दम से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं । इस मामले विशेष में विशेषज्ञ आये हैं और वे भारत के औद्योगिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं और परामर्श दे रहे हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या भारत ने मशीनरी बनाने के सम्बन्ध में अमरीका के सामने कोई मांग रखी है ?

श्री कानूनगो : मेरा सम्बन्ध दो प्रकार की मशीनों से है, और जहां तक इन का सम्बन्ध है अमरीका के विशेषज्ञ भारत के संस्थापनों में काम कर रहे हैं ।

पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी गोष्ठी

*१२६५. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल में कोयम्बटूर में हुई दक्षिणी क्षेत्र की पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी गोष्ठी में योजना आयोग प्रतिनिधि था ;

(ख) गोष्ठी में कौन सी सिफारिशें की गईं, यदि कोई की गई हों तो; और

(ग) उन का परिपालन करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) यह गोष्ठी श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेटियार संसद् सदस्य तथा संचालक श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय (जिला कोयम्बटूर) द्वारा आयोजित की गई थी । श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, उपसभापति योजना आयोग, ने गोष्ठी का उद्घाटन किया तथा योजना मंत्री ने सभापति-पद ग्रहण किया । योजना उपमंत्री तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी गोष्ठी में भाग लिया ।

(ख) और (ग). गोष्ठी ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की । इन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई :—

(१) सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा ;

(२) द्वितीय पंच वर्षीय योजना ;

(३) भमि सुधार ; तथा

(४) सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी अन्तर्राज्य समस्यायें ।

चर्चा में अब तक की गई प्रगति कर पर्यावलोकन किया गया । उस का मुख्य उद्देश्य कि दक्षिण के राज्यों को भावी विकास की आवश्यकताओं का और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना था । गोष्ठी की कार्य-वाही (जिस का मुद्रण हो रहा है) जैसे ही उपलब्ध होगी सभा के पुस्तकालय में रख दी जायेगी । इस में कोई सन्देह नहीं कि जो भी, विभिन्न सुझाव दिये जायेंगे उन पर सभी प्राधिकारियों द्वारा समुचित विचार किया जायेगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या योजना आयोग को, गोष्ठी में भाग लेने के परिणाम-स्वरूप, यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि दक्षिण के औद्योगिक विकास की ओर जितना ध्यान दिया गया है वह अपर्याप्त है, यदि हां, तो उस को उचित स्तर पर पहुंचाने के लिये कौन सी विशेष स्कीमों तथा परियोजनाओं के सुझाव दिये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं यह नहीं कह सकता हूं योजना आयोग ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है । जहां तक भावी विकास का सम्बन्ध है उस से सम्बन्धित सभी मामले विचाराधीन हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सुझाव दिया गया है कि दक्षिण में एक लोहा तथा इस्पात संयंत्र तथा भारी विद्युत् तथा रासायनिक उद्योग, स्थापित किये जायें ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा कि मैं बता चुका हूं यह सब मामले विचाराधीन हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस गोष्ठी में किन किन राज्यों ने भाग लिया ?

श्री एस० एन० मिश्र : मद्रास, मैसूर त्रावनकोर-कोचीन, हैदराबाद तथा आंध्र राज्यों ने इस गोष्ठी में भाग लिया था ।

श्री के० के० बसु : क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसी गोष्ठियां आयोजित की जाने वाली हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह गोष्ठी योजना आयोग के कहने पर आयोजित नहीं की गई थी परन्तु जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है गैर सरकारी व्यक्तियों या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई ऐसी तमाम गोष्ठियों का विशेष रूप से स्वागत किया जायेगा ।

कोयला धुलाई समिति

*१२६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला धुलाई समिति के प्रतिवेदन की जांच समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) सरकार उन के परिचलन के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) सरकार ने प्रतिवेदन की जांच अभी समाप्त नहीं की है ?

(ख) और (ग). अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के सामने कब प्रस्तुत किया तथा उस की जांच को समाप्त करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पहले पहल जून, १९५४ में कोयला बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया था और बोर्ड की सिफारिशें हमें इस वर्ष जनवरी में प्राप्त हुईं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस की जांच के कब तक समाप्त होने की आशा की जाती है ?

श्री आर० जी० दुबे : बहुत थोड़े समय में ।

श्री चट्टोपाध्याय : इस प्रकार का एक कोयला धुलाई संयंत्र स्थापित करने की लगभग लागत कितनी होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : लागत बताना तो बहुत कठिन है । यह कार्य या तो गैर सरकार क्षेत्र के गैर सरकारी उपक्रम द्वारा किया जा सकता है या इस के लिये एक केन्द्रीय धुलाई घर स्थापित किया जा सकता है । इसलिये ठीक ठीक अनुमान बताना कठिन होगा ।

कनाडियन आप्रवास विधियां

*१२६८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की आप्रवास विधियां ब्रिटिश कोलम्बिया में रहने वाले, भारतीयों के प्रति भेदभाव करती हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार को ऐसे भेदभाव के विरुद्ध भारतीयों द्वारा किये गये किसी विरोध की जानकारी प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क). कनाडा की आप्रवास सम्बन्धी विधि बहुत से अधिनियमों तथा अधिसूचनाओं में दी हुई है, जो कनाडा में भारतीयों के आप्रवास पर लागू नहीं होते हैं । भारतीय आप्रवास का विनियमन २६ जनवरी, १९५१ को भारत तथा कनाडा की सरकारों के बीच हुए एक करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है । इसलिये कनाडा की आप्रवास विधियों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(ख) सरकार ने भारतीय उद्भव के कनाडियनों द्वारा गत सितम्बर में कनाडा के प्रधान मंत्री के सामने प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की एक प्रति देखी है जिस में निकट सम्बन्धियों के प्रवेश के सम्बन्ध में उन्हों विशेष अधिकारों तथा सुविधाओं की मांग की गई है जो यूरोपियन उद्भव के कनाडियनों को प्राप्त हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत तथा उत्तर देश के मध्य किये गये करार में उन सब सुविधाओं का उपबन्ध है जो इस देश के अन्य आप्रवासियों को प्राप्त हैं ?

श्री सादत अली खां : विभिन्न जाति समूहों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार किये जाते हैं । इंगलैंड तथा फ्रांस के आप्रवासियों, तथा कथित श्वेत उपनिवेशकों के साथ अधिक अच्छा व्यवहार किया जाता है ; अन्य योरुपीय समहों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। परन्तु एशियाई जातियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : चूंकि भारतीयों को वही दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्या सरकार ने उन का ध्यान करार के उस

भेदभाव के विरुद्ध वाले उपबन्ध की ओर दिलाया और क्या सरकार ने उन को वही दर्जा दिलाने के लिये जो अन्य आप्रवासियों को प्राप्त है। कोई प्रयत्न किये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह देश के अन्दर उनकी स्थिति कैसी है उस के सम्बन्ध में है या आप्रवास के सम्बन्ध में ।

सरदार हुक्म सिंह : आप्रवास के सम्बन्ध में ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक आप्रवास का सम्बन्ध यह वास्तव में एक कठिन समस्या है हमारे विचार से यह समझ कर चलना कि भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या को किसी अन्य देश में आप्रवास करना चाहिये, वांछनीय नहीं होगा । हम किसी देश में आप्रवास करने के अधिकार को आधिकार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं न कि संख्या की दृष्टि है । प्रत्येक देश ने किसी हद तक यह निर्धारित कर दिया है कि कितनी संख्या में और किस प्रकार के व्यक्ति अन्य देशों से आ सकते हैं परन्तु जहां तक देश के अन्दर के व्यवहार का प्रश्न है दोनों को पूर्ण समानता प्राप्त होनी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : क्या आप्रवासन विधियों में १९४७ से कोई सुधार हुआ है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : कनाडा के सम्बन्ध में ।

श्री के० के० बसु : हां । जहां तक भारतीयों का सम्बन्ध है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां । जहां तक कनाडा का सम्बन्ध है कुछ सुधार हुआ है ।

युद्ध के प्रभाव

***१२६९. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लार्ड बरट्रैन्ड रसल द्वारा दिये गये इस सुझाव पर, कि भारत और स्वेडन को अणु युद्ध के संभावित प्रभावों की जांच करने के लिये, एक अन्तर्राष्ट्रीय दल बनाना चाहिये, विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार के किसी दल के बनाये जाने की कोई संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार का विचार है कि प्रस्तावित कार्य प्रणाली, इस समय व्यवहार्य नहीं है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या भारत सरकार यह संभव समझती है कि वह वैज्ञानिकों तथा सैनिक विशेषज्ञों का एक आयोग आंकड़े इकट्ठा करने के लिये नियुक्त करे तथा सरकारों को इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं ने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है ।

स्कूल प्रसारण

***१२७०. श्री झूलन सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के समक्ष भारत में स्कूल प्रसारण को हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाई गई ब्रिटिश प्रणाली की सामान्य रूप रेखा के अनुसार विकसित करने की कोई प्रस्थापना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी नहीं । आकाशवाणी ने देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली स्कूल प्रसारण की अपनी स्वयं की एक पद्धति बनाई है । स्कूल प्रसारण राज्य शिक्षा विभागों के परामर्श से आयोजित किये गये हैं । स्कूल प्रसारणों में वृद्धि करने की एक नई योजना बनाई जा रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर में विस्थापित व्यक्ति

*१२७१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर के पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र से, जम्मू तथा काश्मीर में आये हिन्दू तथा सिख विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है ;

(ख) उन के पुनर्वास पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र से आये इन विस्थापित व्यक्तियों को जम्मू जाने के लिये कहा गया था जबकि जम्मू में बहुत से व्यक्तियों के आ जाने के कारण भूमि पर पहले ही दबाव बहुत बढ़ गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

लाला अचिंत राम : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के नोटिस में ऐसे कोई केसेज आये हैं जिन में कि जमीन अलाट की गई है, लेकिन उन्होंने कब्जा न लिया हो और कब्जा अगर नहीं लिया है तो उस का कारण क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : ऐसे कोई केसेज तो हमारी नजर में नहीं आये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि पहले आवंटन में इन विस्थापित व्यक्तियों में से प्रत्येक को दस एकड़ मिली थी परन्तु बाद में अब उन में से प्रत्येक को दो एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से भूमि दी जा रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बहुत से विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा काश्मीर सरकार अपना उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं कर रही है, यदि ऐसा है, तो यदि काश्मीर सरकार उन को भूमि देने में असमर्थ हो तो क्या भारत सरकार उन को स्वयं भारत में पुनर्वासित करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : मेरे विचार से काश्मीर सरकार अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने से इंकार नहीं कर रही है ।

दस्तकारी

*१२७४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आज कल भारत सरकार कुल कितनी कुटीर उद्योग सम्बन्धी संस्थाओं को ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दे रही है ;

(ख) १९५४–५५ में इन संस्थाओं को अलग-अलग ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी-कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या अब तक की गई आर्थिक सहायता से उन संस्थाओं का उचित विकास हो रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५४-५५ में जिन गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान और ऋण दिये गये हैं उन के नामों और दी गई राशियों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) अधिकांश संस्थाओं के लिये हाल में ही धन देना स्वीकार किया गया है और उनकी प्रगति की रिपोर्टें अब तक उपलब्ध नहीं हुई हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : पिछले दो वर्षों से जो ऋण और अनुदान गृह उद्योग की संस्थाओं को दिये जाते हैं, उन की प्रगति के बारे में अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उस की कोई खबर सरकार को नहीं है, तो क्या सरकार जो रुपया देती है उस का सही सही उपयोग होता है या नहीं, इस बात की जानकारी के लिये कोई उपाय करेगी ?

श्री कानूनगो : मैं ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि यह ग्रांट अभी हाल ही में दी गई है और इस बीच उस की प्राग्रेस नोट करने का वक्त नहीं हुआ ।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय कब तक सोचते हैं कि उस की प्रगति की जांच करने का माकूल समय होगा?

श्री कानूनगो : कम से कम एक साल ।

डा० राम सुभग सिंह : जिन संस्थाओं को एक साल से अधिक मदद दी जाती है, क्या यह देखा गया है कि जितनी मदद दी गयी है उस के अनुपात में उन का उत्पादन बढ़ा है ?

श्री कानूनगो : यह तो होना चाहिये । जो स्कीम उन्होंने पेश की है उस में उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था रखी गयी है और उस की पूरी तौर से जांच करने के लिये मैं ने कहा कि एक साल लगता है, कहीं छै महीने लगते हैं तो कहीं डेढ़ साल लगता है ।

भारत में विदेशी संस्थाओं का भारतीयकरण

***१२७५. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०० भाग (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में भारत में स्थित विदेशी संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग के भारतीयकरण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितनी विदेशी संस्थाओं ने, सरकार को अपने कर्मचारियों सम्बन्धी सूचना भेजी है ; और

(ग) जिन संस्थाओं ने यह सूचना नहीं भेजी है, सरकार उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १ जनवरी, १९५५ की नियुक्ति स्थिति को दर्शाने वाली सूचनायें मंगायी गई हैं, तथा अभी तक १९५४ में हुई भारतीयकरण की प्रगति को बताना संभव नहीं है ।

(ख) १९५४ में, ११५१ विदेशियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं ने सरकार को नियुक्तियों सम्बन्धी सूचनायें भेजी थीं ।

(ग) सांख्यकी संग्रह अधिनियम के अधीन जहां इस सूचना के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है वहीं उस विधान में इस आज्ञा के उल्लंघन के दंड का भी उपबन्ध किया गया है ?

चौधरी मुहम्मद शफी : इस में कितना समय लगेगा ?

श्री करमरकर : किस में ?

अध्यक्ष महोदय : शेष संस्थाओं से सूचना प्राप्त होने में ।

डा० राम सुभग सिंह : उन को परिपत्र किस तिथि को भेजा गया था, क्या इस सूचना को भेजने के सम्बन्ध में उन को कोई रिमांडर भी भेजा गया था, तथा कितनी संस्थाओं ने अभी तक यह सूचना नहीं भेजी है ?

श्री करमरकर : १४ जनवरी, १९५५ को नोटिस दिया गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस प्रश्नावलि में, जो उन को परिचालित की गई थी, उन से ३,००० रुपये से अधिक आय वाले सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित वर्गों को भरने के लिये कहा गया था ?

श्री करमरकर : यह सूचना ३०० से ४९९ रुपये , ५०० से ९९९ रुपये तथा १,००० से अधिक वेतन वर्गों के सम्बन्ध में यह सूचना मांगी गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि जो भारतीय तथा विदेशी एक ही पद पर नियुक्त हैं उन के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है तथा जो सुविधायें विदेशी कर्मचारियों को दी जाती हैं वे भारतीयों को मिल रही सुविधाओं के समान नहीं हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का उत्तर, मैं बिना पूर्व सूचना के नहीं दे सकता हूं । हमें इस की जांच करनी होगी ।

इस्पात

*१२७७. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, १९५४ में भारत में उत्पादित इस्पात की मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : १२.४० लाख टन ।

श्री गिडवानी : १९५४ में कितना इस्पात आयात किया गया था ?

श्री कानूनगो : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री गिडवानी : प्रथम पंच वर्षीय योजना में, इस्पात का प्राक्कलित उत्पादन कितना था ?

श्री कानूनगो १६·५ लाख टन ।

डा० लंकासुन्दरम : भारत में पिछले तीन वर्षों में कुल कितना इस्पात आयात किया गया ?

श्री कानूनगो : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री गिडवानी : इस्पात का रेल भाड़ा सहित मूल्य क्या था, तथा भारत में उत्पादित इस्पात की लागत क्या थी?

श्री कानूनगो : यह समय समय पर विभिन्न रहती है ।

मिट्टी का तेल आदि

*१२७९. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में १९५३–५४ में मिट्टी का तेल, प्रैट्रोल तथा क्रूड आइल का कितना उत्पादन हुआ था ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सरकार को यह सलाह दी गई है कि ऐसे ब्यौरों की चर्चा सभा में करना उचित न होगा क्योंकि ऐसा करने से सभी लोगों को, बिना किसी भी विभेद के, उन की जानकारी हो जावेगी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह निर्णय सरकार के हित की दृष्टि से किया गया है या और किसी दृष्टि से ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे हिन्दी शब्द तो नहीं आते पर यह कह सामरिक तथा सुरक्षा के कारण है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : : क्या १९५२–५३ की तुलना में १९५३–५४ में मिट्टी के तेल उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

पत्रिकायें

***१२८०. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक सप्ताह, इंडियन लिस्नर तथा सारंग की कितनी प्रतियां छपती हैं ;

(ख) इन में से प्रत्येक की बिक्री से कुल कितनी मासिक आय होती है ; और

(ग) इस प्रकार की साप्ताहिक पत्रिकायें अन्य किन भाषाओं में प्रकाशित होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ८]**

श्री भागवत झा आजाद : हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये विवरण में उल्लिखित साप्ताहिक तथा पाक्षिक पत्रिकाओं पर कितना व्यय होता है ?

डा० केसकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का व्यय, उन की बिक्री के द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या इस का यह कारण है कि इस कीबहुत सी प्रतियां आकाशवाणी के पदाधिकारियों के सम्बन्धियों तथा मित्रों को भेंटस्वरूप दे दी जाती हैं ।

डा० केसकर : जहां तक कुल लागत का सम्बन्ध है, यह सच है कि हम इन पत्रिकाओं से इस समय कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं । परन्तु जहां तक दूसरे आरोप का प्रश्न है, मेरे विचार से वह ठीक नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रुई

१२३२. **श्री एस० एन० दास :**
श्री एल० एन० मिश्र :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका सरकार ने चालू वर्ष की आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अधीन, भारत को किन मदों तथा शर्तों पर कपास की ७,२००,००० गांठे देने को कहा है ;

(ख) क्या सरकार ने उन मदों तथा शर्तों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में, क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). अमरीका के साथ केवल ७५,००० गांठों का समझौता हुआ है । हम समझौते के व्यौरे के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ९]**

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी

***१२३७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी की आदिजातियों में राष्ट्र भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है ; और

(ख) क्या सरकार उस क्षेत्र में देव-नागरी लिपि के प्रसार के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क)तथा (ख). पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी की जनता ने पाशीघाट जैसे कुछ क्षेत्रों में हिन्दी सीखने में रुचि और उत्साह दिखाया है । दूसरे स्थानों में जैसे त्यूनसांग, मारगेरिटा में आदिवासी भाषाओं की लिपि के लिये, जिन की अपनी कोई लिपि नहीं है, देवनागरी लिपि के अपनाने का अच्छा कार्य किया है । पाशीघाट, त्यूनसांग और मारगेरिटा में हिन्दी सीखने और पढ़ाने के लिये आदिवासी शिक्षकों को शिक्षण देने के लिये तीन केन्द्र खोले गये हैं । १३ हिन्दी स्नातक शिक्षक इन केन्द्रों पर पढ़ाने के लिये भरती किये गये हैं और १० और भरती किये जा रहे हैं ।

निर्यात संवर्द्धन योजना

***१२३९. श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९५५ के लिये निर्यात संवर्द्धन योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस से कितना लाभ होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १०]**

दक्षिण अफ्रीका

***१२४०. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय सरकार के 'श्यामवर्ण स्थान' हटाने आन्दोलन से कितने भारतीयों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) भारतीयों और अफ्रीकियों के हटाये तथा नष्ट किये गये मकानों की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) लगभग ५,००० भारतीयों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(ख) कोई सूचना प्राप्त नहीं है, और दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय उच्चायोग के बन्द कर दिये जाने के कारण सूचना प्राप्त होने की कोई संभावना भी नहीं है ।

शरणार्थी वधुओं को विवाह उपहार

***१२४२. श्री अमजद अली** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान की शरणार्थी वधुओं को विवाह उपहार देने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भी इसी प्रकार के उपहार दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को १९५४–५५ में कितनी रकम दी गई ; और

(घ) क्या पूर्वी क्षेत्र की वधुओं के उपहार के लिये कोई रकम निश्चित की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) दरिद्र विस्थापित व्यक्तियों को विवाह उपहार पहले से ही दिये जा रहे हैं । केवल उन व्यक्तियों के लिये, जो स्थायी दायित्व केम्पों में रह रहे हैं, उपहार का परिमाण कुछ अधिक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) हां ।

(ग) अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को लगभग ९८,००० रुपये विवाह उपहार के रूप में दिये गये हैं और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में, आसाम के अतिरिक्त जिस के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को ५४,००० रुपये दिये गये हैं ।

(घ) स्थायी दायित्व केम्पों में रहने वालों को २०० रुपये और बाहर रहने वालों को ६० रुपये दिये जाते हैं ।

सिगरेट फैक्टरियां

*१२४४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितनी सिगरेट बनाने वाली फैक्टरियां चल रही हैं ;

(ख) इन फैक्टरियों में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ; और

(ग) इन में से कितनी फैक्टरियां भारतीयों की सम्पत्ति हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १७ ।

(ख) ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है । लगभग २० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है ।

(ग) ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है आठ फैक्टरियां पूर्णरूप से भारतीयों की हैं और उन्हीं के द्वारा संचालित की जाती हैं ।

कोयला

*१२४८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस छीजन के परिमाण का, जो गैर सरकारी मालिकों द्वारा प्रबन्ध किये जाने की वर्तमान प्रणाली के परिणाम-स्वरूप बढ़िया भारतीय कोयले के दुरुपयोग किये जाने या किसी अन्य कारण से होती है, कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुमानित छीजन का परिमाण कितना है ;

(ग) क्या इस दुरुपयोग अथवा छीजन को रोकने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). खानों में से कोयला निकालने में सभी श्रेणियों के कोयले में कुछ हानि अथवा छीजन अवश्य होती है किन्तु इस छीजन को खानों की गैर सरकारी मालिकों के द्वारा प्रबन्ध किये जाने की प्रणाली का परिणाम नहीं कहा जा सकता है । कार्य-करण में हुई इन हानियों का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) और (घ). खानों में कोयले के दुरुपयोग और छीजन को कम से कम करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्य-वाहियां यह हैं :—सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये कोयला खदानों को कोयले की तह को ठीक प्रकार से जमाने के लिये बाध्य करना, धातु कर्मिक कोयले के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना, "प्रवरणी" खनन को रोकने के लिये कोयला खदानों के कार्यकर

की प्रणालियों का नियंत्रण करना और तह लगाये बिना कोयले के स्तम्भ न लगाने की कार्यवाही को रोकना आदि ।

भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन

*१२४९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन के लिये कोई तिथि निश्चित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के लिये कोई कार्यसूची बना ली गई है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार के पाकिस्तान में नगरीय अचल सम्पत्ति के अर्द्ध स्थायी आवंटन का उपबन्ध करने के लिये एक अध्यादेश जारी करने के निर्णय की उपलक्षणाओं का अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्यादेश का बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). नहीं ।

(ग) और (घ). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत विस्थापितों के भारत स्थित सम्पत्ति के दावों के पंजीयन और सत्यापन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश से है और जो नगरीय अचल सम्पत्ति के अर्द्धस्थायी आवंटन का निर्देश करता है । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार की उस देश में स्थित निष्क्रांत अचल सम्पत्ति के अर्द्ध स्थायी आवंटन की योजना को नहीं देखा है । अतः यह कहना संभव नहीं है कि इस अध्यादेश के प्रख्यापन से बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी

*१२५१. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में नागा पहाड़ियों में सिर काटने की कोई घटनायें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी घटनायें हुई और कब हुई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). १९५४ में पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी में "सिर काटने" जैसी कोई घटनायें नहीं हुईं । तथापि नवम्बर, १९५४ में एक अन्तरग्रामीण झगड़ा अवश्य हुआ था जिस में ५७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । इस का विवरण सभा को पहले ही दिया जा चुका है (२ दिसम्बर को श्रीमती बेदावती बुरागोहिन के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४, जो राज्य सभा में पूछा गया, के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर) ।

त्रिपुरा में चावल और तेल मिलें

*१२६०. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में तेल और चावल की मिलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में १९५४–५५ में उन की संख्या बढ़ी है या घटी है ; और

(ग) इस परिवर्तन का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बीड़ी बनाने की मशीनें

*१२६३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी बनाने की मशीनों पर कर लगाये जाने के बाद अधिकांश बीड़ी फैक्टरियां बन्द हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ; और

(ग) उन से कितना कर वसूल किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी

*१२६४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २१ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सात संदिग्ध तागिन नेताओं को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ख) इन गिरफ्तार किये गये तागिन नेताओं के साथ केबंग द्वारा क्या व्यवहार किया गया है ?

वदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) और (ख). केबंग ने तय किया है कि अचिंग-मोरी की दुःखद घटना के लिये केवल छः नेता ही मुख्यतया जिम्मेवार थे । वे गिरफ्तार कर लिये गये हैं और विधि के अनुसार उचित दंड दिये जाने के लिये सरकार को सौंप दिये गये हैं ।

त्रिपुरा में हाथ करघे

*१२६७. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा की आदिमजाति की स्त्रियों को नये प्रकार के हाथकरघे खरीदने की सुविधा देने के लिये दिये गये ऋण, यदि कोई दिया गया हो तो, की रकम क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : हाथ के शटल फैंकन वाले करघों के स्थान पर मशीन से फैंके जाने वाले शटल के करघे लगाने के लिये त्रिपुरा सरकार को १७,५०० रुपये का अनुदान दिया गया है । त्रिपुरा सरकार द्वारा वास्तव में किन व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं इस की सरकार को सूचना नहीं है ।

दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद

*१२७२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में गैर-यूरोपीयों के साथ "शिक्षा में वर्णभेद" के सिद्धांत को अब कठोरता से लागू किया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : शिक्षा में वर्णभेद के सिद्धांत को लागू करना दक्षिण अफ्रीका सरकार की एक उद्घोषित नीति है और इस नीति को लागू करने के लिये समय समय पर वहां की सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*१२७३. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भाग (क) में के राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा व्यय की जाने वाली रकम

के प्राक्कलन क्या भारत सरकार के परामर्श से बनाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ये प्रस्ताव किस आधार पर बनाये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). द्वितीय पंच-वर्षीय योजना राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के परामर्श से बनाई जायेगी ।

पैट्रोल बेचने वालों को कमीशन

*१२७६. **श्री एम० एस० गुरुपाद-स्वामी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल बेचने वाले को प्रति गैलन पर दिये जाने वाले कमीशन की दर क्या है ;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में इस कमीशन के बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रति गैलन पर तीन आने ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डमट्रू जल विद्युत परियोजना

*१२७८. **श्री इब्राहीम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कनाडा की सहायता से सम्पन्न की जाने वाली डमट्रू जल विद्युत् योजना के प्रविधिक एवं प्रशासकीय प्रबन्ध का कौन प्राधिकार उत्तरदायी होगा ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : आसाम सरकार ।

रूरकेला इस्पात परियोजना

*१२८१. **श्री अमजद अली** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रुप्स-डिमाग फर्म ने रूरकेला इस्पात परियोजना की अंतिम परियोजना रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) क्या यह सच है कि उन से एक संपरिवर्तित प्रतिवेदन देने को कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां ।

(ख) और (ग). क्रुप्स-डिमाग्स योजना की पुन : जांच कर रहे हैं, क्योंकि यह तय किया गया है कि संयंत्र की उत्पादन शक्ति ५,००,००० टन के स्थान पर, जिसे बाद को दुगुना कर दिया जायेगा, प्रारम्भ से ही उस से दुगुनी अर्थात् दस लाख टन लौह-पिण्डक उत्पादन की होनी चाहिये ।

जूट

*१२८२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में त्रिपुरा में उत्पन्न हुए जूट की परिमात्रा तथा मूल्य क्या हैं ;

(ख) इस जूट के मुख्य उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इसे उपभोक्ताओं के पास वायुयानों द्वारा ले जाया जाता है या रेलवे के द्वारा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नवीनतम अनुमान यह

है कि १९५४–५५ में त्रिपुरा में कच्ची जूट की ४६,००० गांठों (प्रत्येक ४०० पौंड की) का उत्पादन हुआ था । कलकत्ता के मूल्यों के आधार पर उस के मूल्य का अनुमान कोई ७० लाख रुपये लगाया जाता है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल की भारतीय जूट मिलें ।

(ग) त्रिपुरा से इस को रेल तथा वायुयान दोनों के द्वारा ले जाया जाता है ।

शंखों का आयात

*१२८३. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि श्रीलंका से शंखों के आयात पर रोक लगाये जाने के परिणामस्वरूप हमारे देश में शंख उद्योग में पर्याप्त कमी हो गई है और शंख को काट कर वस्तुयें बनाने वालों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जहां तक सरकार को विदित है, शंखों के आयात पर लगाई गई रोक के परिणामस्वरूप शंख उद्योग में कमी नहीं हुई है।

शंखों का आयात

*१२८५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २१२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी श्रीलंका से शंखों के आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों के समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कितने प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं और वे प्रतिनिधान किन अभिकरणों से प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या तब से मद्रास से शंखों की प्रदाय बढ़ गई है ;

(घ) इस समय आयात किये गये शंखों की तुलना में मद्रास के शंखों के मूल्य तथा किस्म में क्या अन्तर है ; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) रोक को हटा लेने के लिये सरकार को चार प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे । इन में से दो के मुख्यालय कलकत्ता में हैं और दो के मद्रास राज्य में हैं ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) बताया जाता है कि मद्रास के शंख अच्छी किस्म के हैं । मूल्य सम्बन्धी अन्तरों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ङ) क्योंकि मद्रास से प्राप्त होने वाली प्रदाय मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, इसलिये यह रोक जनवरी-जून, १९५५ की अनुज्ञापन अवधि में जारी रहेगी । इस प्रश्न की जांच जुलाई-दिसम्बर, १९५५ की अवधि सम्बन्धी आयात नीति निर्धारित करते समय पुनः की जायेगी ।

बच्चों के लिये फिल्में

*१२८६. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत १९५३ और १९५४

के दौरान में बच्चों के लिये कुल कितनी फिल्में तैयार की गईं ; और

(ख) बच्चों के लिये कितनी फिल्मों का आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस महीने के अन्त तक बाल-चित्र परिषद् की रजिस्ट्री हो जायेगी जिस का उद्देश्य सरकारी अनुदान की सहायता से बच्चों के लिये चित्रपट बनाना है । फिल्म डिवीजन ने दो बाल-चित्र डाकुमेंटरी बनाई हैं और व्यंग चित्र-पटों के बनाने का प्रबन्ध किया है । निजी उत्पादकों ने जो फिल्में बनाई हैं या बाहर से जो आयात की गई हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक चित्र-पटों में बाल-चित्र की कोई विशेष श्रेणी नहीं बनाई गई है ; परन्तु १९५४ में सरकारी पुरस्कार के लिये भारत में बनी नौ फिल्मों को बाल-चित्र के नाम से पेश किया गया था, परन्तु केन्द्रीय पुरस्कार समिति ने उन में से केवल एक को बच्चों के लिये विशेष रूप से योग्य पाया ।

रेत के चट्टे लगाना

*१२८७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेत के रक्षण के वास्ते उस के चट्टे लगाने के लिये सहायता की मात्रा को स्वीकृत मूल्य के ७५ प्रतिशत से ८५ प्रतिशत तक बढ़ाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां, रेत के रक्षण हेतु उस के चट्टे लगाने के लिये उपर्युक्त दर पर बढ़ी हुई सहायता स्वीकार करने का निर्णय कोयला बोर्ड को दे दिया गया है ।

(ख) यह समझा जाता है कि यह निश्चय १ अप्रैल, १९५५ से लागू किया जायेगा ।

त्रिपुरा का सहायता तथा पुनर्वास विभाग

*१२८८. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार के सहायता तथा पुनर्वास विभाग में सर्वेक्षण कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) जो सर्वेक्षण कार्य बहुत समय से पूरा नहीं किया गया है, क्या उस के लिये यह संख्या पर्याप्त है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३४ ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का दल

*१२८९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के दल के सारे अमरीकी सदस्य जम्मू और काश्मीर राज्य से चले गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में अब संयुक्त राष्ट्र के जितने प्रेक्षक बाकी हैं, उन की क्या संख्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क). संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल में अब कोई अमरीकी प्रेक्षक नहीं है । फिर भी एक अमरीकी राष्ट्रीय जन रावलपिंडी में इस दल के

पाकिस्तान मुख्यालयों में वित्त पदाधिकारी के रूप में नियोजित है ।

(ख) युद्ध विराम सीमा पर भारत के क्षेत्र में इस समय १५ क्षेत्र प्रेक्षक हैं ।

पशम

*१२९०. **श्री भूलन सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल और स्पिति में 'पशम' के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से व्यापार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में २ जनवरी, १९५५ के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो पत्र प्रकाशित हुआ था, क्या सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठीक स्थिति क्या है और इन परिस्थितियों में प्रतिबन्ध लगाना कहां तक युक्ति संगत है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) देश में मूल्यों के बढ़ जाने से तथा उस का संभरण प्राप्त करने में देशी उद्योग को जो कठिनाईयां हुई, उस की वजह से सरकार ने पशम के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया । ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय स्थानों में पशम बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित किया गया है । व्यापारियों के पास जितनी मात्रा में पशम एकत्रित है, उस के विवरण मांगे गये हैं और राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे यह बतायें कि देशी उद्योग के लिये उचित दरों पर पशम का पर्याप्त संभरण प्राप्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

रेडियो के पुर्जे

*१२९१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्नलिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो के कौन कौन से पुर्जे भारत में बनाये जाते हैं और कौन से बाहर से मंगाये जाते ;

(ख) क्या उन पुर्जों को, जो कि आज कल बाहर से मंगाये जाते हैं, भारत में ही बनाने की कोई कोशिश की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) और (ग) . हां, श्रीमान् । जिन पुर्जों का आजकल आयात किया जा रहा है, उन के निर्माण के लिये अनुज्ञप्तियां दे दी गई हैं । अभी यह नहीं बताया जा सकता कि उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कहां तक सफलता मिलेगी ।

अफगानिस्तान को सहायता

*१२९२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार अफगानिस्तान के उद्योग धंधों के विकास के लिये उस को सहायता तथा सहयोग प्रदान करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से दिल्ली में एक शिष्ट मंडल आया था जिस ने भारत सरकार के कर्मचारियों और योजना कमीशन के साथ उद्योगों के सम्बन्ध

रखने वाले बहुत से मामलों पर विचार किया। यह बातचीत छोटे उद्योगों के विषय में खास तौर से की गई थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इन मामलों में सरकार सभी मित्र देशों को सभी सम्भावित सहायता देने की इच्छुक है।

अन्तर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी विधेयक

*१२९३. **श्री गिडवानी :**
सेठ गोविन्द दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी (विनियमन तथा विकास) विधेयक को कब पुरःस्थापित करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : यह विधेयक यथा शीघ्र पुरःस्थापित किया जायेगा ; यह आशा की जाती है कि इस विषय से सम्बन्धित विधान संसद् के चालू सत्र में ही पुरःस्थापित किया जायेगा।

इस्पात संयंत्र

*१२९४. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री कोडयार :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लावाकिया तथा आस्ट्रिया की सरकारों ने कहा है कि वे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन वचनों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) क्या बातचीत के लिये चैकोस्लावाकिया तथा आस्ट्रिया के विशेषज्ञ भारत में बुलाये जायेंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पेट्रोल

३४७. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भारत में पेट्रोल का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार की जानकारी देने से हित नहीं होगा क्योंकि उस से बिना किसी विभेद के सारे व्यक्तियों को ऐसी सूचना उपलब्ध हो जाती है।

अभ्रक

३४८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्लाक अभ्रक, अभ्रक के टुकड़ों तथा अभ्रक के चूरे का १९५३ और १९५४ में जो निर्यात किया गया, उन के मूल्य तथा उन की मात्रा के वर्षवार पृथक् पृथक् आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में भारत में उक्त तीनों प्रकार के अभ्रक की पृथक् पृथक् कितनी खपत हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

निर्यात

३४९. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः वस्तुओं के नमूनों के अनुसार सँभरण न होने

से कुछ वस्तुओं के निर्यात पर बुरा असर पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध ऐसी कुछ शिकायतें हुई हैं किन्तु ये शिकायतें किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में ही नहीं हैं । इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि नमूनों के अनुसार संभरण न करने से निर्यात व्यापार पर सर्वदा ही विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

(ख) सामान्यतः सरकार व्यापार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती है ; और वह चाहती है कि व्यापार संघ इस समस्या को स्वयं हल करें । फिर भी सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

१. विभिन्न वस्तुओं के लिये निर्यात वृद्धि परिषद् बनाई जा रही है । उन का एक काम यह होगा कि वे व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करें, उन का निर्णय करें, और मान स्थापित करें ।

२. व्यापार सन्थाओं से यह आग्रह किया जा रहा है कि वे संविदा के मान रूपों को अपनायें, जिन से झगड़े भी तय होंगे ।

३. अनेक कृषि सम्बन्धी तथा औद्योगिक उत्पादों के लिये मान रूप प्रकार मालूम किये जा रहे हैं । कुछ मामलों में, ये प्रमाप अनिवार्य हैं ; जैसा कि कच्ची ऊन, तम्बाकू और सन के साथ है । अन्य मामलों में प्रमाप वैकल्पिक हैं, जैसा कि वस्त्रों, अभ्रक, खेल के सामान इत्यादि के साथ है ।

४. राज्य सरकारें भी छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा पैदा की गई अनेक वस्तुओं के लिये गुण, प्रकार निर्धारित करने की योजनायें चला रही हैं ।

५. वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यकी विभाग के महा निर्देशक के द्वारा सरकार व्यक्तिगत शिकायतों की भी जांच कर रही है और जहां कहीं संभव होता है, समझौता करा दिया जाता है ।

नागरोटा का शिविर

३५०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में जब नागरोटा का शिविर हटाया गया तो वहां से कितने परिवार निकले थे ;

(ख) उन में से कितने परिवारों को जम्मू तहसील में भूमि दी गई ;

(ग) उक्त भाग (ख) में बताये गये कितने परिवारों के अगुआ, अनाथ, अवयस्क, विधवायें, और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति थे ; और

(घ) क्या यह सच है कि अनाथों, अवयस्कों और विधवाओं को भूमि का जो आवंटन किया गया था , वह रद्द कर दिया गया, क्योंकि वे उस भूमि पर काश्त करने में असमर्थ रहे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ८,७८० ।

(ख) १,४०६ ।

(ग) २३ अवयस्क और २२३ विधवायें। शेष श्रेणियों में कोई नहीं है।

(घ) जी नहीं।

ग्रामों में बेकारी

३५१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने ग्रामों में बेकारी की समस्या का अध्ययन करने लिये १९५३ और १९५४ में जांच समितियां बनाई हैं;

(ख) जांच के बाद बेकार व्यक्तियों को कौन कौन से कामों पर लगाया गया है ; और

(ग) उन राज्यों में कहां तक बेकारी दूर हो गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बच्चों के लिये चलचित्र

३५२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री के० सी० सोधिया :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री एस० सी० सामन्त :
सेठ गोविन्द दास
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के लिये रुचिकर जानकारी देने के लिये मंत्रालय के फिल्म विभाग द्वारा अभी तक कितने चलचित्र बनाए गए हैं ; और

(ख) वे किन किन भाषाओं में बनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) दो बाल फिल्म पत्रिकायें निकाली गई हैं। व्यंग चित्र बनाने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

(ख) प्रथम पत्रिका अंग्रेजी और हिन्दी में निकाली गई और दूसरी पत्रिका हिन्दी में।

राजस्थान में कृषि भूमि

३५३. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में कुल कितनी निष्क्रांत कृषि भूमि हैं ;

(ख) प्रतिकर योजना के अनुसार अभी तक विस्थापित कृषकों को उन की उस भूमि के बदले में, जिस को वे पाकिस्तान में छोड़ आये, उस में से कितनी भूमि अर्धस्थायी आधार पर नियत की गई है ;

(ग) उस भूमि का कितना भाग उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नियत किया गया है, जो कि कृषक नहीं हैं ; और

(घ) उस भूमि का कितना भाग स्थानीय लोगों के कब्जे में है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)

(क) ८,४३,१०३ एकड़।

(ख) १,३७,९५० एकड़।

(ग) २,६२,६१३ एकड़।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखी जायेगी।

मोटर गाड़ियां

३५४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) सरकार के द्वारा तथा (२) गर सरकारी तौर से, १९५४ में भारत

में कुल कितनी मोटर गाड़ियां बाहर से मंगाई गईं ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत इन निर्यातों का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) किन किन देशों से मोटरगाड़ियां मंगाई गईं तथा प्रत्येक देश से कितनी कितनी संख्या में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). १९५४ में आयातित मोटरगाड़ियों की संख्या (जिन में सी० के० डी० और एस० के० डी० दशाओं की गाड़ियां भी सम्मिलित हैं) उन का मूल्य तथा वे देश जहां से वे आई हैं, बताने वाला विवरण संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३**]. गर सरकारी तौर से कितनी मंगाई गई तथा सरकारी तौर से कितनी, इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों की ओर से १९५४ में संभरण और उत्सर्जन महा निर्देशक के द्वारा खरीदी गई गाड़ियों की कुल संख्या लगभग ५७० है और उन का मूल्य ८७.५५ लाख रुपया है ।

श्रीलंका में भारतीय

३५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राज्यहीन व्यक्तियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता के लिये विकल्प देने के लिये प्रेरणा करने की योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) कितने राज्यहीन व्यक्तियों ने इस का लाभ उठाया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) नहीं, श्रीमान्। जनवरी, १९५४ के भारत श्रीलंका समझौते के अनसार श्रीलंका सरकार श्रीलंका में भारतीय उद्गम के उन व्यक्तियों के लिये, जो कि श्रीलंका के नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध नहीं हुए हैं, कुछ प्रेरणायें देना चाहती है ताकि वे अपने आप को भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध करवा लें । अभी तक इस सम्बन्ध में श्रीलंका द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है । श्रीलंका सरकार ने इस विषय पर कोलम्बो में स्थित हमारे उच्चायुक्त से चर्चा करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गंदे क्षत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिये मकान

३५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत सरकार ने भारत सरकार को गन्दे क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिये पुनः आवास व्यवस्था करने के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना से इस में कितना अन्तर है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ; मध्य भारत सरकार ने इन्दौर के कुछ गन्दे क्षेत्रों में रहने वाले औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में एक योजना भेजी है ।

(ख) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत सामान्यतः पूरे मकान बनाने का विचार है। मध्य भारत योजना के अधीन केवल चुने हुए क्षेत्रों का विकास करने और आस पास के स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यक मानदंड़ों और नहाने तथा कपड़े धोने का चबूतरा जिस पर नल लगा हो, एक शौचालय और मकान बनान

के लिये एक कच्चे चबूतरे की मूलभूत सुविधायें तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन चबूतरों पर अधिक भीड़ न लगे चबूतरों के नक्शों का उपबन्ध करने के लिये प्रस्थापना की गई है । किरायेदार मकान स्वयं बनवायेंगे, किन्तु सरकार भी उन की सहायता करेगी ; इस काम के लिये उसे १५० रुपये की कीमत की मकान बनाने की सामग्री दी जायेगी । सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन जिस मकान का किराया सामान्यतः १० रुपये प्रति मास है, इस आधार पर उसका किराया लगभग ३ रुपये ८ आने ही लिया जायेगा ।

सीमेंट के कारखाने

३५७. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितनी सीमेंट फैक्टरियों का राष्ट्रीयकरण हुआ ; और

(ख) १९५४ में निजी व्यक्तियों अथवा लिमिटेड कम्पनियों के कितने कारखाने थे और सरकार के कितने थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) किसी का भी नहीं ।

(ख) क्रमशः २३ और २ ।

एमोनियम सल्फेट

३५८. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी खाद कारखाने में उत्पन्न किये गये एमोनियम सल्फेट में से १९५४ में कितना देश में खपत हुआ और कितनी राशि का निर्यात किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सन् १९५४ में सिन्दरी कारखाने से आंतरिक खपत के लिये ३,१०,६०४ टन एमोनियम सल्फेट राज्यों में भेजा गया और २०० टन भारत से नैपाल को निर्यात हुआ ।

विस्थापित व्यक्तियों का निर्वहन भत्ता

३५९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सरकार से निर्वहन भत्ता मिल रहा है ;

(ख) जनवरी, १९५५ के अन्त तक उन्हें कितनी रकम दी गई है ; और

(ग) क्या अब भुगतान बन्द कर दिया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जिन विस्थापित व्यक्तियों को निर्वहन भत्ता मंजूर किया गया है उन की कुल संख्या १७,२६८ है ।

(ख) लगभग १२९ लाख रुपये ।

(ग) जी हां, उन व्यक्तियों के मामले में :—

(१) जिन्हें प्रतिकर प्राप्त हो चुका है ; अथवा

(२) जिन के प्रतिकर सम्बन्धी प्रार्थनापत्र रद्द कर दिये गये हैं ; अथवा

(३) जो निर्वहन भत्ते की निरन्तर प्राप्ति की योजना के अधीन अनुपयक्त घोषित कर दिये गये हैं ; अथवा

(४) जिन व्यक्तियों के प्रार्थनापत्र दाखेल दफतर कर दिये गये हैं क्योंकि उन्होंने दावे-निबटारे पदाधिकारियों (सेटलमेंट आफिसर्स) के कतिपय जानकारी तथा प्रलेख पेश करने सम्बन्धी आदेशों की

निर्धारित समय में पूर्ति नहीं की थी ।

होडल नगर (गुड़गांवा) में विस्थापित व्यक्ति

३६०. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होडल नगर (गुड़गांव) में पश्चिमी पाकिस्तान से आ कर बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अधिकृत मकानों को छोड़ने का आदेश इसलिये दे दिया गया है कि मुसलमान अधिस्वामी वापिस आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विस्थापित व्यक्तियों के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं । निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के प्रशासन की धारा १६ के अधीन निष्क्रांत अधिस्वामियों की ओर से निष्क्रांत मकानों और दूकानों को लौटाने के लिये—जिन पर १०५ विस्थापित परिवारों ने अधिकार कर रखा है—प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं । इस सम्बन्ध में अधिरक्षक ने निष्क्रांत भवनों में रहने वाले व्यक्तियों से कहा है कि यदि अधिसम्पत्ति लौटाने में उन्हें कोई आपत्ति हो तो वे बतायें । इस से प्रत्यक्ष रूप में कुछ आशंका उत्पन्न हो गई है । जिन मामलों में सम्पत्ति लौटा दी जायेगी वर्तमान में जो लोग रहते हैं उन के हितों की रक्षा की जायेगी ।

अणुशक्ति

३६१. **श्री आर० एस० तिवारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणुशक्ति के तैयार करने के लिये क्या क्या साधन आवश्यक हैं ;

(ख) क्या केवल हैवी वाटर से ही अणुशक्ति तैयार हो सकती है ;

(ग) क्या अणुशक्ति के तैयार करने के सभी साधन भारत में मौजूद हैं ; और

(घ) अणुशक्ति के उत्पादन के लिये किस वस्तु का विदेशों से आयात करना पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) यूरेनियम या थोरियम ग्रेफाईट, हैवी वाटर, या बेरियलियम, कुछ और भी इमारत बनाने का खास सामान जैसे जिरकोनियम ।

(ख) नहीं ।

(ग) तथा (घ). सभी कच्चा सामान जिस की जरूरत अणुशक्ति तैयार करने के लिये है वह हिन्दुस्तान में है । लेकिन इन में से बाज चीजें इस रूप में नहीं मिलती हैं जिस से हमारा काम चल सके । लेकिन इस बात का प्रबन्ध हो रहा है कि यह भारत में पैदा की जायें और बिलफेल बाहर से काफी संख्या में मंगवाई जायें ।

इस्पात

३६२. **श्री अमजद अली :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में आयात किये गये इस्पात की मात्रा ; और

(ख) १९५४ में आयात सम्बन्धी आंकड़ों की १९५२ और १९५३ के आयात-आंकड़ों से किस भांति तुलना की जा सकती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ( ) और (ख). विवरणपत्र सन्निहित है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४]**

यूगेंडा सरकार के आप्रवासन नियम

३६३. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगेंडा सरकार ने भारतीयों पर यह बन्धन लगाया है कि यदि यूगेंडा वासी भारतीय स्त्री बाहर रहने वाली किसी भारतीय से शादी करेगी तो उस के पति को बिना मान्य प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के यूगेंडा में नहीं आने दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या करने की सोच रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हाल ही में यूगेंडा प्रोटेक्टोरेट की सरकार ने अपने देश में प्रवेश करने के नियमों का संशोधन किया है । यह संशोधन किसी खास सम्प्रदाय पर नहीं, लेकिन आम जनता पर लागू होगा । संशोधन की मुख्य धारा यह है कि अगर यूगेंडा वासो स्त्री किसी यूगेंडा से बाहर रहने वाले पुरुष से विवाह करती है तो वह १८ साल से कम उम्र की न हो, और अगर ५ साल तक साथ रहने के पहले ही उन का सम्बन्ध टूट जाये या वैधानिक रूप से पति अपनी स्त्री से अलग रहने लगे या स्त्री मर जाये या वह यूगेंडा छोड़ दे तो उस पुरुष का यूगेंडा में रहना गैर कानूनी होगा ।

(ख) चूंकि संशोधन में किसी प्रकार का भेदभाव करने की धारा नहीं है , शासन ने इस मामले में कुछ कार्यवाही करना मुनासिब नहीं समझा ।

विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित भूमि

३६४. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाइयां मालूम हैं जिन्हें भूमि निर्धारित की गई है किन्तु उन्हें अपने अधीनस्थ क्षेत्र की लकड़ी जलाने और पेड़ काटने की अनुमति न होने से बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भूमि प्राप्त करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को शीघ्र ही उक्त अधिकार देने का विचार रखती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) पंजाब और पेप्सू के भूमि प्राप्त करने वाले विस्थापित व्यक्ति घरेलू कार्यों के लिये अथवा कृषि सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण के लिये लकड़ी काट सकते हैं इस शर्त पर कि वह कम से कम लकड़ी का उपयोग करें और लाभ तथा बिक्री के लिये इसे न काटें ।

(ख) देय प्रतिकर की अदायगी हेतु पंजाब, पेप्सू और अन्यत्र भूमि प्राप्त करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार देने का विचार है, उन्हें शीघ्र ही पेड़ काटने का अधिकार देना अनावश्यक है ।

विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

३६५. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार १९५३–५४ और १९५४–५५ में टेकनिकल संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विस्थापित विद्यार्थियों की संख्या और उन्हें छात्रवृत्ति स्वरूप दी जाने वाली रकम प्रकट करने वाला राज्य वार विवरण सभा-पटल

करने वाला राज्य वार विवरण सभा-पटल

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यह राज्य सरकारों से संग्रह करनी पड़ेगी। इस कार्य में जो समय और श्रम लगेगा वह परिणाम की तुलना में बहुत अधिक होगा।

"रिंग" कुएं

३६६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक योजना क्षेत्र में 'रिंग' कुओं का निर्माण त्रिपुरा में स्थानीय रूप में किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करना सम्भव है ; और

(ग) इन 'रिंग्ज' का पश्चिमी बंगाल से आयात करने में क्या लाभ है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

सामुदायिक योजना क्षेत्र

३६७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा में सामुदायिक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहद् मात्रा में 'तुक्या' संग्रह किया जा सकता है ;

(ख) क्या वाणिज्यिक सामग्री के रूप में उसे उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) एक जंगली वनस्पति जिसे स्थानीय रूप से 'तुक्या' कहा जाता है त्रिपुरा राज्य में, जिस में, सामुदायिक योजनाओं का क्षेत्र भी सम्मिलित है, उगती है।

(ख) नहीं।

(ग) स्थानीय उत्पाद का वाणिज्य की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। यह वास्तविक तुक्या बीज से भिन्न है तथा जिस काम के लिये असली बीजों का उपयोग किया जाता है उस के लिये ये अनुपयोगी हैं।

सामुदायिक योजना

३६८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५४ की अवधि में कितने अवसरों पर सामुदायिक योजना पदाधिकारी त्रिपुरा में स्थानान्तरित किये गये हैं ;

(ख) क्या योजनाओं की प्रगति इस से प्रभावित होती है ; और

(ग) यह देखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उक्त कार्यवाही से त्रिपुरा में सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के कार्य की प्रगति में बाधा नहीं पहुंचती है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) एक बार।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेपिओका की मांड और आटा

३६९. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५४ से २८ फरवरी, १९५५ तक भारत से निर्यात की गई टेपिओका की मांग और आटे की मात्रा कितनी है ;

(ख) उन देशों के नाम जहां यह निर्यात की गई है ;

(ग) क्या निर्यात सरकार द्वारा किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो निर्यात के लिये इसे किस कीमत पर खरीदा गया था;

(ङ) त्रावनकोर-कोचीन राज्य से यह कितनी मात्रा में खरीदी गई और खरीद का मूल्य स्तर क्या है ; और

(च) वर्तमान में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में एसी कितनी फैक्टरियां हैं जो कच्चे टोपिओका से मांड अथवा आटा तैयार करती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) केवल ६ हंडरवेट टेपिओका की मांड का निर्यात किया गया है । इस के आटे का निर्यात नहीं किया गया है ।

(ख) ब्रिटेन ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) जहां तक सरकार को मालूम है, मांड बनाने वाली दो फैक्टरियां हैं । आटा उत्पादन करने वाली फैक्टरियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

१९५४–५५ के लिये द्वितीय अनुपूरक मांगें

३७०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** १९५४–५५ के लियें अनुदानों के लिये द्वितीय अनुपूरक सूची की मांग संख्या २३ के अधीन बताई गई मद संख्या (ग) के अलग अलग यथार्थ आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इन आंकड़ों में अतिरिक्त व्यय की वे दो मदें हैं जो मूल अनुदान में सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् :—

(१) ३,००,००० रुपये । यूगोस्लेविया के राष्ट्रपति तथा उन के दल की भारत यात्रा पर ; और

(२) २,१०,००० रुपये । चीन के प्रधान मंत्री के भारत आगमन पर ।

वर्ष दिवस

३७१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महापुरुषों के मृत्यु अथवा जन्म दिवसों पर उन के जीवन तथा कार्यों के सम्बन्ध में रेडियो पर भाषण प्रसारण के लिये लोगों को आमंत्रित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५३ और १९५४ में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से इस प्रकार के कितने भाषण प्रसारित किये गये हैं ;

(ग) उक्त अवधि में इस कार्य के लिये कितना पारिश्रमिक दिया गया है ; और

(घ) उन व्यक्तियों को चुनने तथा आमंत्रित करने का भार किन पदाधिकारियों पर है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) . जानकारी संग्रहीत की जा रही है और यथोचित समय में पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) अखिल भारतीय आकाशवाणी के महा निर्देशक के अनुमोदन सहित सम्बन्धित केन्द्र के प्रधान पदाधिकारी । आवश्यकता होने पर मंत्रालय का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में भारतीय मुसलमान

३७२. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे भारतीय मुसलमानों की संख्या कितनी है जो १९५०

से फरवरी, १९५५ तक प्रत्येक वर्ष में पाकिस्तान आप्रवास (नियंत्रण) अधिनियम, १९४९ की धारा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं ;

(ख) क्या उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ;

(ग) यदि हां, तो कार्यवाही का क्या स्वरूप है तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों को भारत में स्थायी रूप से पुनः बसाने के लिये सुविधायें देने का विचार रखती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (घ). खेद है कि जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस के संग्रह में जो समय और श्रम लगेगा वह परिणाम की तुलना में बहुत अधिक है ।

कोरिया युद्ध बन्दी

३७३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वीडेन और स्विटजरलैंड से कोरिया युद्ध बन्दी की जांच के लिये स्थापित तटस्थ राष्ट्र आयोग के कार्य को भंग करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ; और

(ग) जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन का क्या स्वरूप है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). सरकार को स्वीडेन अथवा स्विटजरलैंड से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार प्रत्यक्ष रूप से आयोग से सम्बन्धित नहीं है, उन का विचार है कि यदि कोरिया में इस तटस्थ आयोग को, जो अब कोरिया में एक मात्र निकाय है, भंग कर दिया गया तो उस से वर्तमान स्थिति में कोई सहायता नहीं मिलेगी । इसे भंग करने के लिये दोनों कमांड की सहमति आवश्यक है ।

पत्रिकायें

३७४. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आवाज', 'सारंग', 'इंडियन लिस्नर', 'आजकल' (हिन्दी और उर्दू) और 'मार्च आफ इंडिया' की कितनी कितनी प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) प्रत्येक के कितने स्थायी ग्राहक हैं ;

(ग) प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां बाजार में बिकती हैं ;

(घ) प्रत्येक प्रकाशन के सम्बन्ध में आय और व्यय तथा लाभ और हानि के आंकड़े क्या हैं ; और

(ङ) यदि यह प्रकाशन घाटे पर चल रहा है तो पिछले पांच वर्षों में कितना घाटा रहा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ङ). आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और तैयार होने पर सभा-पटल पर रखे जायेंगे ।

विद्युत् शक्ति

३७५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत शक्ति की कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) अभी कुल कितनी शक्ति उत्पन्न की जानी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) देश की विद्युत् शक्ति की कुल आवश्यकता के निश्चित आंकड़े देना सम्भव नहीं है । यह कई बातों पर निर्भर है । जैसे, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास योजनायें, गांव में बिजली पहुंचाने की योजनायें तथा घरेलू खपत आदि ।

(ख) सन् १९५४ के अंत में विद्युत् उत्पादन करने की प्रस्थापित क्षमता लगभग २५ लाख के० डब्ल्यू० थी और १९५४ में ७३,५०० लाख के० डब्ल्यू० एच० विद्युत् उत्पादित की गई ।

भारत-पाकिस्तान सूच परामर्शदात्री समिति

३७६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सूचना परामर्शदात्री समिति को, जिस ने १९५१ में काम करना बन्द कर दिया था पुनर्जीवित करने के लिये भारत और पाकिस्तान में बातचीत जारी है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने समिति के पुनर्जीवित करने के लिये अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को दिये गये सुझाव के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लोक सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
२१ मार्च, १९५५

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—असैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
पुरःस्थापित . . २४२१—२२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४
मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४
मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६--९६,२६१०-११,२६५९—६४
मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८
मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८
मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८
मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८
मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८
मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९--९६,२६१०--११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७— ९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९१
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थपित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक-सभा

सोमवार, २१ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्षय महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर, जो चालू सत्र में संसद् द्वारा पारित किये गये हैं, अनुमति दे दी है :

(१) श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक, १९५५ ।

(२) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५५ ।

(३) आन्ध्र विनियोग विधेयक, १९५५

(४) आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५५ ।

१९५५-५६ का साधारण आयव्ययक

सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सामान्य आयव्ययक पर अग्रेतर चर्चा करेगी । सामान्य चर्चा के लिये आवंटित २० घंटों में से १८ घंटे का उपयोग किया जा चुका है और अब केवल दो घंटे शेष हैं ।

माननीय वित्त मंत्री को अपने उत्तर के लिये डेढ़ घंटे की आवश्यकता है और मैं उन्हें साढ़े बारह बजे बुलाऊंगा । तत्पश्चात् सभा, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अत्यावश्यक पण्य विधेयक, १९५५ पर विचार करेगी । अतः अब हमारे पास अधिक से अधिक आधे घंटे का समय है, यदि बिल्कुल ठीक ठीक कहा जाय तो २५ मिनट ही हैं । श्री डी० डी० पन्त ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, मैं आप के विचारार्थ एक निवेदन करना चाहता हूं । बात यह है कि अत्यावश्यक पण्य विधेयक के सम्बन्ध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन हमें कल प्राप्त हुआ था । नियमानुसार हमें दो दिन का समय मिलना चाहिये । यदि इस विधेयक पर आज चर्चा की गई, तो हमें अपने संशोधन देने का अवसर नहीं मिलेगा । अतः मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक पर कुछ समय बाद चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री क्या कहना चाहते हैं । वह अभी यहां नहीं हैं । माननीय सदस्य यह विषय उस समय प्रस्तुत करें जब कि विधेयक पर चर्चा आरम्भ की जाये । और जब मंत्री के यहां उपस्थित होने की आशा हो ।

डा० **लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : जब मंत्री सभा में आयेंगे, उस समय प्रवर

[डा० लंका सुन्दरम्]

समिति के प्रतिवेदन में संशोधन प्रस्तुत करने के लिये हमें समय मिलना संभव नहीं होगा । अतः किसी दूसरे विधेयक को लेना पड़गा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी उन्हें बुलवा रहा हूं यदि वह आ सकें तो तब हम निर्णय कर सकेंगे । किसी स्थिति में भी माननीय सदस्यों को अब से दो घंटे का समय मिल रहा है और विधेयक कल परिचालित किया गया था । मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि इस विधेयक के सम्बन्ध में संस्कार की प्रत्यावश्यकता के बारे में मुझे कोई कल्पना नहीं है । यह मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भागव (गुड़गांव) : एक हल यह है कि संशोधन, अभी ले लिये जायें और फिर बाद को उन पर चर्चा हो ।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैं स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं । यदि अति आवश्यकता हो तो संशोधनों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दिये जाने का बन्धन हटाने के प्रश्न पर मुझे विचार करना होगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री की उपस्थिति चाहता हूं ।

डा० लंका सुन्दरम् : एक और बात यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन का भी अध्ययन करने के लिये सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : इसी उद्देश्य के लिये तो नियम बनाया गया है । प्रतिवेदन शनिवार को परिचालित किया गया था और कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमें प्रतिवेदन कल प्रातःकाल प्राप्त हुआ था और हम ने संशोधन आज प्रातःकाल दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कथन यह है कि माननीय सदस्य ने नियमों के आधार पर आपत्ति उठायी है । मैं नियम का पालन करने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि मुझे इस बात का कि क्या यह एक ऐसा मामला है, जिस में अध्यक्ष को सूचना दिये जाने के नियम को रद्द कर देना चाहिये, परीक्षण करने का अवसर मिले । इसी कारण मैं प्रभारी माननीय मंत्री की उपस्थिति चाहता हूं । हम उस समय इस पर चर्चा करेंगे । मेरा आशय यह नहीं है कि माननीय सदस्यों को संशोधन देने के अधिकार से वंचित किया जाय । कुछ सदस्यों ने पहले ही संशोधन दे दिये हैं । और अन्य सदस्य इन दो घंटों का लाभ उठा सकते हैं ।

श्री डी० डी० पन्त (जिला अल्मोड़ा--उत्तर पूर्व) : बजट के ऊपर बोलने के लिये बहुत कम समय मिला था, उस में भी बहुत सा समय और बातों में चला गया है । इतने थोड़े समय में मैं जो थोड़ी सी बातें आप के सामने अर्ज करना चाहता हूं वह यह हैं । आज तीन चार रोज से बजट के ऊपर स्पीचें सुन रहा हूं । करीब करीब सब तरफ के लोग बोले हैं, मगर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम ने निष्पक्ष हो कर बजट को नहीं देखा है और इस समय हमारे वित्त मंत्री को जो कठिनाइयां हैं उन के ऊपर भी हम ने नहीं सोचा है । मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश में जिसे हम क्रान्ति कहते हैं वह बहुत जल्दी हो गई होती तो शायद वित्त मंत्री इस प्रकार का बजट न बनाते । पर देशवासियों की जैसी भावनायें हैं और जिस प्रकार का उन का आर्थिक विश्वास है उस में मैं नहीं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस के सिवा और किसी तरह का बजट बना सकते थे ।

कई भाइयों ने कहा है कि हमारे सामन देश की आर्थिक दशा की जो तस्वीर है

उसे वित्त मंत्री ने नहीं रखा है। इस सोशलिस्ट पैटर्न के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वह इस पर निर्भर करेगा कि हम सोशलिस्ट पैटर्न के क्या माने समझते हैं। अगर सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य की पहली अप्रैल से बराबर आमदनी वित्त मंत्री कर दें, तो यह बिल्कुल दूसरी बात है, मगर मैं समझता हूं कि जो हमारा आवड़ी का प्रस्ताव है उस के अनुसार हम जिस चीज को शोशलिस्ट पैटर्न समझ रहे हैं उस की बातों को हम धीरे धीरे करना चाहते हैं। जो हमारी खास नीति है वह यह है कि देश में हम न किसी से जबर्दस्ती रुपया ले कर बांट सकते हैं और न हम ऐसा करना ठीक ही समझते हैं।

बजट की जो मुख्य बातें हैं वह बहुत थोड़ी सी हैं मगर उन के ऊपर बहस बहुत ज्यादा हुई है विशेषकर यह कि हमारे वित्त मंत्री को जो २६ करोड़ रुपया चाहिये वह उस को कैसे पैदा करें। जैसे उन्हों ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कपड़े पर, कागज पर और ऐसी दूसरी चीजों पर लगा दी और इनकम टैक्स सिलैब्ज में कुछ फर्क कर दिया। मेरी समझ में उन के पास और भी तरीके थे जिस से कि रुपया इकट्ठा किया जा सकता था। अगर उन से सेंटिमेंट्स को धक्का नहीं पहुंचता तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर साल्ट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती तो बहुत ही अच्छा होता। मगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा कर दिया जाता तो आर्थिक दृष्टि से हमारी हालत कुछ खराब हो जाती। सवाल ड्यूटी लगाने का नहीं है सवाल तो यह देखने का है कि जो ड्यूटी लगाई जाती है इस का इंसिडेंस किस पर पड़ता है। जो टैक्स आप ने लगाये हैं उस का बोझा लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है लेकिन साल्ट ड्यूटी अगर आप लगा देते तो यह एक प्रकार से ऐसी ड्यूटी थी जो कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर दे सकता था और सब लोग यह महसूस करने लग जाते कि राष्ट्र के निर्माण में हम योग दे रहे हैं और पूंजीपतियों का यह दावा कि रुपया हम देते हैं और राष्ट्र का निर्माण हमारी वजह से हो रहा है गलत साबित हो सकता। अगर सेंटिमेंटल रीजन्स हमारे रास्ते में न आयें तो मैं समझता हूं कि अगर हम यह राय लेने की कोशिश करें कि साल्ट ड्यूटी लगनी चाहिये या नहीं तो हर कोई कहेगा कि साल्ट ड्यूटी लगनी चाहिये क्योंकि अब हालात बदल गये हैं। जिस समय साल्ट ड्यूटी के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था उस समय मुझे याद है 'हरिजन' में यह शब्द लिखे गये थे और वही शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं "बृटिश साम्राज्य नमक के एक स्तर पर टिका हुआ है।" यह शुद्ध शब्द "हरिजन" में छपे थे। आज हालात बिल्कुल बदल गये हैं। ब्रिटिश एम्पायर यहां से चली गई है वह अब यहां नहीं रही। हमारे सामने यह सवाल है कि रुपया कैसे आये। मैं भी और मुल्क के लोग भी यह समझते हैं कि जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था उस समय हालात कुछ और थे और अब हालात बदल चुके हैं और अब हमारे सामने सैंटिमेंटल रीजन्स नहीं रहने चाहियें और हमें साल्ट ड्यूटी लगाने से हिचकिचाना नहीं चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह प्लानिंग के बारे में है। अपनी तमाम स्कीमों को पूरा करने के लिये आज हर एक स्टेट को कहा जा रहा है और इस बात के लिये मजबूर किया जा रहा है कि वह अधिक से अधिक रुपया पैदा करे लेकिन इस के साथ साथ हम उन को ठीक तरह से सोचने का मौका भी नहीं देते हैं। आज हम उन से कह रहे हैं कि गौ हत्या बन्द कर दो प्रोहिबीशन लागू कर दो। यह चीजें गलत हैं। जैसे

[श्री डी० डी० पन्त]

हमारे देश में शराब बन्दी आ रही है और जिस तरह से हम इस को लागू कर रहे हैं उस के तीन नतीजे निकले हैं । पहले तो यह कि बहुत सा रुपया जो कि हम जमा कर सकते थे वह हमें आज नहीं मिल रहा है । मैं यह नहीं कहता कि शराब बुरी चीज नहीं है और यह भी मैं जानता हूं कि यह कहा जा रहा है कि शराब बदमाश लोग पीते हैं । मुझे यहां पर एक साधू की बात याद आती है। एक मेरे मित्र ने मुझ से कहा कि वकालत बहुत बुरी चीज है और मैं वकालत नहीं करना चाहता हूं और इस बारे में मैं साधू से सलाह लेना चाहता हूं । वह एक साधू के पास गया और उस से कहने लगा कि जो वकालत करते हैं उन के पास चोरों और बदमाशों का पैसा आता है और मैं ऐसा पैसा नहीं लेना चाहता हूं। साधू जी ने कहा कि अगर तुम यह पैसा नहीं लेना चाहते तो कोई दूसरे ले जायेंगे इस वास्ते मेरी नसीहत यह है कि यह पैसा चोरों और बदमाशों से ले कर अच्छे काम में लगा दो । कुत्तों के मुंह में से निकाल कर गाय के मुंह में डाल दो । इसी तरह से शराब बन्दी के बारे में हो रहा है । बहुत सा पैसा जो हमें मिलना है वह हम छोड़ रहे हैं और दूसरे यह कि प्रोहिबिशन को लागू करने के लिये हम बहुत सा रुपया फिजूल खर्च कर रहे हैं । इस का नतीजा यह हो रहा है कि लोग गन्दी शराब पीने लग गये हैं इलिसिट डिस्टिलेशन हो रहा है और रद्दी शराब लोग पी रहे हैं । कई लोग तो कच्चा एल्कोहल भी पी लेते हैं । इस प्रोहिबिशन को लागू करने से यह सब बातें हो रही हैं । तो मैं कहता हूं कि यह रुपया चोरों और बदमाशों के हाथ में से ले कर गाय के मुंह में डालिये । आप यह धन इकट्ठा कर के अच्छे अच्छे कामों में लगाइये जिस से कि देश का भला हो । मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री किसी और जगह से रुपया ला सकते थे इस घाटे को पूरा करने के लिये । यह जो टैक्सेज आप ने लगाये हैं आप कहते हैं कि कपड़े के दाम बढ़ेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे । अगर आप खूब धन पैदा करना चाहते हैं तो मैं आप को वह तरीका जो कि अंग्रेजों ने अपनाया था बताना चाहता हूं । उन्हों ने खूब रुपया पैदा किया । आप भी शराब पर टैक्स लगा कर रुपया पैदा कर सकते हैं लेकिन जहां अंग्रेजों ने इतना रुपया कमा कर भी इस को भलाई के कामों में नहीं लगाया आप इस को अच्छी अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं । नहीं तो यह रुपया बदमाशों के पास नाजायज शराब बनाने वालों के पास चला जायगा । जो बजट वित्त मंत्री जी ने बनाया है मैं ने उस को बड़े गौर से देखा है और मैं समझता हूं कि यह बजट ठीक ही बनाया गया है और मैं इस बात में भी उन को सपोर्ट करता हूं कि जिस तरीके से वह रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं वह ठीक ही तरीका है और इस के सिवा उन के पास और कोई तरीका नहीं रह गया था जहां से वह पया पैदा करते । जैसा आदर्शवाद आप ने अपने सामने रखा है उस आदर्शवाद तक पहुंचने के लिये यह बजट ठीक ही बनाया गया है । जब डा० मथाई वित्त मंत्री थे उस समय मैं ने सुझाव दिया था कि डिफिसिट फाइनेंसिंग आप लोगों को ज्यादा नोट छाप कर करना चाहिये । आखिर वे मुल्क भी हैं जो लड़ाई के वक्त बीस करोड़ रुपया हर रोज खर्च कर देते हैं । वे इतना रुपया कहां से लाते हैं । मेरे विचार में मैकेनिज्म आफ मनी एक ऐसा जाल है और उस जाल को अभी हम अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं और उस के फंदे में हम फंसे रहते हैं । मुझे यहां एक बात याद आ गई है । आज तीन साल हो गये हैं । कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफैसर डाब्ज़

ने रशियन प्लैनिंग के ऊपर तीन चार व्याख्यान दिये थे। एक बार उन से एक हमारे प्रमुख इंडिस्ट्रियलिस्ट ने पूछा था कि साहब रूस वाले रुपया कैसे लाये, उन के सामने भी बड़ी बड़ी स्कीमें थीं जो कि उन को पूरी करनी थीं और उन के पास भी पैसे की कमी थी। इस के जवाब में डा० डाब्स ने कहा कि वहां एक योजना है जिस के अनुसार वे यह जानने की काशिश करते हैं कि किस चीज की मांग ज्यादा है और उस चीज की कास्ट एकाउंटिंग से क्या कीमत पड़ेगी और किस भाव पर उस चीज की बिक्री हो सकेगी। इस बात को जान लेने के बाद वे नोट छापते हैं उन नोटों के पीछे वह चीज रहती है जो बाजार में बिकेगी। इस तरह से वहां इन्फलेशन नहीं होती है। मैं आप से अर्ज करता हूं कि आप भी कोई इसी तरह की स्कीमें बनायें जिस से यहां पर इन्फलेशन भी न हो और आप के पास रुपया भी आ जाये। ऐसा करने से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं कि मुल्क में अभी ऐसी भावना नहीं आई कि वे दूसरों की भलाई के लिये रुपया लगा सकें। हर कोई यह चाहता है कि मेरे पास ज्यादा रुपया हो क्योंकि इस से उस की इज्जत होती है। उन को चाहिये कि वे इस भावना को छोड़ दें। यह भावना कि रुपये की वजह से ही बड़ा होना चाहिये गलत भावना है। हर कोई यह चाहता है कि उस के पास ज्यादा रुपया हो। मैं तो गरीबों से भी कहता हूं कि उन में भी यह भावना नहीं होनी चाहिये। आज तो छोटे के ऊपर बड़ा और बड़े के ऊपर और बड़ा आदमी है। अभी तक इन लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदली है। मैं समझता हूं कि जब तक आप यह अधिकार वित्त मंत्री को न दें तब तक कैसे काम चल सकता है। आप चाहते हैं कि जमींदारियां भी कायम रहें, महल भी कायम रहें, एलाउन्सेज भी कायम रहें, शराब बन्दी भी हो जाये, गौ हत्या भी बन्द हो जाय तो यह सब बातें कैसे हो सकती हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है।

बजट का दिन एक ऐसा दिन होता है जब कि हर प्रकार की जो सरकार की नीतियां हैं उन के ऊपर आलोचना की जाती है। मगर १५ मिनट का वक्त जो हमें दिया जाता है बहुत कम है और मैं नहीं समझ सकता कि इतने थोड़े से समय में क्या कुछ कोई बोल सकता है। और किस तरह से अपने प्वाइंट्स को डेवलप कर सकता है। फिर भी मैं कहूंगा कि जो टैक्स आप लगा रहे हैं वह तो ठीक ही है लेकिन जो खर्चा हो रहा है उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इस सरकारी मैशीनरी के बारे में मैंने पहले भी आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाई थी कि इस पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। हमारे एक मित्र मिस्टर जोशी थे और उन के पास जो कार थी वह एक गैलन में दो मील जाती थी जब कि बाकी कारें चालीस और पचास पचास मील जाती हैं। इस तरह से उन की मैशीनरी बहुत ज्यादा पैट्रोल चार्ज करती थी। बिल्कुल यही हालत आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैं देख रहा हूं कि कम्युनिटी प्राजैक्ट्स में भी जहां बहुत ज्यादा काम हो रहा है वहां अफसरों वगैरह के आने जाने में, उन के रहन सहन में, रिपोर्ट निकालने में और दूसरी कागजी कार्यवाही करने में बहुत ज्यादा फिजूल खर्च हो जाता है।

[पंडित ठाकु दास भार्गव पीठासीन हुए]

तो यह सब देख कर मैं सोचता हूं कि हमारे वित्त मंत्री को एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी को सिम्पलीफाई कर देना चाहिये। अगर किसी इलाके में कुछ काम होने वाला है तो बजाय इस के कि हर बार दिल्ली और लखनउ से एक्सपर्ट जायें यह अच्छा

[श्री डी० डी० पन्त]

होगा कि एक्सपर्ट वहीं मौजूद रहें और उस काम को देखें । मैं ने देखा है कि हमारे यहां मेलों में सारे हैड्स आफ डिपार्टमेंट चले जाते हैं । उन से पूछा जाये कि आप क्यों आये हैं तो वे कहते हैं कि यहां कम्युनिटी प्राजैक्टस का काम होता है उसको देखने आये हैं । बाद को अगर उन से पूछा जाये कि आप ने क्या देखा तो वे कुछ नहीं बतला सकेंगे । और सैकड़ों रुपये का टी० ए० वे खींच लेते हैं । तो इस तरह से सारा पैट्रोल दो ही मील चलने में खर्च हो जाता है बजाय इस के कि उस से गाड़ी ३० या ३५ मील जाती । तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जो ने जो टैक्सेशन लगाया है वह हमारी वर्तमान मनोवृत्ति को देखते हुए ठीक ही है । बहुत से लोग कहते हैं कि यह बजट कैपीटलिस्ट्स के खिलाफ है या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के खिलाफ है । मैं तो देखता हूं कि अभी हमारे देश में कैपीटलिस्ट पैदा नहीं हुए हैं । अगर हमारे देश में कैपीटलिस्ट होते तो वे देश को अमरीका और यूरोप की तरह ऊंचा उठा देते । हमारे यहां तो मनी ग्रेबर्स हैं कैपीटलिस्ट नहीं हैं । अगर किसी इंडस्ट्री को बर्बाद कर के भी उन को पैसा मिलने की सम्भावना हो तो वे उस पैसे को ले लेंगे और उस इंडस्ट्री का बरबाद कर देंगे । जब तक यह हालत है तब तक यह कहना कि यह बजट कैपीटलिस्ट्स के खिलाफ है, बिल्कुल गलत होगा । असल बात तो यह है कि जो हिन्दुस्तान का पूंजीवाद है वह विदेशी पूंजीवाद की नकल है । यहां की आत्मा से वह पूंजीवाद पैदा नहीं हुआ है । पूंजीवाद तो यूरोप और अमरीका में डेवेलप हुआ है, जिस ने उन देशों को आगे बढ़ा दिया है । यहां के कैपीटलिस्ट तो मनी ग्रेबर्स हैं । इसी तरह से यहां के कम्युनिस्ट सैबोटियर्स हैं । वे रूस की नकल करते हैं । जो कम्युनिज्म हमारे देश में बन सकता था उसे उन्हों ने कभी बनाया नहीं ।

यहां पर जो पद्धति प्रचलित है उसे चाहे आप गांधीवाद कहिये या मानववाद कहिये, वह यह है कि अगर किसी को कर्ज दे दिया और वह नहीं दे सकता है तो उस को और सहायता कर दी जाय ताकि जब वह संभल जाये तब दे दे, जैसे कि हम दुबली गाय को खिलाते हैं ताकि वह स्वस्थ्य हो कर हम को दूध दे सके । यही पद्धति हमारे देहातों में प्रचलित है । यह नहीं कि अगर वह नहीं दे सकता है तो उस का मकान नीलाम करवा लें । यही पद्धति हमारे देश के लिये लाभकारी सिद्ध हो सकती है ।

अत: मैं समझता हूं कि यह बजट तो ठीक है और मैं उस का समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा कि मैं ने कह दिया आप खर्चे को देखें ।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री को बुलाने के लिये अब केवल आठ मिनट बाकी हैं । श्रीमती ए० काले ।

श्रीमती ए०काले (नागपुर) : मेरे विचार से इस आय-व्ययक का स्वागत किया जाना चाहिये क्योंकि इस में सामान्य व्यक्ति पर कोई बोझ डाले बिना समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है । यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि उस पर अनावश्यक कर लगाया गया है ।

कपड़े पर करों में कुछ वृद्धि से ९ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने की आशा है । इस का अर्थ यह है कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चार आने की वृद्धि हुई है । गरीब वर्ग अधिकतर मध्यम और मोटा कपड़ा काम में लाते हैं । और इसीलिये यदि उत्तम और अति उत्तम कपड़े को छोड़ दिया जाय तब कर में वृद्धि करीब तीन आने होगी । इस प्रकार यह एक पैसा प्रति मास प्रति व्यक्ति पडेगा जिसे अत्यन्त गरीबों के लिये भी बोझ नहीं कहा जा सकता है ।

इसी प्रकार चीनी पर उत्पादन शुल्क भी ९ पैसा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पड़ता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह एक असत्य बोझ है ?

बिजली के पंखे सिलाई की मशीनें जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में, जब उन का आयात होता था, सरकार को सीमा शुल्क प्राप्त होता था । अब जब कि उन का आयात बन्द हो गया है, उस धन की पूर्ति उत्पादन शुल्क से करनी होगी ।

मेरे विचार से सब से अधिक बोझ उन व्यक्तियों पर पड़ा है जिन की आय ७,५०० रुपये से १०,००० के बीच में है। आय कर दर १ आना ९ पैसा से २ आने ३ पैसे अर्थात् २८ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जो वास्तव में इस वर्ग के लोगों के लिये बहुत अधिक है । अगले खंड पर आयकर दर में रुपये में ३ पैसे की वृद्धि हुई है जो लगभग ८.५ प्रतिशत है। अतः मेरा सुझाव यह है कि कम आय वाले समुदाय का बोझ कम किया जाना चाहिये और ऊंची आय वाले समुदाय को यह बोझ वहन करना चाहिये। अतः माननीय वित्त मंत्री मेरे इस समुदाय का परीक्षण करें कि ७,५०० रुपये से १० ००० रुपये की वर्ग की दर में दो पैसा कम कर दिया जाय और १०,००० रुपये से १५,००० रुपये वाले अगले वर्ग पर उतना ही बढ़ा दिया जाय और इस प्रकार वर्तमान असंगति को दूर कर दिया जाय ।

अब मैं आय-व्ययक के सामान्य पहलू पर कुछ कहना चाहती हूं वह कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढ़ग को प्राप्त करने के प्रयत्न में पूर्णतः असफल है। यह ठीक है कि व्यापारियों पर कर लगाया गया है। आयकर जांच आयोग ने अब तक केवल व्यापारीवर्ग के गुप्त लाभों पर ही ध्यान दिया है मैं नहीं समझ पाती कि प्रशासकों और विधान कर्ताओं के गुप्त लाभों पर आयोग ने क्यों ध्यान नहीं दिया है । मुझे विश्वास है कि यदि उन पर उचित कर लगाया जाय तो बहुत धन प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार मैं नहीं समझ पाती कि प्रत्येक राजनीतिक दल की निधियों की जांच क्यों नहीं की जाती है। मुझे बताया गया है कि आन्ध्र के निर्वाचनों में कम्युनिस्टों ने बहुत खुले रूप से हाथ से खर्च किया है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इतना अधिक धन कहां से मिला । इसी प्रकार ज्योतिषियों ने भी बहुत धन इकट्ठा किया है और मैं पूछती हूं कि सरकार इस पर कर क्यों नहीं लगाती है ।

संविधान में सभी के लिये समान अवसरों का उपबन्ध है किन्तु हम वास्तव में देखते हैं कि प्रत्येक जगह अवसरों का अभाव है। यह समाजवादी ढंग की नीति के अनुकूल नहीं है। अतः इस आय-व्ययक में ऐसा कुछ उपबन्ध होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा-सहायता आदि मिलनी चाहिये ।

मिश्रित अर्थ व्यवस्था के उलझे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं ने बहुत सुना है किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक मूल भूत उद्योगों का समाजीकरण न किया जाय, सब के लिये समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। समाजवादी ढंग के समाज की एक मुख्य शर्त यह है कि सब को काम करने का अधिकार है। किन्तु इस दिशा में हम ने अब तक क्या किया है ? हमारे वित्त मंत्री ने बताया है कि अगले पांच वर्षों में काम के अवसर दुगने हो जायेंगे। किन्तु वर्तमान आय-व्ययक के ढंग और जन-संख्या की वृद्धि को देखते हुए मैं उस के प्राप्त होने का कोई संकेत नहीं देखती हूं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : सामान्य चर्चा की कहानी को शेर और मेमने की कहानी कहा जा सकता है। किन्तु मुझे

[श्री सी० डी० देशमुख]

विश्वास है कि यहां अनुपस्थित माननीय सदस्य ने जिस प्रकार संकेत किया है उस प्रकार से यह अस्तित्व का कोई रास्ता अवश्य होगा। सामान्यतया आय-व्ययक की आलोचना को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम, कम्युनिस्ट सदस्यों द्वारा की गई आलोचना जिस का समर्थन इस का प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों ने भी किया है। इस समर्थन में उन्होंने आवाडी संकल्प का आश्रय लिया है और इस प्रकार उन्हों ने उस पर अपनी विचार धारा की छाप लगाई है।

मैं समझता हूं कि वे दिखाना यह चाहते थे कि आवाडी संकल्प उन के एकस्व पर एक प्रकार का अनधिकार हस्तक्षेप है, इसलिये यह वास्तव में एक बाजारू उपचार है। स्वभावतः इस से उन्हें जो क्लेश हुआ है वही उन की अधिकांश आलोचना का प्रेरक है। परन्तु इस के लिये मैं उन की नीयत में संदेह प्रकट करना नहीं चाहता हूं। क्योंकि राजनीतिक दलों में ऐसी भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। इस अवसर पर मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं सभी दलों के सदस्यों ने आय-व्ययक की जो आलोचना की है या उस पर जो टीका टिप्पणियां की हैं वह बहुत ही सच्ची भावना के साथ की गई हैं।

सभा के कुछ स्वतन्त्र सदस्यों ने जो आलोचना की है उस से वे यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि जो कर लगाये गये हैं वे नहीं लगाये जाने चाहियें थे।

कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने भी आलोचना की है। कुछ व्यक्तियों की आलोचना बहुत ही आदर्शवादी है और शेष ब्यौरे सम्बन्धी किसी बात के प्रति अपना दोष प्रकट करना चाहते हैं या किसी बात पर ज़ार देना चाहते हैं।

साम्यवादियों तथा प्रजा समाजवादियों ने जो आलोचना की है उस में से अधिकांश यह मान कर की गई है कि उस समाजवादी ढांचे में जिस को हम ने अपनी आर्थिक नीति का एक अंग बना लिया है, कृषक तथा इसी प्रकार के और छोटे छोटे मंत्रियों के गैर सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त उन लोगों के लिये कोई स्थान नहीं है जो बड़े बड़े उद्योगपति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निर्दयता के साथ दबा दिया जाना चाहिये और इन का गला घोंट दिया जाना चाहिये। इसी लिये इन लोगों ने विकास अवहार तथा व्यापार की हानियों के सम्बन्ध में दी गई रियायतों की आलोचना की है।

गत दिसम्बर को सभा ने आर्थिक नीति के सम्बन्ध में जो संकल्प पारित किया था उस में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अभी आने वाले कुछ वर्षों तक हम गैर-सरकारी क्षेत्र के बिना देश का आर्थिक विकास नहीं कर सकते हैं, साथ ही यह भी कहा गया था कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन भी देना होगा। वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों का अभिप्राय केवल इतना ही है। इसी को सभा के विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने पूंजीपतियों के प्रति सरकार का प्रेम प्रदर्शन समझा है और यह समझा है कि यह इस बात का द्योतक है कि सरकार को बड़े उद्योगपतियों का ख्याल ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी तर्क समस्त सदस्य इस बात में मेरे साथ सहमत होंगे कि इस प्रकार की आलोचना किंचित कुदृष्टि का परिणाम है और हम जो कुछ कर रहे हैं वह केवल इतना है कि जिस नीति का कुछ ही मास पूर्व सभा द्वारा समर्थन किया गया था उसे हम ईमानदारी के साथ कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

विकास अवहार के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने प्रश्न किया है कि यह रियायत सभी उपक्रमों को क्यों दी गई है जबकि कर जांच आयोग ने सिफारिश की थी कि इस का उपयोग केवल एक प्रवरणीय आधार पर किया जाये । पहली बात तो यह मैं कहना चाहता हूं कि विकास अवहार पूर्ण रूप से अप्रवरणीय नहीं है । यह ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जैसे इमारतें, मोटर कारें, टाइपराइटर दफ्तर की सामग्री इत्यादि । जैसा कि मैं ने कुछ दिन पूर्व राज्य-सभा में आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था, यह ठीक है कि कर व्यवस्था द्वारा किसी हद तक विनियोजन का निर्देशन किया जा सकता है परन्तु उस की भी कुछ सीमायें हैं । मैं मानता हूं कि विकास आयोजन में भेदात्मक प्रेरणा के लिये स्थान हो सकता है और हम पूंजी निर्गम नियंत्रण, उद्योगों के अनुज्ञप्तिकरण जैसे कुछ उपायों से अवांछनीय विनियोजन को रोक सकते हैं। विशेष मामलों में सरकार ऋणों के द्वारा उद्योगों की सहायता भी करती रही है। परन्तु ऐसी परिस्थितियां उपत्न्न हो सकती हैं, और मेरा विचार है कि आगामी पंचवर्षीय योजना के प्रसंग में तो ऐसा होना आवश्यम्-भावी है, जबकि विनियोजन के लिये और भी विस्तृत निर्देश की आवश्यकता पड़ेगी या भेदात्मक रियायतों के सम्बन्ध में विचार करना होगा । कर आयोग ने केवल विभेद के एक स्थूल मानदण्ड का ही संकेत किया है और उस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार द्वारा बनाये गये एक समुचित निकाय, जैसे योजना आयोग, द्वारा ऐसे उद्योगों की एक सूची तैयार करानी होगी जो उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार हों और जिन को रियायतें दी जायें । मुझे विश्वास है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय योजना आयोग इस प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार करेगा । उस समय तक, अच्छा यही है कि इस प्रकार का नया उपबन्ध पहले सामान्य आधार पर लागू कर दिया जाये, विशेषतः इसलिए और भी कि हम रोजगार प्राप्ति के अवसरों का सर्वत्र प्रसार करना चाहते हैं। बाद में आप ने अनुभव के आधार पर और कुछ समय के लिये प्राथमिकताओं को निर्धारित कर के यदि हम आवश्यक समझें तो हम विभिन्न प्रकार के विनियोजनों में विभेद कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : क्या आप को विश्वास है कि इस के स्थान पर अभिनवीकरण नहीं आ जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : गलत अर्थों में अभिनवीकरण का निवारण सदा ही अन्य प्रकार के नियंत्रणों जैसे आयात नियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है । पिछले लगभग एक वर्ष से सूती कपड़े की कुछ मिलों में कुछ मशीनों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में दो प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और आयात को नियंत्रण करने के अधिकार के प्रयोग से हम अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रार्थना पत्रों का अब तक विरोध करते रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विकास अवसर का तो प्रश्न ही क्या है कोई भी अवांछनीय विकास ऐसा नहीं है जिसे रोकने की हमारे पास पूरी शक्ति न हो ।

कुछ सदस्यों ने यह प्रमाणित करने के लिये पत्रिकाओं से उद्धरण पर उद्धरण पेश किये हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग लाभ के रूप में अतुल राशियों का संग्रह करते रहे हैं । जब सरकार अपनी नीति ही यह घोषित कर चुकी है कि वह चाहती है कि देश की अर्थ व्यवस्था का विकास हो और उस विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र का भी स्थान है तो यह बात सरकार की आलोचना का विषय कैसे हो सकता है । यह कहना कि

[श्री सी० डी० देशमुख]

सामान्यतः उद्योग पहले से अच्छी स्थिति में है तो यह तो सरकार की नीति के औचित्य को और भी प्रमाणित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का यह विभाग सरकारी क्षेत्र को या सामान्य जनता को हानि पहुंचाये। इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार पूर्ण रूप से सचेत है और यदि इस सम्बन्ध में कभी कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो वह कार्यवाही अवश्य की जायेगी। कुछ समय बीतने पर यदि ऐसा हो कि कुछ विशेष कारखाने या उद्योग असाधारण लाभ उठा रहे हों और उन का कारण कुछ अलाभ्य सहूलियतें हों जो उन को देश के द्वारा किये गये विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त हुई हों तो निश्चय ही सरकार उचित कार्यवाही करने में नहीं हिचकिचायेगी।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि सरकार की घाटे की अर्थ-व्यवस्था वाली नीति केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को लाभ पहुंचा रही है या उस से लाभ केवल गैर-सरकारी क्षेत्र का ही होगा और ऐसी व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त लाभ कर के उपबन्ध के बिना बहुत ही खतरनाक है। सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जा सकता है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था लाभ स्फीति को उत्पन्न करने का एक ढंग है और इस के द्वारा एक निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होगी और अधिक धनी वर्गों को लाभ होगा। यह बात भी साथ ही साथ याद रखने की है कि योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में जो खर्च किया जा रहा है उस से एक विस्तृत क्षेत्र में आयों में वृद्धि होगी। केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ ही नहीं बढ़ेंगे। कुछ समय बीतने पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था जारी रखी जाये और शीघ्रता के साथ प्रदायों में अभिवृद्धि न हो अर्थात् तो हमारे यहां लाभ स्फीति आरम्भ हो जाये। मैं मानता हूं कि ऐसा परिस्थिति आने पर इस को ठीक करने के उपाय किये जायेंगे। परन्तु अभी तक इस का एक भी प्रमाण नहीं मिला है कि लाभों में अभिवृद्धि बहुत तीव्र गति से हो रही है या दूसरे शब्दों में प्रदाय के कम होने के कारण बाजार बेचने वालों के हाथ में हो। इस लिये धन के कुछ व्यक्तियों के हाथ में जमा हो जाने का या आर्थिक शक्ति के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में संचित हो जाने का कारण घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं है वरन् स्फीतिकारी कुन्तल है। जो आर्थिक ढांचा हम तैयार कर रहे हैं जिस में मुख्य मुख्य व्यवसायों में सरकारी क्षेत्र का प्रसार होगा तथा गैर-सरकारी क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण होंगे, उस में धन तथा आर्थिक शक्ति के और अधिक केन्द्रीकरण का कोई खतरा नहीं है।

अतिरिक्त लाभकर उस समय प्रयोग में लाने वाला अस्त्र है जब मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ रहा हो। साम्यवादी दल के उप नेता इस सम्बन्ध में संभवतः कर जांच आयोग को अच्छा पथ प्रदर्शक नहीं समझेंगे यद्यपि वह अपने तर्कों का पता देने के लिये उस के प्रतिवेदन को उद्धृत करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग ने जो बात कही है वह हमारे ही विचार का समर्थन करती है।

कुछ आलोचना इस प्रकार की गई थी कि सरकार ने इस का कोई प्रयत्न नहीं किया है कि संगठित उद्योगों में जो भारी भारी रक्षित धन राशियां एकत्रित हो रही हैं उन का सामाजिक कार्यों के लिये समुचित प्रयोग किया जाये। इस आलोचना के पीछे यह विचार जान पड़ता है कि ये रक्षित धन बेकार पड़े हैं। यह भ्रान्तमूलक है। रक्षित धन को यदि थोड़े समय के लिये भी प्रति-

भूतियों में लगा दिया जाये तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बेकार पड़ा है। यह कोई भारी समस्या नहीं है और सरकार इस के प्रति भी सचेत हैं। हम यह जानते हैं कि किसी समय में यही रक्षित निधियां आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण का अन्तर्बीज बन सकती हैं। परन्तु यह कहना कि इस समस्या ने अभी से गंभीर रूप धारण कर लिया है किसी हद तक वास्तविकता के प्रतिकूल होगा और सरकार से नियंत्रणों की मांग करना किंचित आदर्शवाद की बात होगी। यहीं पर हमारे और हमारे मित्रों के दृष्टिकोण में अन्तर है। बात यह नहीं है कि हमारा ध्यान इन समस्याओं की ओर नहीं है वरन् बात यह है कि हम समय आने से पहले इस बात को ले कर घबराने नहीं लगते हैं कि इन समस्याओं का मुकाबला कैसे किया जायेगा।

अब मैं एक दूसरे प्रकार की आलोचना को ले रहा हूं कि सरकार ने करों को बढ़ाने के लिये निरन्तर खर्चे का अधिअनुमान तथा राजस्व का अल्पानुमान किया है। यह आलोचना मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि मुझे इस का गर्व है कि मैं प्राक्कलन बहुत ईमानदारी से तैयार करने का प्रयत्न करता हूं।

कुछ सदस्यों ने पिछले वर्षों के आय व्ययक प्राक्कलनों तथा वास्तविक राशियों के बीच के बहुत बड़े अन्तर का उल्लेख किया है और यह सुझाव दिया है कि इस पर ध्यान देते हुए कुल राजस्व घाटे की पूर्ति न की जाये। मैं ने अनेक बार सभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय बजट तैयार किया गया था उस समय हमें इन विभिन्न परिस्थितियों का आभास नहीं था। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम यथाशक्ति ठीक ठीक अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, किन्तु श्रीमान्, मैं केवल वित्त मंत्री हूं, कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। यदि कोई कल्पनातीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं और हमारे प्राक्कलनों में गड़बड़ी कर देती हैं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हम अपना आयव्ययक इस आधार पर तैयार करें कि यह गड़बड़ियां वर्ष प्रति वर्ष होती ही रहेंगी :

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : क्या यह सब नक्षत्रों के कारण होता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह भी ज्योतिषी ही जानें। यदि मुझे परिस्थितियों का पहले ही ज्ञान हो सके तो मैं आयव्ययक तैयार करते समय ठीक ठीक प्राक्कलन कर सकता हूं। मैंने इन आंकड़ों पर पुनः विचार किया है और पिछले सात वर्षों में हमारे अनुमानों में व्ययपक्ष की अपेक्षा राजस्व पक्ष में अधिक असत्य सिद्ध हुए हैं। १९४९-५०, में राजस्व प्राक्कलन की अपेक्षा २७ करोड़ रुपया बढ़ गया जबकि व्यय ६ करोड़ रुपया कम हो गया। १९५०-५१ में राजस्व ७२ करोड़ रुपये बढ़ गया जबकि व्यय केवल १३ करोड़ रुपये ही बढ़ा। १९५१-५२ में राजस्व में १ अरब १३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि व्यय में केवल ११ करोड़ रुपये की। कदाचित इसी वर्ष हम को आयव्ययक के पारित होने के बाद निर्यात शुल्कों के विषय में विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। १९५२-५३ में आयव्ययक के अनुमान की अपेक्षा राजस्व में ३० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि व्यय ५ करोड़ रुपये कम हो गया। इन आंकड़ों से ज्ञात हो सकता है कि व्यय का अनुमान लगभग ठीक ही लगा रहा है जब कि परिस्थिति ऐसी रही है जिस में कि रक्षा सेवाओं के लिये सामान की प्राप्ति बड़ी अनिश्चित रही है और योजना के अन्तर्गत व्यय अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। ये जो आंकड़े मैं ने प्रस्तुत किये हैं वे आय-व्ययक के अन्तिम लेखे हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

जहां तक राजस्व में वृद्धि होने का प्रश्न है वह मुख्यतः उत्पादन-शुल्क और आयकर के कारण बढ़ा है। कोरिया के युद्ध के उपरान्त आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार नये निर्यात शल्क लगाये गये। इन सब बातों के विवरण समय समय पर सभा को दिये गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है इन परिवर्तनों का सामना करने के लिये संसद् ने सरकार को नवीन निर्यात-शुल्क लगाने और संसद् की अनुमति के बिना निर्यात शुल्क में वृद्धि करनेके अधिकार दिये हैं। अतः यह तो स्वाभाविक ही था कि राजस्व में वृद्धि होती।

जहां तक आयकर का प्रश्न है, पिछली बकाया को वसूल करने में काफी परिश्रम किया गया था और लोगों को स्वतः अपने धन का हाल बताने के लिये प्रोत्साहित किया गया था, इसलिये यह वृद्धि हुई। ये सब बातें मैं ने इसलिये कहीं हैं। क्योंकि मैं सभा को बताना चाहता था कि हम इन सब परिवर्तन-कारी परिस्थितियों का पहले से ही ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते थे किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि मैं उल्टा सीधा प्राक्कलन प्रस्तुत कर दूं और अपनी कराधान नीति में कोई परिवर्तन करूं। जैसा मैं ने अपने आयव्ययक भाषण में कहा था कि हमारी आर्थिक नीति का आधार यही होना चाहिये कि हम अपनी चालू वर्ष की आय से ही अपने चार वर्ष के समस्त व्यय को पूरा करें, किन्तु अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं ने इस सिद्धान्त के शत प्रतिशत अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया है और अपने राजस्व की कमी की ओर कम ध्यान दिया है। किन्तु माननीय सदस्यों के भाषणों के अनुसार यदि सरकार ने कर में रियायत करने का निश्चय किया तो यह कमी और भी अधिक बढ़ जायेगी। यदि राजस्व में थोड़ी सी ही कमी रहे तो मुझे विशेष चिन्ता नहीं है। मैं पिछले वर्षों का उदाहरण ले कर, कि आय में आधिक्य हो जायगा या वास्तविक व्यय कम होगा, यह खतरा मोल नहीं ले सकता कि राजस्व की कमी को इसी प्रकार छोड़ दूं।

श्री बंसल ने कहा कि राजस्व और पूंजी व्यय के वर्गीकरण की पुनः जांच की जानी चाहिये और इस प्रश्न को किसी समिति को सौंपा जाना चाहिये। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न को सदैव ध्यान में रखते हैं और जिस व्यय का उत्पादन से सम्बन्ध होता है अथवा जिस व्यय से कुछ आस्तियां पैदा होती हैं उसे हम पूंजी व्यय में स्थानान्तरित करते जा रहे हैं, किन्तु मैं स्वयं इस प्रश्न पर पुनः विचार करूंगा और नियंत्रक महा लेखा परीक्षक से परामर्श करूंगा किन्तु मुझे सन्देह है कि केन्द्र द्वारा किये जाने वाले व्यय में व्यय को राजस्व से पूंजी व्यय में स्थानान्तरित करने की कोई गुंजाइश हो सकेगी।

एक माननीय सदस्य ने पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वास्तविक आंकड़ों के अधिकाधिक अन्तर के विषय में कहा है और पूछा है कि जब पुनरीक्षित प्राक्कलन दस महीने के आंकड़ों पर आधारित होते हैं तब इतना अन्तर क्यों होता है। पहले तो इस के लिये मुझे यह कहना है कि उत्पादन सीमा-शुल्कों के अतिरिक्त हमारे प्राक्कलन मुख्यतः आठ महीनों के आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। व्यय के सम्बन्ध में, आयव्ययक निर्माता वर्ष के शेष चार महीनों के व्यय का उपबन्ध करते हैं और इस प्रकार जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, पुनरीक्षित आंकड़े थोड़े से बढ़ा चढ़ा कर तैयार किये जाते हैं। जहां तक विकास व्यय का सम्बन्ध है. व्ययकारी मंत्रालयों ने पंचवर्षीय योजना

को लागू करने की चिन्ता में बड़ी बड़ी आशायें बांध रखी हैं ।

किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वास्तविक व्यय के विषय पर विचार करते समय सभा को दो बातें ध्यान में रखनी चाहियें। पहली बात तो यह है कि इन प्राक्कलनों पर कोई कराधान नीति आधारित नहीं की जाती है और पुनरीक्षित प्राक्कलन केवल भविष्य का मार्ग दर्शन करने के लिये होते हैं । ये आंकड़े तो केवल हमारे अनुभव में सहायक होते हैं । दूसरी बात यह है कि वर्तमान लेखा व्यवस्था में व्यय पर नियंत्रण उतनी अच्छी प्रकार नहीं होता है जैसा कि उस समय हो सकता जब कि महालेखापाल के बजाय व्यय करने वाले मंत्रालय स्वयं अपने यहां लेखों का ब्यौरा रखते । इसी स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। और हम तीन बड़े विभागों में उन के द्वारा ही लेखों का ब्यौरा रखे जाने का प्रबन्ध करना चाहते हैं। इस प्रयोग को हम और भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे किन्तु जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें वर्तमान अवस्था के अनसार ही कार्य करना पड़ेगा ।

जहां तक बड़े अन्तरों का प्रश्न है उन के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बताना ठीक समझता हूं क्योंकि डाक्टर लंका सुन्दरम् ने इस ओर संकेत किया है। १९४९–५० और १९५०–५१ में पुनरीक्षित आंकड़ों की अपेक्षा राजस्व में क्रमशः १८ करोड़ और २३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । इन वर्षों में हम ने मुद्रा प्रसार के संकट को कम से कम करने के लिये हम ने राजस्व की वसूली में अधिक दिलचस्पी ली और अगले दो वर्षों में राजस्व में पुनरीक्षित प्राक्कलनों की अपेक्षा प्रत्येक वर्ष में १७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । यह वृद्धि मुख्यतः आयकर की वसूली में हुई वृद्धि के कारण हुई । इस प्रकार इन वर्षों के अन्तिम महीनों में राजस्वों में अधिकाधिक वृद्धि हुई थी, और जब राजस्व इस प्रकार आ रहा हो तो कोई भी वित्त मंत्री केवल पुनरीक्षित आंकड़ों को ठीक बनाये रखने के लिये ही उसे रोकने की चेष्टा नहीं करेगा ।

व्यय में भी काफी अन्तर रहा है, और इन चार वर्षों का औसत २३ करोड़ रुपये रहा है और इस अन्तर को सैनिक तथा असैनिक प्राक्कलनों में समान रूप से बांटा जा सकता है । इस के लिये भी मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं । व्यय कम होने का कारण यह था कि व्ययकारी मंत्रालयों ने उतना व्यय नहीं किया जितना कि उन्हें विकास योजना को कार्यान्वित पर उन्हें व्यय करना चाहिये था ।

जहां तक असैनिक व्यय का प्रश्न है, जितने सामान की हमें आवश्यकता थी उतना आ नहीं आ सका, किन्तु पिछले दो वर्षों में हमारे राजस्व प्राक्कलन बहुत कुछ ठीक सिद्ध हो रहे हैं । उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्वों के अतिरिक्त जिस में कि हमें विशेष रूप से निर्यात-शुल्क के क्षेत्र में अनेक विषयों में परिवर्तन करने होते हैं. हमें आशा है कि भविष्य में हमारे प्राक्कलनों में इतना अन्तर नहीं दिखाई देगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान् १९५३-५४ में बजट में ४५ लाख रुपये का आधिक्य बताया गया था जो बाद में १६.९६ करोड़ के घाटे में परिणत हुआ और वास्तविक आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष ८.५० करोड़ रुपये का घाटा हुआ । इस से ज्ञात होता है कि पहली प्रणाली को देखे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् मैं ने तो सब आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं । मैंने अभी उन का पूरा विवरण दिया है और इन आंकड़ों को अस्वीकार करना मुझे शोभा नहीं देता है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

व्यय के सम्बन्ध में भी हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि मंत्रालयों के व्यय पर नियंत्रण रहे और वे अनुचित व्यय न करें। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि आयव्ययक प्राक्कलनों के विपरीत असाधारण परिवर्तन हो जाते हैं विशेषत: १९५१-५२ के राजस्व आधिक्य ने तो हमें चकित कर दिया था। योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि योजना के पांच वर्षों में आयव्ययक के अनुसार केन्द्रीय राजस्व में प्रतिवर्ष २६ करोड़ रुपये का आधिक्य रहेगा। यह उस योजना में था जिस का सभा द्वारा अनुमोदन किया गया था किन्तु १९५१-५२ में असाधारण परिस्थितियों के कारण ११८ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा। उस वर्ष उत्पादन-शुल्क से प्राप्त राजस्व ७५ करोड़ और आयकर से प्राप्त राजस्व २३ करोड़ रुपये अधिक था। १९५२-५३ में स्थिति बदल गई और केवल ३९ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा और १९५३-५४ में केवल ८ करोड़ रुपये का। इस प्रकार योजना द्वारा अपेक्षित ७८ करोड़ रुपये के आधिक्य की अपेक्षा इन वर्षों में १ अरब ७५ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा। इस वर्ष मुझे ५ करोड़ रुपये के घाटे की आशा है। और अगले वर्ष ८ करोड़ रुपये की। इस प्रकार पंच वर्षीय योजना द्वारा अपेक्षित इन सब वर्षों के कुल १३० करोड़ रुपये के आधिक्य की अपेक्षा वास्तविक आधिक्य १६२ करोड़ रुपये के लगभग होगा। इस अवधि के कुल २६ अरब रुपये के राजस्व में केवल ३२ करोड़ आधिक्य के अन्तर को विशेष अन्तर नहीं कहा जा सकता है। यह धन मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से एकत्र किया गया है। मैं जानता हूं कि अब स्थिति दूसरी हो गई है। इस धन से अगली योजना में सहायता मिलेगी और राज्यों तथा रेलवे की जो कमी है उसे दूर करने में सहायता मिलेगी। वित्त आयोग के पंचाट के परिणाम-स्वरूप हमें ८४ करोड़ रुपये राज्यों के लिये स्थानान्तरित करने पड़ेंगे और इस के साथ इन वर्षों के रेलवे के अनुमानित आधिक्य में ६० करोड़ रुपये की कमी है।

डा० लंका सुन्दरम् ने व्याख्यात्मक ज्ञापन के सुधार के लिये भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मुझे उन की जांच करनी होगी तथा मैं उन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आयव्ययक पत्रों में माननीय सदस्यों को सभी सूचनायें देने का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा। पूंजी आयव्ययक के विश्लेषण के सम्बन्ध में मैं अपने आयव्ययक भाषण की कंडिका ४८ की ओर निर्देश करूंगा जिस में मैं ने इस के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया है।

कई माननीय सदस्यों ने कराधान जांच आयोग की इन सिफारिशों की ओर निर्देश किया है कि लोक-व्यय की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाये। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, इस विषय को उन्हीं को निश्चित करना है। साथ ही साथ हम व्यय की बढ़ोतरी पर दृष्टि रख रहे हैं। तथा सभी ओर मितव्ययता करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि योजना की प्रगति के साथ साथ व्यय भी बढ़ गया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने एक आर्थिक ईकाई नियुक्त की है जो विभिन्न मंत्रालयों की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं की लगातार जांच करती है तथा एक संगठनों और पद्धति विभाग भी है जिस को कुछ दिन पूर्व ही वर्तमान संगठनों और पद्धतियों की जांच करने तथा इन को प्रभावोत्पादक तथा मितव्ययी स्तर पर रखने के लिय स्थापित किया गया है। प्राक्कलन समिति लोक व्यय में मितव्ययता करने की समस्या पर लगातार विचार कर रही है। इस के आधार पर इस समस्या की

जांच करने के लिये एक तदर्थ समिति की नियुक्ति करना व्यर्थ है । परन्तु सरकार ने आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है तथा इस सब पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा । जिन सदस्यों ने मितव्ययता की संभावनाओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं उन सभी को निमंत्रित करता हूं कि वे सब एक स्थान पर समवेत हों तथा उपयुक्त सुझाव दें कि कहां कहां मितव्ययता करना संभव है ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : क्या मैं उन का ध्यान ब्रह्मा से किये गये चावल के सौदे की ओर आकर्षित कर सकती हूं जिस में ४५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था तथा जो किसी भी काम नहीं आया ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार से माननीय सदस्य को ब्रह्मा के चावल के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्ति है । उस का कुछ मूल्य ऋण में मुजरा दिया जाना था । अभी तक कोई हानि नहीं हुई है । दो मूल्य थे, एक ४८ पौंड प्रतिटन का तथा दूसरा ३५ पौंड प्रति टन था । प्रत्येक अवस्था में इसे चावल के लिये ३५ पौण्ड देने थे और जहाज से उतारने के पश्चात् उस का मूल्य १७ रुपये ८ आने प्रति मन के लगभग होता ।

श्रीमती कमलेन्दु मति शाह : मेरा निर्देश गोदामों में होने वाली हानि की ओर है ।

श्री सी० डी० देशमुख : बिल्कुल ठीक है । यह नष्ट नहीं हुआ है । वह अब भी वहीं है । उस समय समाहार करने का मूल्य भी इतना था जिस से कि वितरण करने का मूल्य १७ रुपये ८ आने होता । उस समय यही सामान्य समस्या थी । हमारे धन के द्वारा हमें परेशानी होगी ऐसी आशा करने के कोई कारण नहीं थे । सत्य यह है कि विदेशों से आयात करने के स्थान पर हमें स्वर्ग से मनोवांछित आयात मिल गया । दूसरे शब्दों में, आशा तथा सांख्यकी के विपरीत इतना मानसून आया कि अचानक ही हमारे पास चावल का अतिरेक हो गया, जिस के कारण अस्थायी तौर पर हमें परेशानी हो रही है । मेरे विचार से हम ने ब्रह्मा के चावल के लिये मूर्खतापूर्ण सौदा नहीं किया । हम ने इस पर पूर्णतया विचार किया था ।

इस सम्बन्ध में, मैं श्री एस० एन० दास द्वारा असैनिक प्रशासन के व्यय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में की गई आलोचना की ओर निर्देश करता हूं । अगले वर्ष के व्यय की वृद्धि की प्रतिशतता मुख्यत: इस कारण अनुपातिक है क्योंकि इस शीर्ष के अधीन विकास व्यय की बड़ी धन राशि भी सम्मिलित कर दी गई है । मेरे विचार से आप इस से सहमत होंगे कि प्रावकलन में किये गये परिवर्तनों पर दृष्टिपात किये बिना ही प्रतिशतताओं की तुलना करना ठीक नहीं है ।

विरोधी माननीय महिला सदस्या द्वारा की गई आलोचना के सम्बन्ध में एक शब्द कहता हूं । मैं ने माननीय सदस्या के जोरदार भाषण को कुछ हैरानी से सुना । उन्होंने रिजर्व बैंक के मुद्रा तथा वित्त प्रतिवेदन के आंकड़ों की कई असंगतताओं की ओर निर्देश किया । मैं ने इन आंकड़ों की जांच कराई तथा मुझे खेद है कि ये असंगतियां केवल माननीय सदस्या की कल्पना में ही हैं । उन्हों ने चार चतुर्थांशों के आंकड़ों को सामूहिक रूप से जोड़ कर, एक वर्ष का कुल राजस्व निकाल लिया है ।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : असंगत होना उन का जन्म-सिद्ध अधिकार है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं 'असंगत' शब्द नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं उन्हों ने प्रत्येक चत्वार के सामूहिक आंकड़ों को जोड़ कर एक वर्ष के राजस्व की राशि निकाल ली है। इसी प्रकार उन्हों ने चार चतुर्थांशों के उत्पादन के आंकड़ों को जोड़ कर एक वर्ष का उत्पादन निकाल लिया है। मैं उन उलझनों के केवल दो उदाहरण दे रहा हूं जिन के आधार पर उन्हों ने पिछले आठ वर्षों की सरकारी नीतियों की आलोचना की है।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : प्रति व्यक्ति आय जो कि कम हो गई है, के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह कम नहीं हुई है अपितु बढ़ी ही है। यह प्रश्न प्रायः बार बार उत्पन्न होता है। डा० वी० के० आर० वी० राव ने, वर्तमान जांच के समान युद्ध की समाप्ति के कुछ बाद की गई जांच के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। जनता इन आंकड़ों को थोक मूल्य देशनांक से चार अथवा पांच बार गुणा करते हैं तथा एक संख्या निकालने के पश्चात्, उस की एक अन्य संख्य से तुलना करते हैं जो राष्ट्रीय आय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है। इन दोनों आंकड़ों की तुलना नहीं हो सकती है। यदि हम राष्ट्रीय आय जांच समिति के आंकड़ों को देखें तो हमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई प्रतीत होती है।

कुमारी एनी मैस्करीन : आय-व्ययक के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्या को अवसर मिल चुका है। मैं मानता हूं कि मैं ने उन आंकड़ों की अभी जांच नहीं की है जिन को उन्हों ने अपने भाषण में तथामुझे लिखे गये एक पत्र में प्रस्तुत किया था। लिखित पत्र का उत्तर यथाशीघ्र मिल जायेगा। परन्तु मैं उन की आलोचना के सम्बन्ध में इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि यह धारणा बन जाये कि रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा वित्त प्रतिवेदन गलतियों से पूर्ण है क्योंकि भूतकाल में, उस के बनाने में मैं ने भी किसी रूप में भाग लिया था। उन्हों ने प्रतिवेदन की आलोचना करने में कठोर शब्दों का प्रयोग किया था परन्तु मुझे सन्देह है कि उन का आशय भी वही था। इस सब से यह ज्ञात होता है कि स्त्रियां आंकड़ों को ठीक प्रकार से जोड़ घटा नहीं सकती हैं तथा लोगों को भरमा सकती हैं। उन को मेरा यही परामर्श है कि सांख्यकी का प्रयोग किसी को पीटने के लिये डंडे के रूप में न किया जाय।

आय-व्ययक टक्नीक के सुधार के सम्बन्ध में मैं श्री अशोक मेहता द्वारा बताये गये सुधारों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। उन्हों ने आय व्ययक के कृत्यों तथा शेष अर्थ व्यवस्था पर होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रिया के रूप में आयव्ययक की जांच किये जाने का प्रश्न उठाया। वित्त मंत्री के रूप में, मैं श्री मेहता के इस वक्तव्य की सराहना करता हूं कि आय-व्ययक आधारभूत सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक महत्वपूर्ण तथा सैद्धान्तिक वस्तु है। इसीलिये आय-व्ययक के आय पक्ष को दृढ़ करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जायें। कुछ प्रगतिशील देशों में, राष्ट्रीय आय का ३० अथवा ४० प्रतिशत आय-व्ययक में ले लिया जाता है। परन्तु इस देश में इतना करना न तो वांछनीय है और न ही संभव है। परन्तु राष्ट्रीय आय का ७ अथवा ८ प्रतिशत भाग ले कर जो कि इस समय हम राजकोष में लेते हैं, एक लोक-हितकारी राज्य तथा विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। माननीय सदस्य ने आय-व्ययक बनाने सम्बन्धी अन्य प्रश्नों जैसा कि उस के रूप, सरकारी लेखों का

उपयुक्त स्वरूप, सामाजिक लेखा श्रेणियों के आधार पर आय-व्ययक का प्रस्तुत किया जाना तथा आय-व्ययक के शीर्षों के अधिक अर्थयुक्त शब्दों द्वारा पुनः विभाजन के सम्बन्ध में कहा है । सरकारी आय-व्ययक के कई कृत्य होते हैं तथा मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि उपस्थापन तथा लेखांकन के भिन्न भिन्न तरीके भिन्न भिन्न कार्यों के लिये उपयुक्त हैं परन्तु यह आय-व्ययक, सरकारी राजस्व और व्यय पर पर्याप्त संसदीय नियंत्रण रखने के विचार से प्रस्तुत किया गया है । इसलिए यह एक लेखा आय-व्ययक है । सरकार के वाणिज्यिक तथा अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखे आय-व्ययक के सामान्य लेखों से अलग, वाणिज्यिक आधार पर रखे जाते हैं । मेरे विचार से श्री महेता निष्पादन आय-व्ययक सम्बन्धी सुझाव के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय में कुछ दिन पूर्व स्थापित किये गये संगठित तथा पद्धति एकक सरकारी विभागों के कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करेगा । हमारे सामने भारत में आय-व्ययक को इस प्रकार प्रस्तुत करने की समस्या है जिस से कि योजना पर हो रहे व्यय की प्रगति स्पष्ट हो, परन्तु इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है, तथा मैं यह बता दूं कि यह समस्या हमारे लिये कोई विचित्र नहीं है यह दूसरे देशों में भी उत्पन्न हो चुकी है क्योंकि अधिकतर मामलों में सरकारी आय-व्ययक कार्यपालिका द्वारा धन के अनुत्तरदायी रूप से व्यय किये जाने पर विधान-सभा के नियंत्रण को सुनिश्चिय करने के उद्देश्य से बनाये गये हैं । परन्तु अब तो विधान सभा ही कार्यपालिका द्वारा व्यय करना चाहती है । जब तक करों को कम करने के सम्बन्ध में ही सोचा जाता था तथा सरकारी व्यय को कम करने के सम्बन्ध में ही विचार किया जाता था तो आय-व्ययक प्रस्तुत करने के यह उपाय अपर्याप्त हो सकते थे । परन्तु अब जब कि आय-व्ययक को अर्थ-व्यवस्था को बनाने वाला समझा जा रहा है तथा उस का सामाजिक अभिप्राय है तब उपस्थापन तथा लेखा रखने के नये उपाय ढूंढ़ने ही पड़ेंगे । भारत में हमारे लिये एक अन्य कठिनाई यह भी है कि हमें न केवल केन्द्रीय आय-व्ययक को ही अपितु राज्य आय-व्ययक का भी ध्यान रखना पड़ता है और यह सभी एक साथ ही उपलब्ध नहीं होते हैं । आय-व्ययक के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है तथा इस बात पर भी चर्चा हो चुकी है कि क्या सभ्य देशों में प्रयुक्त की जा रही लेखा श्रेणियां कम विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में भी प्रयोग में लाई जा सकती हैं । मैं समझता हूं कि एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये नियुक्त आर्थिक आयोग इस समस्या पर भी विचार कर रहा है । उस का विचार निकट भविष्य में टैक्नीकल स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित करने का है तथा हम इस सम्बन्ध में हो रही प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं ।

मैं आय-व्ययक की उस आलोचना के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं जिसे अधिकतर कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों ने की है । कुछ उसमें से ठीक भी है यद्यपि पूर्णतया न्याय-युक्त नहीं है । एक माननीय सदस्य ने अर्थ-व्यवस्था की तुलना रोगी से की है तथा कहा है कि अच्छे डाक्टर द्वारा दिये गये नुस्खों का भी रोगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । मेरे विचार से यह स्थिति का ठीक वर्णन नहीं है । भारतीय अर्थ-व्यवस्था योजना प्रारम्भ होने के समय की अर्थ की व्यवस्था की तुलना में अधिक सुचारू रूप से चल रही है परन्तु एक दुबला-पतला व्यक्ति केवल एक दिन में ही तो पहलवान नहीं बन सकता है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

केवल अंध विश्वासी लोग ही जादू द्वारा चिकित्सा में विश्वास रखते हैं, और केवल पाखंडी वैद्य ही ऐसी आशा दिलाया करते हैं कि दमे के रोग को पांच मिनट में ठीक किया जा सकता है ।

जहां तक चीन और भारत की तुलनात्मक प्रगति का सम्बन्ध है, वास्तव में हमारे पास कोई तुलना योग्य आंकड़े नहीं हैं । हमें यह ज्ञात नहीं है कि चीन की राष्ट्रीय आय कितनी है तो भी हम यह जानते हैं कि जिस प्रणाली के अनुसार उन्हों ने कार्य करने का निश्चय किया है, उस के द्वारा और कुछ एक ऐतिहासिक घटनाओं के परिणामस्वरूप, प्रारम्भ में तो वे हमारी अपेक्षा अधिक सफल होंगे ।

कुछ सदस्यों ने इस योजना में रह जाने वाली कमियों की ओर निर्देश किया है । इन कमियों के कारण कई बार समझाये जा चुके हैं । प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि योजना बनाने तथा विकास के कार्य में, सदैव एक सशक्त प्रशासनीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है । आज प्रातः ही एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आवश्यक क्षेत्र-कर्मचारियों को एकत्रित करने में बहुत समय लग जाता है । कुछ अवस्थाओं में तो प्रशिक्षित कर्मचारी मिलते ही नहीं । इसलिये तो मैं ने अपने आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में यह कहा था कि हमारे प्रयत्नों की सफलता जितनी वित्त पर निर्भर करती है उतनी ही संघटन कार्य पर भी निर्भर करती है । मेरा विचार तो यह है कि यह सफलता वित्त की अपेक्षा संघटन-कार्य पर अधिक निर्भर करती है । हमने गत कुछ वर्षों में इस योजना पर दुगने से भी अधिक खर्चा कर दिया है और ऐसी प्रस्थापना है कि यह धन राशि इसी गति से बढ़ती जाय । आयोजन एक निरन्तर क्रिया है, अतः ज्यों ज्यों हम आयोजन करते हैं त्यों त्यों हम और अधिक सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और ज्यों ज्यों हमें अनुभव होता है, त्यों त्यों हम अपनी योजना को सुधारते जाते हैं ।

बहुत से सदस्यों ने कृषि पदार्थों के मूल्यों में हाल ही में होने वाली कमी की ओर निर्देश किया है । वास्तव में यह एक गंभीर समस्या है जिस के प्रति सरकार को सचेत होना पड़ेगा । कुछ वर्ष पूर्व ऐसा प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या योजना में निर्धारित किया गया अन्न-उत्पादक का लक्ष्य वास्तव में पूर्ण भी हो सकेगा । अर्थात् उस समय, इस लक्ष्य को बहुत ऊंचा समझ कर इस के पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया जा रहा था । परन्तु सौभाग्य से अन्न के उत्पादन में हम उस लक्ष्य से भी आग बढ़ गये हैं । सौभाग्य की इस नयी कवटि ने हमारे सम्मुख एक और गम्भीर समस्या ला उपस्थित की, और वह है भावों में कमी परन्तु मुझे विश्वास है कि यह समस्या अधिक दिनों तक नहीं रहेगी । आय-व्ययक में निर्धारित किये गये भावों पर सरकार की ओर से किये गये खर्चे से तथा ३०० करोड़ से अधिक रुपयों के घाटे की अर्थ व्यवस्था से भावों की यह अवस्था अवश्य बदलेगी । मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि इस अविलम्बनीय समस्या को हल करने के लिये और कोई कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । परन्तु मैं यह बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि इन कर-प्रस्थापनाओं द्वारा क्रय-क्षमताओं में होने वाली कमी के साथ ही साथ, इस घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण नौकरी तथा आय पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दृष्टि में अवश्य रखना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि सभी लोगों की विशेषतः कम आय वालों की क्रय-क्षमता बढ़े, और यद्यपि यही इस का स्पष्ट उत्तर है, तथापि सारी

योजना ही वास्तव में इस का उत्तर मात्र है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम इस में जो कार्य करना चाहते हैं वह यह नहीं है कि केवल मात्र क्रय-क्षमता का पुनर्वितरण कर दें, अपितु हम तो सभा की क्रय-क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं इस का वास्तविक अर्थ यह है कि हम सवांग उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। कई एक परिस्थितियों में उत्पादन सम्बन्धी सुविधाओं की कमी होने के कारण, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इसी लिये तो मेरा यह मत है कि एक सोच विचार कर बनाई गई योजना के तीव्र गति देने वाली घाटे की अर्थ-व्यवस्था, हमारे आर्थिक विकास के कार्य में पर्याप्त सहायता करती है।

सरकार ने पहले से ही यह घोषणा की हुई है कि वह कुछ खाद्य पदार्थों के भावों की रक्षा करेगी और यह आवश्यक है कि इन खाद्य पदार्थों के क्रय, विक्रय, भण्डार में संचित करने और उन्हें वर्गों में विभाजित करने के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध करने चाहियें ताकि भावों की रक्षा करने वाली सरकार की नीति ठीक प्रकार से चल सके। संभव है कि हम न केवल इसी समस्या को अपितु भावी समस्याओं को भी किसी प्रकार के निगम के निर्माण के द्वारा हल कर सकें। यह निगम खाद्यान्न का खुला व्यापार करेगा। जिस प्रकार भारत का रक्षित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में करता है। यह केवल एक विचार मात्र है जिस का सरकार द्वारा अभी तक पूरा अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसे कृत्यों का प्रभाव यह होगा कि कृषि सम्बन्धी भाव स्थिर हो जायेंगे हमें कोई निगम बनाना होगा अथवा और कोई संस्था बनानी होगी। और यह निगम अथवा संस्था अपना कार्य सफलतापूर्वक कैसे कर सकेगी। इन प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक सोच विचार करना पड़ेगा क्योंकि यह एक बड़ी ही उलझन पूर्ण समस्या है।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात को लेता हूं और वह है देश में रोजगार की स्थिति। वक्ताओं द्वारा उस के सम्बन्ध में दिये गये सभी भाषणों को मैं ने सुना है, परन्तु किसी भी वक्ता ने जिन उपायों का हम अनुसरण कर रहे हैं, उन के अतिरिक्त और किसी उपाय का सुझाव नहीं दिया है। अविकसित अर्थ व्यवस्था वाले किसी देश की बेकारी समस्या, उन्नत देशों में कभी कभी उत्पन्न हो जाने वाली बेकारी समस्या से पूर्ण रूपेण भिन्न है क्योंकि द्वितीय प्रकार की बेकारी समस्या शीघ्र ही हल की जा सकती है। कारण यह है कि वहां पर जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता है वे सभी उपकरण वहां उपस्थित हैं। परन्तु अविकसित अर्थ व्यवस्था वाले देश में तो एक एक ईंट जोड़ कर नये भवन का निर्माण करना होता है, धन-विनियोजन को बढ़ाते जाना पड़ता है ताकि आय की उत्पत्ति हो सके। उपभोग करने योग्य वस्तुओं के सम्भरण में विस्तार करना पड़ता है जिन पर यह आय खर्च की जा सके, और इस आय धन को फिर से व्यापार में लगाना, और इस प्रकार से इस क्रमिक प्रक्रिया से निरन्तर आगे बढ़ते जाना होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में धन-विनियोजन के लक्ष्य कोई बहुत ऊंचे नहीं रखे गये थे क्योंकि जिस समय उस योजना का निर्माण किया गया था, उस समय परिस्थितियां ही और थीं। यांत्रिक उद्योगों में पहले ही पर्याप्त मात्रा के अतिरिक्त श्रमिक कार्य कर रहे थे। अतः इस औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने के उपरान्त भी उस के अनुरूप मजदूरों को अधिक काम न दिया जा सका। छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और एक नवीन कार्य मंडली के द्वारा यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

छोटे उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिये पूरी पूरी व्यवस्था बनाना बहुत आवश्यक है और इसी लिये हम इस व्यवस्था के अभाव में योजनानुसार धन खर्च न कर सके। परन्तु इस से यह विचार करना गलत होगा कि हमारी योजना पूर्ण रूपेण असफल रही है अथवा बेकारी समस्या को हल करने में हमें किंचित मात्र भी सफलता नहीं मिली है। योजना के इन पांच वर्षों में से चार वर्षों में हमारी श्रमिक-संख्या बढ़ कर लगभग ७० लाख तक अवश्य पहुंच गई होगी क्योंकि यह प्रतिवर्ष १२.५ लाख की दर से बढ़ती गयी है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही पांच वर्षों में इन की संख्या में लगभग १५ लाख की वृद्धि हो जायेगी। आंकड़ों के अभाव में स्थिति का पूरा पूरा मूल्यांकन करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये आंकड़े अब एकत्रित किये जा रहे हैं। तो भी इस योजना द्वारा कितने अधिक लोगों को काम काज प्रदान किये गये है इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। परन्तु फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि यद्यपि इस योजना के चालीस लाख लोगों को अभी तक लाभदायक रोजगार दिलाये हैं, तो भी, श्रमिकों की संख्या में होने वाली वृद्धि में से लगभग ३० लाख मजदूरों को अन्ततः बेकार रहना पड़ेगा।

श्रमिकों की संख्या १८ लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से चार वर्षों में ७० लाख बढ़ गई है। योजना के ४० लाख श्रमिकों के लिये काम काज ढूंढा है तो शेष व्यक्ति बेकार रहेंगे।

प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिये औसत से कितना धन लगाना पड़ेगा इस की गणना करने के कई उपाय हैं। इन उपायों के द्वारा हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसी गणना की है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिये ३००० रुपये लगाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि यह राशि प्रथम योजना के लिये रखी गई राशि से कुछ भिन्न भी हो परन्तु मेरा विचार है कि इन में अधिक अन्तर नहीं होगा, क्योंकि औद्योगीकरण पर अधिक बल नहीं दिया गया था, जिस में कि प्रत्येक व्यक्ति को काम काज दिलाने में अनुपाततः अधिक धन राशि लगती है।

श्री के० के० बसु : इसके सम्बन्ध में हम गणित पर आधारित पूरी पूरी गणना नहीं कर सकते। यह तो वास्तव में धन खर्च करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं तो यह कह रहा हूं कि ऐसा नहीं समझना चाहिये कि हम ने इतना धन लगा दिया है और एक भी व्यक्ति को काम नहीं मिला है। जैसे कि हम ने धन विनियोग पर सार्वजनिक पक्ष में लगभग १००० करोड़ रुपये और निजी पक्ष में भी लगभग १००० करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इन २००० करोड़ रुपयों को काम काज में लगा दिये गये व्यक्तियों की संख्या पर विभाजित कर के हम इस बात की गणना कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर कितना रुपया खर्च किया गया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : क्या आप ने इस बात की भी गणना की है कि पटसन आदि कुछ उद्योगों में कितनी भारी संख्या में मजदूरों की छंटनी की गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने इस बात का उल्लेख किया है कि बहुत से उद्योगों में अतिरिक्त मजदूर काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण से तो बेकारी की समस्या बढ़ गई है। हमें इस बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिये कि बेकार व्यक्तियों की संख्या १० लाख है या बीस लाख है। मान

लो कि उन की संख्या ३० लाख है। तो इस प्रकार से रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की इस भारी संख्या में से बहुत से व्यक्ति अपने नाम काम दिलाऊ कार्यालय में पंजीबद्ध करा देंगे । काम दिलाऊ कार्यालय में अपने नाम पंजीबद्ध कराने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने का एक और कारण भी यह है कि अपनी पहली नौकरी की अपेक्षा अच्छी नौकरी पाने के इच्छुक बहुत से व्यक्ति भी अपने नाम पंजीबद्ध करा देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि योजना में जिन जिन बातों को पूर्ण करने का प्रण किया गया था, उन्हें पूर्ण नहीं किया गया है। अपितु वास्तविक बात यह है कि इस योजना में कोई लम्बे चौड़े प्रयत्न किये ही नहीं गये थे और यह कोई बहुत बड़ी योजना थी भी नहीं। अतः यह योजना बेकारी की समस्या को एक बड़े पैमाने पर हल करने के सम्बन्ध में, प्रयत्न नहीं कर सकी क्योंकि जैसा मैं ने कहा है इस योजना की रचना ही ऐसे समय पर की गई थी जब कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी ही चिन्ताजनक थी।

श्री अशोक मेहता ने विनियोजन और रोजगार के आपसी सम्बन्ध के बारे में जो बात कही अब मैं उस की ओर आता हूं। यह प्रत्यक्ष है कि नौकरियों की संख्या का आधार विनियोजन की मात्रा पर ही नहीं उस के ढंग पर भी निर्भर करता है। यह बात किसी अन्य सदस्य ने भी कही थी। मैं ने एक अवसर पर बताया था कि हमारा उद्देश्य द्वितीय योजना काल में १२० लाख नौकरियां उत्पन्न करना होना चाहिये। आगामी पांच वर्ष में १८ लाख की दर से उत्पन्न होने वाले नये श्रमिकों को नौकरियां दिलाने अथवा किसी अन्य लाभदायक व्यवसाय में लगाने और वर्तमान बेरोजगारी में कमी करने के लिये इस प्रकार का लक्ष्य अत्यन्त आवश्यक है कुछ मास के समय में इस का पता लग जायेगा। हो सकता है कि हम सारी योजना नहीं तो उस के कुछ भाग को ही पूरा कर सकेंगे। क्योंकि हम एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, पर बाद की पंच वर्षीय योजना हमें न केवल १२० लाख बल्कि इस से भी अधिक लोगों के लिये व्यवस्था करने के योग्य बना देगी। अनुभव अथवा प्राथमिकता के आधारों पर विभिन्न विनियोजन करने से कितने लोग नौकर किये जा सकते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाया जा रहा है कि इस प्रयोजन के लिये कितने विनियोजन की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें औद्योगीकरण की ओर अधिक ध्यान देना है हमें कम से कम ५००० रु० की आवश्यकता होगी। योजना आयोग इस का अध्ययन कर रहा है और समस्त अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विभागों में भी विकास किया जाना है उस का शीघ्र ही पता लग जायेगा।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : नौकरी की व्यवस्था के बारे में आचार्य कृपालानी ने भी कहा था।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे उस बारे में कुछ कहना है।

इस वर्ष में ३०० करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इस धन को इसलिये खर्च करने से नहीं रोका जायेगा कि यह उधार ली गई या घाटे की राशि है। इस से व्यय की जाने वाली कुल राशि बढ़ेगी और साथ ही रोजगार बढ़ेगा।

हमारी अर्थ-व्यवस्था की सब से बड़ी दुर्बलता विनियोजन की कमी है। खाद्य वस्तुओं के मूल्य में कमी और फैली हुई है बेरोजगारी से भी इस प्रकार विनियोजन की कमी का पता चलता है। मुझे विश्वास है

[श्री सी० डी० देशमुख]

कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसे योजना आयोग तैयार करने में लगा हुआ है, अधिक विनियोजन की व्यवस्था की जायेगी जिस से वर्तमान बेरोजगारी कम हो । अगली पंचवर्षीय योजना में इस की ओर अधिकतम ध्यान दिया जायेगा ।

विनियोजन तथा रोजगार बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में लोक क्षेत्र के विस्तार और उस के साथ ही लोगों की बचत बड़ा काम करेगी । और यही हमारी आर्थिक नीति का सार है ।

अब मैं आय-व्ययक प्रस्थापनाओं की योजना की ओर आता हूं । मुझे अन्य बातों के बारे में भी कहना है । पहले मैं अधिक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में कह लूं । वह भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कई सदस्य उस में रुचि रखते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—अनुसूचित जातियां) : हमारे पददलित और अछूत भाइयों के विषय में भी आप के पास कुछ कहने को है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे अनुसूचित जातियों के बारे में भी कहना है परन्तु यह समय पर निर्भर करता है ।

श्री पी० एन० राजभोज : वह बहुत महत्वपूर्ण है उस सम्बन्ध में आप को अवश्य कुछ बताना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे दूसरे विषयों पर बोलने के और कई अवसर मिलेंगे ।

सभा के समक्ष मैं ने जो प्रस्ताव रखे हैं वह उस समाजवादी व्यवस्था करने के लिये, जिस के बारे में हम सोच रहे हैं, सर्व प्रथम और सार्थक कार्यवाही है । मैं दावा करता हूं कि अपने प्रत्यक्ष कर के प्रस्ताव में मैं ने कर जांच आयोग के संकेत पर कार्य किया है बल्कि मैं प्रगतिशील कर के सिद्धान्त को एक कदम और आगे ले गया हूं जोकि समाजवादी व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है । कर से पहले और पश्चात् आय के आंकड़े जो मैं ने राज्य सभा में दिये हैं उन्हें दोहराना व्यर्थ है । मैं ने इन प्रस्तावों में ऊंची दर के कर काफी बढ़ाये हैं । मैं ने वर्तमान प्रणाली में से कुछ त्रुटियां दूर करने का प्रयत्न किया है और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि श्री अशोक मेहता ने भी इस की प्रशंसा की है । यदि आचार्य कृपालानी प्रस्तावों को ध्यान से देखें तो मुझे विश्वास है कि वह कर के ढांचे में कुछ नियमित प्रगति देखेंगे ।

करदाताओं की अधिकतम आय उस अधिकतम सीमा से ज्यादा है जिस का प्रस्ताव कर जांच आयोग ने किया है । श्री गाडगील और कई दूसरे सदस्यों ने इस विषय की ओर निर्देश किया है । मैं बताना चाहता हूं कि आयोग ने कोई सीमा निश्चित नहीं की है । इस ने केवल औसत आय और अधिकतम आय के अनुपात की सिफारिश की है । इस का अर्थ है कि निम्नतम को ऊंचा उठा कर और अधिकतम को नीचा कर के, दोनों प्रकार ही उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है । दूसरे आयोग ने स्वयं कहा है कि उद्देश्य को क्रमानुसार और कुछ समय में किया जाये । इस सम्बन्ध में मैं आयोग का विचार बताता हूं ।

"यह उद्देश्य केवल कर में परिवर्तन करने से ही नहीं बल्कि कई दिशाओं में प्रयत्न करने से पूरा होगा ।"

मेरे विचार में अब मुझे इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रत्यक्ष करों के बारे में कई सदस्यों ने कहा है कि मैं ने मध्यम श्रेणियों के साथ

सस्ती का बर्ताव किया है। ७,५०० रुपये से १०,००० रुपये के खंड पर ६ पाई और १०,००० रु० से १५,००० रुपये के खंड पर ३ पाई कर बढ़ाने के बारे में कहा गया है, एक ही खंड पर कर का प्रभाव देखने से मिथ्या बोध हो जाता है। वह तो केवल दर है। हमें प्रस्तावित परिवर्तनों के सारे प्रभाव को देखना चाहिये। एक विवाहित व्यक्ति १०,००० रुपये की आय पर ५७७ रुपये देता है। आगे के लिये वह ५०८ रुपये देगा और उसे ९ रुपये की बचत होगी। आय १२,००० रुपये अर्थात् १००० रु० मासिक होने पर ही उसे ४४ रु० अधिक देने होंगे जो कि ३ रु० ८ आ० मासिक बैठता है। ऊंचे खंडों में की गई अधिक बढ़ौतियों को देख कर इसे कठोरता नहीं कहा जा सकता। भारत में कर की खंड-प्रणाली है पद प्रणाली नहीं है। परिणाम यह होता है कि अधिक आय वाले लोगों पर लगाया जाने वाला कर विभिन्न खंडों में उचित कर पर निर्भर करता है अतः उस खंड के व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि उस से अधिक आय के खंड के लोगों पर प्रभाव डालता है। ७५०० रु० तक कोई भेदभाव नहीं है। १०,००० रु० की आय वाला व्यक्ति भी आयकर देता है।

श्रीमान्, अब मैं प्रत्यक्ष कर तथा परोक्ष करों के बारे में कहूंगा चाहे इस मामले पर मैं कई बार बोल चुका हूं। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के अनुपात के बारे में कुछ कहने का समय बीत चुका है। मुझे आशा है कि साम्यवादी सदस्य यह जानते होंगे। कुछ साम्यवादी देशों में कर की दोनों श्रेणियों के अनुपात के कुछ आंकड़े मैं बता सकता था। उदाहरणतः मैं कह सकता था कि रूस जैसे देश में प्रत्यक्ष कर कुल करों का केवल १० प्रतिशत है। इन परोक्ष करों के होते हुए भी, जिन की मेरे मित्रों ने बुराई की है रूस की भान्ति वहां एक कमीज पर ५० रु० लागत नहीं आती है। वहां बूट का जोड़ा १५० रु० में आता है और ओवर कोट २००० रु० में।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : इस का आय से क्या सम्बन्ध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन आंकड़ों के बारे में पता किया जा सकता है। एक साधारण श्रमिक की औसत आय ७०० रुपये है और रूबल रुपये के बराबर होता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधायें भी तो हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन सब को जमा किया जा सकता है। फिर भी एक सैंडल के जोड़े के लिये १५० रुपये बहुत अधिक हैं। पर मैं इसे अधिक महत्व नहीं देता। मैं इस प्रकार की तुलना नहीं करता। मैं उन सदस्यों को जिन्होंने वे आंकड़े बताये हैं, यह बताना चाहता हूं कि उन देशों में भी जहां उन की पसन्द के अनुसार काम हो रहा है प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के भेद भाव को इतना महत्व दिया नहीं जाता जितना कि वे दे रहे हैं।

परोक्ष करों के बारे में इतना कुछ कहने के पश्चात् मैं इस वर्ष के वित्त विधेयक में लगाये गये नये और अतिरिक्त करों पर की गई आलोचना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस आलोचना के बारे में उस समय कुछ कहना उपयुक्त होगा जब वित्त विधेयक पर चर्चा की जायेगी। परन्तु मैं ने प्रस्तावों के बारे में कुछ धारणामुक्त रहने का वचन दिया था। और वास्तव में ऐसा ही रहा है यहां तक कि कुछ सदस्यों के कहने का मुझ पर प्रभाव भी पड़ा है। मैं ने कुछ बातें स्वीकार कर ली हैं। कपड़े सीने की मशीनों के बारे में कई सदस्यों ने कहा कि वह कोई विलास वस्तु नहीं है और कई शरणार्थी महिलायें इस से अपनी आजीविका कमा रही हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस बात पर जोर दिया गया है कि लोगों की कम क्रय शक्ति के कारण उत्पादकों को इनका विक्रय बढ़ाने के लिये विवश हो कर इस के मूल्य घटाने पड़े हैं। अतः सब अनुभव करते थे कि मशीनों के लिये प्रस्तावित उत्पादन शुल्क बिल्कुल हटा दिया जाये। इस भावना का आदर करते हुए . . .

एक माननीय सदस्य : मोटे कपड़े और चीनी का क्या हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य बहुत व्याकुल हैं।

सरकार ने निश्चय किया है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों को प्रयोग कर के तुरन्त अधिसूचित कर दिया जाये कि कपड़े सीने की मशीनों और उन के पुर्जों को उस उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाता है जिस का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया था।

कृषि उत्पादकों के मूल्य गिरने पर बहुत से सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है और सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने की जिस का आय-व्ययक प्रस्तावों में भी उल्लेख किया गया है, बड़ी आलोचना की गई है। मुझे यह कठिनाई है कि हम ने सहायता के लिये घटाये हुए मूल्य घोषित कर दिये हैं, इतना समय नहीं था कि उन्हें लागू किया जा सकता और सम्भव है कि काश्तकार खरीदना चाहता हो जबकि सहायता उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने ध्यानपूर्वक इस विषय पर विचार किया है और आप को खुशी होगी कि सभा में कही गई कई बातों और सरकार को मिले अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विनिश्चय किया है कि मध्यम तथा निम्न श्रेणियों और कृषि वर्ग के प्रयोग में आने वले मोटे कपड़े पर वित्त विधेयक में प्रस्ताव किये गये उत्पादन शुल्क को एक आना प्रति वर्ग गज से घटा कर २ पैसे प्रति वर्ग गज कर दिया जाये। हथ कर्घा उद्योग के लाभ के लिये एक पैसा प्रति गज का विशेष उपकर जारी रहेगा।

एक माननीय सदस्य : इसे भी हटा दें।

डा० लंका सुन्दरम् : वह पुरानी दर है। आप पुनः पुरानी दर लागू करें।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात समझ ली गई तो और भी अधिक हर्ष ध्वनि होगी। निस्सन्देह इस राहत से जो अधिसूचना द्वारा तुरन्त दी जा रही है सभी को प्रसन्नता होगी, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने अपनी आलोचना के दौरान में यह भय प्रकट किया था कि कृषि मूल्यों में कमी के साथ साथ कपड़े के शुल्क में वृद्धि से अनेक लोगों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

अतः इन शुल्कों के हटा दिये जाने अथवा कम कर दिये जाने के उपरान्त जो मैं एक आधुनिक संस्कृत कवि द्वारा व्यक्त की गई आशा को दुहरा सकता हूं :

निदाघ काले प्रखरेऽपि देहली ।
सतीव रेजे विशदाम्बर प्रभा ।

सख्त गर्मी में भी देहली में पतझड़ का सा समय रहता है।

निदाघकाले प्रखरेऽपि देहली
सतीव रेजे विशदाम्बर प्रभा ।
शरद् भावाम्भोघर्रमा विडम्बिभिर्
असेम्बली चेम्बर मेम्बराम्बरैं ।

सभी के पास सफेद वस्त्र होंगे, अतः देहली चमकेगी।

आचार्य कृपालानी ने कर जांच आयोग के प्रतिवेदन में से बहुत से उद्धरण दिये हैं और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन की

सिफारिशों को इकट्ठा ही लिया जा सकता है, अलग अलग नहीं। यह बात किसी सीमा तक ठीक है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं हो सकता कि उन की सभी सिफारिशों की अभिपूर्ति तुरन्त हो सकती है या होनी चाहिये। मुझे यह सिफारिशें आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्थापनाओं के निर्धारण से पहले ही मिल चुकी थीं किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इन सब का भली प्रकार अध्ययन करने का समय मिल गया था। यह प्रतिवेदन एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और यह हमारी प्रशुल्क सम्बन्धी नीति के बारे में कई वर्षों तक हमारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा। अभी तो मैं केवल इसी बात को ध्यान में रखना चाहता था कि मेरी प्रस्थापनायें आयोग द्वारा प्रदर्शित लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहियें। निस्सन्देह इन प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करते समय उस काल की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा जिस के लिये करारोपण किया जा रहा हो। सभा के कुछ सदस्यों ने, सम्भवतः श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने, यह कहा है कि उन्हें कर जांच आयोग की सिफारिशें पूर्ण रूपेण स्वीकार्य नहीं हैं। हो सकता है कि उन का मतभेद किसी सिद्धान्त के आधार पर हो और इसी प्रकार अन्य सदस्यों को छोटे छोटे विषयों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, किन्तु यदि आयोग की सिफारिशों के सामान्य ढ़ांचे को और उनके मूलभूत दृष्टिकोण को मान भी लिया जाये तो उन की कार्यान्विति करते समय उन में कुछ न कुछ समायोजन आवश्यक होगा। अतः यह प्रत्याशा तो स्वयं कर जांच आयोग को भी नहीं हो सकती थी कि उन की सभी सिफारिशों की कार्यान्विति इसी आयव्ययक द्वारा कर दी जायेगी, यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि कुछ सदस्यों का उस पुरातन न्याय, अर्थात् अर्ध वैशस न्याय में विश्वास है, जिस के अनुसार आप यह नहीं कह सकते कि एक पक्षी को मार कर आधा पका लिया जाय और आधा अंडे देने के लिये बचा लिया जाय।

श्री तुलसी दास ने राज्य उपक्रमों के लेखाओं की सार्वजनिक जांच किये जाने के बारे में कहा है। समवाय विधि संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में, जो कि इस समय संसद् की एक प्रवर समिति के विचाराधीन है, हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि उक्त विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध रखे जायें कि इन उपक्रमों की लेखा-परीक्षा नियंत्रक महा लेखा परीक्षक द्वारा की जाये और यह लेखे संसद् के सम्मुख रखे जाया करें। अतः जब यह विधेयक सभा के सामने आयेगा तो हमें इस पर सविस्तार विचार करने का अवसर मिल सकेगा। इस समय मैं इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता क्योंकि यह विषय संसद् की एक संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है।

कुछ सदस्यों ने राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों और ऋणों की बढ़ती हुई मात्रा का उल्लेख किया है और यह सुझाव दिया है कि इस विषय पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

आस्ट्रेलिया अनुदान आयोग का उल्लेख भी किया गया है। हम ने १९४६ में इस विषय पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि केन्द्र के पास वितरण के लिये कुछअधिक अतिरेक नहीं है, अतः हमें उस विशेष यंत्र के बारे में कुछ अधिक चिन्ता नहीं है। वही महानियंत्रक लेखा परीक्षक राज्यों के लेखाओं की पड़ताल करता है। किन्तु मैं यह मानता हूं कि हमें उन योजनाओं के सम्बन्ध में जिन्हें केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है अथवा ऋण दिये जाते हैं, घनिष्ठ सम्पर्क रखना चाहिये और जहां तक विकासा-

[श्री सी० डी० देशमुख]

त्मक व्यय का सम्बन्ध है योजना आयोग को इस समस्या को अपनी दृष्टि में रखना चाहिये।

आचार्य कृपालानी ने विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया था। मैं उन से सहमत हूं कि अत्यधिक केन्द्रीकरण खतरनाक है। इस से स्वयं इस का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा ; किन्तु, आयोजन में थोड़ा पहुत केन्द्रीकरण होना अनिवार्य है। इसलिये हमें केन्द्रीय आयोजन के साथ-साथ प्रशासन और क्रियान्विति के विकेन्द्रीकरण की भी आवश्यकता है और इसी लिये हम सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार, छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास, उद्योग तथा वित्त में स्वायत्तशासी सरकारी निगमों की स्थापना, सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाना, स्थानीय कार्य के कार्यक्रमों और लोगों के जिला तथा ग्राम आयोजन कार्यों और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं में लोगों को सम्मिलित होने, आदि पर जोर देते हैं।

मैं श्री टंडन के भाषण की ओर भी संक्षिप्त रूप से निर्देश करना चाहता हूं। जैसा कि मैं ने गत वर्ष कहा था, सुन्दर ग्राम के विषय में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं किन्तु मुझे खेद है कि इस सुझाव को सम्बन्धित प्राधिकारियों तक पहुंचा देने का कोई फल नहीं निकला। मैं अब एक और तरीका अपना रहा हूं और वह यह है कि केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में इस के लगभग एक हजार केन्द्र हैं। ये बहु प्रयोजनीय केन्द्र हैं और अब प्रत्येक ग्राम में एक प्रकार की ग्राम सेविका होगी। मैं आशा करता हूं कि इस भावना की सहायता से प्रत्येक ग्राम एक साफ-सुथरा और सुन्दर ग्राम बनेगा और ग्रामीण इस पर गर्व कर सकेंगे। श्री टंडन की तरह मुझे इस में बहुत विश्वास है।

श्री पी० एन० राजभोज : वह तो सब ठीक है, लेकिन वह चीज अमल में नहीं आती है। अमल में कब आयगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि मैं ने अनुसूचित जातियों के बारे में कुछ न कहा, तो माननीय सदस्य बहुत नाराज होंगे। मेरे विचार में उन के आवास की ओर सब से पहले ध्यान देना चाहिये और उन के मकान भी वैसे ही होने चाहियें जैसे कि अन्य लोगों के हैं या इन से भी अच्छे होने चाहियें। माननीय सदस्य ने कई बार अनुसूचित जातियों की शिकायतों की ओर निर्देश किया है। उन्हें याद होगा कि मैं ने उन से एक ठोस योजना की मांग की थी। यह मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई।

श्री पी० एन० राजभोज : नौ करोड़ एकड़ वेकेंट लैंड पड़ा है। एक बैरिस्टर है, उस को कायदे की नौकरी नहीं मिलती।

श्री सी० डी० देशमुख : उन की योजना इस कागज के पुर्जे में है। मैं कुछ बड़ी योजना चाहता था।

एक और माननीय सदस्य ने छात्रवृत्तियों की ओर निर्देश करते हुए यह शिकायत की थी कि इन का वितरण किसी काल्पनिक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दिये जाने के कारण रुका रहता है। मैं ने इसे नोट कर लिया है, और आशा है कि ऐसे निर्देश जारी कर दिये जायेंगे कि प्रार्थनापत्रों को तुरन्त या थोड़े ही समय के बाद निपटा दिया जाये। अतः इसीलिये ....

श्री पी० एन० राजभोज : आर्थिक योजना के बारे में कुछ नहीं कहा, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में आर्थिक योजना के बारे में कुछ नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य

एक समतावादी और प्रगतिशील समाज बनाना है और सब उपलब्ध संसाधन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाने चाहियें। हम जानते हैं कि लोग तब तक अधिकतम प्रयत्न नहीं करेंगे जब तक कि समाज में उचित रूप से क्षमता और सामाजिक न्याय न हो। इस के लिये संस्थाओं-सम्बन्धी परिवर्तन चाहियें। आरम्भ में ऐसे परिवर्तन बहुत शीघ्र नहीं किये गये किन्तु मैं इस विचार का नहीं हूं कि जो कुछ गत दो तीन वर्षों में हुआ है, वह नगण्य है। जमींदारी तथा सामन्तवाद का उन्मूलन सम्पदाशुल्क आरोपण ग्रामीण क्षेत्रों में निजी ऋणों के स्थान पर संस्थाओं को ऋणों का दिया जाना—हमें ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों को अभी क्रियान्वित करना है — समवाय विधि का प्रस्तावित संशोधन, श्रेष्ठ चत्वर विनियमन विधेयक, इन सब बातों से प्रकट होता है कि श्रीगणेश बहुत अच्छा हुआ है और आने वाले समय का अनुमान लगाया जा सकता है। सभा के सामने संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव भी हैं स्पष्ट है कि एक नया ढ़ांचा बन रहा है किन्तु संस्थाओं सम्बन्धी परिवर्तन शान्तिपूर्ण और प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से होने चाहियें।

सभापति महोदय : अब हम विधान कार्य आरम्भ करेंगे।

अत्यावश्यक पण्य विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जन साधारण के हित में कुछ पण्यों के उत्पादन, संभरण तथा वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य पर नियन्त्रण लगाने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रवर समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के हाथ में है। प्रवर समिति ने इस में कुछ संशोधन किये हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर–उत्तर) : क्या संशोधन अब दिये जा सकते हैं ?

सभापति महोदय : चूंकि इस विधेयक के लिये समय बहुत कम है, इसलिये सूचना पर ध्यान देते हुए, प्रत्येक संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समिति ने जो संशोधन किये हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये प्रत्येक आदेश को तुरन्त सभा-पटल पर रखने की व्यवस्था की गई है। एक प्रश्न यह उठाया गया था कि इन आदेशों की आगे भी कोई जांच होगी। सभा को ज्ञात है कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी सभा की एक समिति है, जो इस विधान की जांच करती रहती है। तथापि मैं पुनः यह आश्वासन देता हूं कि इन आदेशों के बारे में मैं सभा की तदर्थ सलाहकार समिति और अन्य सदस्यों की राय लेता रहूंगा और उन से इन की आलोचना के लिये कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि यह आश्वासन माननीय सदस्यों के लिये संतोषजनक होगा।

दूसरा संशोधन यह है कि खंड ७ को, जो कि दंड के बारे में है दो भागों में बांट दिया गया है, और उन आदेशों के सम्बन्ध में, जो कि धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ज) या (झ) के अनुसरण में जारी किये गये हैं कम दंड की सिफारिश की गई है। खंड ७ के उप खंड २ में प्रारूप सम्बन्धी एक संशोधन किया गया है।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

रिपोर्ट के साथ कुछ विमति टिप्पण भी हैं और इन में से एक पंडित ठाकुर दास भार्गव का है। उन्होंने खंड ७ और ९ के संशोधन के बारे में बहुत से प्रस्ताव रखे थे। खंड ७ के बारे में अर्थात् कुछ अपराधों के लिये दंड को कम करने के लिये उन का जो संशोधन था वह प्रवर समिति ने स्वीकार कर लिया है और मैं भी इस के लिये उन का आभारी हूं। किन्तु खंड ९ के बारे में हम उन का संशोधन स्वीकार नहीं कर सके। कारण यह है कि पहले किसी अवसर पर माननीय सदस्यों में इस पर मतभेद था कि क्या इस प्रकार के नियंत्रक विधान में सामान्य दंड होना चाहिये अथवा इस प्रकार के अपराध के विषय में अधिक कठोर दंड होना चाहिये क्योंकि ये समाज-विरोधी अपराध हैं और अधिक शक्तिशाली लोग ये अपराध किया करते हैं। यह एक दृष्टिकोण था। दूसरा दृष्टिकोण पंडित ठाकुर दास भार्गव का था कि चाहे कोई भी अपराधी हो, इस प्रकार के अपराधों में सब को समान रूप से सामान्य विधि के अनुसार दंड दिया जाये। सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया है क्योंकि इन अपराधों के मामलों में न्यायालयों द्वारा दंड दिलाने में कुछ कठिनाइयां पेश आती हैं और न्यायालय इस प्रकार के अपराधों और सामान्य दंडनीय अपराधों में विभेद नहीं करना चाहते। इस विधेयक से पहले जो अधिनियम था उस का और अध्यादेश के प्रशासन का हमें जो अनुभव है वह संतोषजनक नहीं है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट दंड के कठोर होने के कारण अपराधों को बहुत गम्भीर नहीं समझते और लोगों को बरी कर देते हैं। बहुत से मामलों में जहां अपराधियों को निचले न्यायालयों में दंड दिलाया गया है वहां अपीलीय न्यायालयों में उन्हें बरी कर दिया गया है।

अतः हम ने सोचा कि दंड में उदारता बरती जाये ताकि दंडाधिकारियों और न्यायपालिका को कठोर दंड वाले अधिनियमों के प्रति जो द्वेष रहता है उसे शांतिकाल में हम दूर कर सकें। मैं ने प्रवर समिति में सरकारी दृष्टिकोण का उल्लेख किया था और भली प्रकार विचार करने के पश्चात् ही प्रवर समिति ने खंड ७ में संशोधन की स्वीकृति दी है और उन्हों ने पंडित ठाकुर दास द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं किया।

अन्य विमतिटिप्पण के सम्बन्ध में श्री यू० एम० त्रिवेदी ने उसी प्रशासन पर विचार व्यक्त किये हैं जो पंडित ठाकुर दास भार्गव के ध्यान में थे; प्रवर समिति द्वारा की गई रियायतों को दृष्टि में रखते हुए उन्हों ने खंड ७ में रूप भेद कर दिया था और वह पूरी स्थिति पर विशुद्ध न्यायिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। उन का मत है कि साधारण दंड ही निर्धारित किया जाना चाहिये। जैसा मैं ने कहा था यह विषय छोड़ दिया गया है और इन सब तथ्यों पर समुचित ध्यान देने के पश्चात् प्रवर समिति उसी निष्कर्ष पर पहुंची जो प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

श्री के० के० बसु और श्री तुषार चटर्जी ने अपने विमति-टिप्पण में जो बात कही है वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हों ने इस अधिनियम का कार्य-क्षेत्र विस्तृत कर कुछ सीमा तक अन्य अधिनियमों द्वारा नियंत्रित वस्तुओं को सम्मिलित करने का सुझाव रखा है। उन का विचार है कि उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। मैं ने प्रवर समिति में बताया कि अधिकार पर्याप्त हैं। इस का कारण यह हो सकता है कि माननीय सदस्य परिस्थिति से पूर्ण जानकार नहीं हैं। मेरी तरह शासन व्यवस्था के व्यावहारिक ज्ञान से वे सम्बद्ध नहीं हैं

इसी लिये उन के ऐसे विचार हैं । मेरा निवेदन है कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन सरकार को जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वे इस कार्य के लिये पूर्ण पर्याप्त हैं ।

एक और विषय उठाया गया था यद्यपि इस पर विशेष जोर नहीं दिया गया । यह विषय है अपराध में सहायता देने के लिये दंड देने का प्रश्न । प्रवर समिति ने इस पर विचार नहीं किया क्योंकि इस के लिये समय नहीं था । माननीय सदस्य श्री कासलीवाल ने एक संशोधन प्रस्तावित किया है । मेरा सभा से निवेदन है कि वह इस पर विचार करे क्योंकि स्वयं मैं भी इस के पक्ष में हूं । अपराध के लिये किया जाने वाला प्रयत्न दंडनीय होना चाहिये किन्तु प्रयत्न के लिये दंड का विधान अपराध में सहायता देने के लिये भी लागू किया जाये इस विषय में मैं निश्चित नहीं हूं । माननीय मित्र श्री राघवाचारी ने एक संशोधन प्रस्तावित किया है इस के अनुसार अपराध में सहायता देना इस में आ जाता है । अपराध में सहायता देना एक बात है और अपराध का प्रयत्न दूसरी बात है । विधि से बचने के प्रयत्न को विधान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करने का संशोधन स्वीकार करते हुए अपराधों में सहायता देने के लिये दंड व्यवस्था में मैं उस समय तक के लिये छोड़ देता हूं जब तक परिस्थितियों के अनुसार हमें कदाचित कठोर व्यवस्था अपनानी पड़े ।

मैं ने कुछ संशोधनों का उल्लेख किया है । किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि सरकार ने अन्य सब संशोधन रद्द कर दिये हैं । सभापति ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने तक सभा द्वारा संशोधन स्वीकार किये जायेंगे । मैं आशा करता हूं कि विधेयक पर चर्चा आरम्भ करने के बाद कोई माननीय सदस्य संशोधन नहीं भेजेंगे ।

मेरा विश्वास है कि प्रवर समिति ने प्रस्तुत विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया है और श्री कासलीवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन —जिस पर यदि हमारे पास अधिक समय होता तो हम ने प्रवर समिति में उस पर विचार किया होता और उसे स्वीकार कर लिया होता—के अतिरिक्त विधेयक में सुधार करने के लिये अब कोई गुंजाइश नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जन साधारण हित में कुछ पण्यों के उत्पादन, संभरण तथा वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य पर नियंत्रण लगाने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

श्री अमजद अली (ग्वाल-पाड़ा—गारो पहाड़ियां) : माननीय मंत्री से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्हों ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन की कण्डिका १० की ओर निर्देश किया जिस में कहा गया है :

"समिति ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन को ध्यान में रखा है कि प्रस्तुत अधिनियम की धारा ३ के अधीन दिये गये समस्त आदेश समय समय पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनौपचारिक मंत्रणा समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।"

मेरा विचार है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विषयों तक ही यह सम्बन्धित है । इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र से आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों को निकाल कर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है । यह निश्चित रूप से "खाद्य" के

[श्री अमजद अली]

अन्तर्गत नहीं आते हैं। क्या इस दिशा में स्पष्टीकरण करेंगे । कि इस समस्या का हल किस प्रकार किया जा सकता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार विभक्त स्थिति में काम नहीं करती है। मैं ने सुझाव दिया था कि जब मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध मंत्रणा समिति को हम सूचना भेजेंगे तो अनौपचारिक बैठक के लिये हम किसी माननीय सदस्य को भी आमंत्रित करेंगे; इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पर होगा। लेकिन ऐसी बहुत सी वस्तुयें हैं जो खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और शायद स्वस्थ्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी मंत्रालय प्रभावित होता हो, महत्व प्रशासन का है और उस समय सरकार एक निकाय के रूप में काम करती है अतः मैं नहीं समझता कि इस में कोई कठिनाई होगी ।

माननीय मित्र क्षमा करेंगे मैं ने एक गलती कर दी है। श्री कासलीवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन में प्रयत्न और अपराध की सहायता करना दोनों ही आ जाते हैं। अतः सहायता सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में मैं ने जो कुछ कहा है मैं उसे वापिस लेता हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : इस विशद व्याख्या के बाद भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यावश्यक वस्तु विधेयक अत्यन्त जटिल विधान है। इस दृष्टि से तो यह अत्यन्त सरल है कि इस में बहुत कम खंड हैं। विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते समय हमें यह स्मरण रखना है कि संविधान का तृतीय संशोधन विगत अधिवेशन में पारित किया गया था। तृतीय संशोधन विधेयक की स्वीकृति २२ फरवरी, १९५५ को मिली थी । अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश के बारे में २१ जनवरी, १९५५ को उद्घोषणा की गई थी। २६ जनवरी, १९५५ से इसे प्रयुक्त किया जाना था। २६ जनवरी, १९५५ को संसद् को कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में विधि पारित करने का कोई अधिकार नहीं था जो अब विधेयक में सम्मिलित है। संसद् को चारा, खली, खाद्य पदार्थ, तिल्ली, अलसी आदि के तेल, कपास आदि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिनियमन का कोई अधिकार नहीं था ।

इस अध्यादेश में वे पण्य सम्मिलित थीं जिन के लिये २६ जनवरी, १९५५ को संसद् विधि नहीं बना सकती थी, अतः राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश अवैध था। जब एक विधि थी तो हम उसे आंशिक रूप से वैध और आंशिक रूप से अवैध नहीं बना सकते हैं। अतः सम्पूर्ण अध्यादेश ही अवैद्य था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य वस्तुतः क्या कहना चाहते हैं ? वह कौन सा उपबन्ध विशेष है जिसे वह अवैध समझते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा निवेदन है कि अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश अवैध है। जब २६ जनवरी, १९५५ को यह प्रयुक्त किया गया तो संसद् को उस विधि निर्माण का कोई अधिकार नहीं था जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद १२३(३) के उपबन्धों के अधीन २६ जनवरी को बनाया गया था। मद ३३ जिसे तृतीय संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था उस की २२ फरवरी, १९५५, तक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय मित्र अध्यादेश का अध्ययन करें और अत्यावश्यक पण्य की परिभाषा पर विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि सूची में वे सब वस्तुयें हैं जिन पर विधि अधिनियमन करने में केन्द्रीय सरकार समर्थ थी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि संसद् उन पण्यों के सम्बन्ध में विधि अधिनियमित कर सकती थी तो मेरी युक्ति निःस्सार है ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री का यही उत्तर है कि केवल वे ही वस्तुयें सम्मिलित की गई हैं जिन के सम्बन्ध में संसद् विधि बना सकती थी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि दोनों विधानों में दी गई अत्यावश्यक पण्यों की परिभाषा की तुलना की जाये तो माननीय मित्र देखेंगे कि विधेयक की परिभाषा विस्तृत है और इस में ऐसी अनेक वस्तुयें हैं जो संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक अनुमोदित करने के कारण संघ में निहित अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित हो गई हैं ।

अत्यावश्यक पण्य (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश २५ जनवरी, १९५५ को अपने आप व्यपगत हो गया और उस के बाद जारी किये गये आदेश अध्यादेश के अधीन सरकार में निहित शक्ति के आधार पर ही किये गये । अध्यादेश के अधीन जारी किये गये आदेश उस सीमा तक सुरक्षित रहेंगे जिस सीमा तक खंड २ के अधीन वस्तुयें उस में सम्मिलित हैं । और जो वस्तुयें सम्मिलित नहीं की गई हैं उन के सम्बन्ध में आगे आदेश जारी किये जायेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं उसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था । आप को नये आदेश जारी करने पड़ेंगे ।

इस विधि में दांडिक न्याय शास्त्र के सामान्य सिद्धान्तों से परे जाकर उस व्यक्ति पर अपराध थोप रहे हैं जो इस के सम्बन्ध में नहीं जानता है किन्तु फिर भी असावधानी के कारण वह उत्तरदायी ठहराया जाता है मान लीजिये एक मैनेजर के कार्य काल में इस प्रकार का अपराध होता है, किन्तु किसी अन्य कारण से यदि दूसरे दिन उक्त मैनेजर नौकरी से अलग कर दिया जाता है । तो बेचारा व्यक्ति अन्य किसी नौकरी की तलाश करेगा या पुलिस उस के पीछे घूमेगी । मेरी सम्मत्ति में किसी समवाय के मैनेजर पर इस का दायित्व नहीं होना चाहिये । निगमित निकाय को अपराधिक मनोवृत्ति वाला नहीं समझना चाहिये ।

मुझे एक और निवेदन करना है सदन में हम किसी भी विधि का अपनी सद् इच्छाओं के अनुसार निर्वाचन करते हैं । लेकिन मुफस्सिल में हमारी न्याय-व्यवस्था इतनी प्रशिक्षित नहीं है । वहां विधि का वे अपनी इच्छानुसार निर्वचन करते हैं । वहां कार्यपालिका से पृथक उन का कोई अस्तित्व नहीं है ।

तीन साल अथवा तीन साल के ऊपर की सजा वाला अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हस्तक्षेप्य अपराध माना जाता है और उस में जमानत नहीं होती । दिल्ली और पंजाब की पुलिस के बारे में मेरा यह अनुभव है कि वह किसी व्यक्ति को जमानत पर मुक्त नहीं होने देती । यद्यपि उस को ऐसे अधिकार हैं । दण्डाधिकारियों को भी ऐसे अधिकार हैं, किन्तु वे भी अपने अधिकारों को प्रयोग में नहीं लाते और कहते हैं कि यह हस्तक्षेप्य अपराध है और इस में जमानत नहीं हो सकती । जैसा मैं ने कहा कि यह उपाय युद्ध के समय में लागू किया गया था और हमें उस का अनुकरण नहीं करना चाहिये । इस उपबन्ध में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

तीन साल की कैद के साथ साथ अनिश्चित जुर्माने का भी उपबन्ध है। हमें यह देखना चाहिये कि यह विधि अपने ही देश के नागरिकों पर लागू होने वाली है। हमें कोई ऐसी विधि नहीं बनानी चाहिये जिस से संसार में हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाये। अतः, मेरा निवेदन है कि इस विधि को इस प्रकार संशोधित किया जाय जिस से अपराध हस्तक्षेप्य न बने, उस पर जमानत दी जा सके। और सज़ा एक साल की दी जाय। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीमान्, २-४० का समय हो गया है और अभी गणपूर्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय : मैं देखता हूं कि गणपूर्ति नहीं है। घंटी बजाई जाये। अब गणपूर्ति हो गई।

श्री वेंकटरामन : अत्यावश्यक पण्य के नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रवर समिति अथवा इस सभा में कोई मतभेद नहीं है। श्री के० के० बसु ने थोड़े से सुझाव अवश्य दिये हैं कि एक या दो मदें और जोड़ देनी चाहियें, वैसे सभी की यह इच्छा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के उचित वितरण के लिये नियंत्रण लगाना आवश्यक है। राज्य सभा के उपसभापति, श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में जो समिति इस प्रश्न की जांच करने को नियुक्त की गई थी, उस ने भी अपना मत पक्ष में दिया है। अब प्रश्न यह है कि जब सभी नियंत्रण से सहमत हैं, तो फिर इतनी शिथिल विधि बनाने से क्या लाभ है।

इस सम्बन्ध में जो आदेश हैं वे दो या तीन श्रेणियों में आते हैं। जो नियंत्रण सम्बन्धी आदेश हैं, उन को अति कठोरतापूर्वक लागू करना है। विनियमन सम्बन्धी आदेशों में कुछ शिथिलता दिखाई जा सकती है। दण्ड सम्बन्धी सामान्य विधियों में न्यायशास्त्र का मूलभूत सिद्धान्त माना जाता है, अर्थात् कि दण्ड तभी दिया जायेगा, जब कि अपराधी के विरुद्ध पूरा प्रमाण प्राप्त हो जाता है। इन सब मामलों में न्यायिक परिवर्तन कोई नहीं किया गया है, केवल प्रमाण के दायित्व के परिवर्तन का आग्रह किया गया है।

प्रस्तुत अत्यावश्यक पण्य विधेयक यह नहीं कहता कि जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, उस को दण्ड दिया जायेगा, अथवा वह अपराधी ठहराया जायेगा। किन्तु यह कहता है कि कतिपय मामलों में प्रमाण का दायित्व अपराधी पर डाल दिया जायेगा। ताकि नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू हो सकें और भयजनक प्रभाव पड़ सके। नियंत्रण आदेशों के विषय में आप को स्मरण होगा कि अत्यावयश्क संभरण अस्थायी अधिकार अधिनियम ने भारत रक्षा नियमों का अनुकरण किया था और दोनों में ही अपराध के प्रमाण के सम्बन्ध में यह था कि समवाय से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह प्रबन्धक हो अथवा निदेशक, उत्तरदायी ठहराया जाता था। संशोधन के द्वारा इस सम्बन्ध में एक परिवर्तन कर दिया गया है। अर्थात् कि यह सिद्ध करने का दायित्व कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है अपराधी नहीं रहा है, अभियोक्ता से अभियुक्त पर डाल दिया गया है। केवल यही तरीका है जिस से नियंत्रण सम्बन्धी विधान प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। सभा के कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा विचार था कि भारत रक्षा नियम तथा अत्यावश्यक संभरण अस्थायी अधिकार अधिनियम दण्डों के सम्बन्ध में लोगों की सामान्य धारणाओं के विरुद्ध जाते हैं। पण्य नियंत्रण समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि तीनों अधि-

नियमों में दण्ड सम्बन्धी जो उपबन्ध हैं, उन से तो राज्य सरकारें सहमत हैं, किन्तु उन का कहना है कि न्यायालय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, जिस के परिणामस्वरूप अपराधियों को कम दण्ड मिल पाता है। मैं स्वयं इस सम्बन्ध में कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जहां न्यायालयों ने दण्ड देते समय शिथिलता दिखाई ।

एक दूसरा वर्ग अर्थात् कार्मिक संघों के प्रतिनिधि इन अधिनियमों में उपबन्धित दण्डों तथा दिये गये दण्डों दोनों को ही अपर्याप्त समझते हैं । वाणिज्य मंडलों और व्यापार मण्डलों के दृष्टिकोण से दण्ड अधिक हैं, और कठोर हैं ।

ये, तीन विभिन्न दृष्टिकोण हैं । अब प्रश्न यह है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के समान वितरण के लिये नियंत्रण आदेशों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाये । या फिर प्रशासन में कुछ शिथिलता दिखाई जाये । यह एक मूलभूत प्रश्न है, जिस का उत्तर देना है ।

मैं स्वयं तो भारत रक्षा नियमों तथा अत्यावश्यक संभरण (अस्थायी अधिकार) अधिनियम में दी गई विधि से ही सहमत था। जब मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपना गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया, तो मैं ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मूल उपबन्धों में कोई परिवर्तन किया जाये, किन्तु अब जो समिति ने उन तीनों हितों का ध्यान रखते हुए, जिन का उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूं, काफी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि दण्ड की कठोरता ही अत्यावश्यक सम्भरण (अस्थायी अधिकार) अधिनियम का दोष रहा है, उस को मैं स्वीकार करता हूं। समिति ने बताया है कि कठोर दण्डों का उपबन्ध करना आवश्यक नहीं है, किन्तु न्यायालयों को स्वविवेक का अधिकार दिया जा सकता है । इस विधेयक में समिति की इसी बात का अनुपालन किया गया है । सामान्य नियम के अनुसार भी न्यायालयों को इस सम्बन्ध में स्वविवेक का अधिकार दिया जाता है कि वे अपराधी को सजा दें अथवा उस पर जुर्माना डालें । अन्तर केवल इतना है कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के उल्लंघन संबंधी मामले में न्यायालय को यह बताना पड़ेगा कि सजा क्यों नहीं दी गई अथवा जुर्माना क्यों नहीं डाला गया । अर्थात् सामान्य प्रक्रिया यह होगी कि न्यायालयों को दोनों प्रकार के दण्ड देने चाहियें किन्तु कुछ मामलों में परिस्थितियों के आधार पर वे अपने स्वविवेक का उपयोग कर के कोई सा दण्ड दे सकते हैं। मैं इस को बहुत ही उचित समझता हूं और चाहता हूं कि इस विधि को अन्य विधि के मुकाबले में उच्च स्थान मिलना चाहिये, क्योंकि नियंत्रण आदेश के उल्लंघन करने का अर्थ समस्त समाज को धोखा देना है ।

अब दूसरी बात यह है कि क्या एक समवाय को यह अनुमति दी जा सकती है कि वह एक व्यक्ति को किसी विशिष्ट अपराध के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित कर सकती है । मूल विधि में प्रबंध से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति पर दायित्व था । किन्तु प्रस्तुत विधेयक के अनुसार वही व्यक्ति अपराधी माना जायेगा जो कि समवाय के कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी हो। अर्थात् यदि किसी समवाय के १२ निदेशक हैं और उन में से ९ निदेशक निष्क्रिय हैं, तो उन पर कोई दायित्व नहीं आयेगा। इस के अलावा यह सिद्ध करने का भार अभियोक्ता पर है कि जिस व्यक्ति पर न्यायालय में अभियोग चलाया गया है, वह समवाय के कार्य संचालन के लिये उत्तरदायी है । यदि न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया

[श्री वेंकटरामन]

जाने वाला व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, तब भी वह यह कह सकता है कि यद्यपि समवाय उस को नाम मात्र का उत्तरदायी ठहराता है, किन्तु वस्तुतः वह कार्य संचालन का प्रभारी नहीं था अथवा उस को उस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। यह उपबंध दो विरोधी विचारों, अर्थात् कि समवाय से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति अपराधी ठहराया जाना चाहिये और दूसरे यह कि वही व्यक्ति अपराधी ठहराया जाना चाहिये जिस का समवाय उत्तरदायी के रूप में नामनिर्देशन करती है, के बीच में एक सन्तुलन स्वरूप प्रतीत होता है। आप जानते हैं कि कारखाना अधिनियम के अधीन एक व्यक्ति कारखाने के प्रबन्धक के रूप में नामनिर्देशित कर दिया जाता है। यह प्रबन्धक अपराध स्वीकार करने वाला प्रबन्धक होता है और अपराधों के लिये उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों की रक्षा करता है। इस उपबन्ध में मूल विधि से एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया गया है। मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस का विरोध किया। खण्ड ९ के उपबन्धों के परिवर्तन करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिये, अन्यथा अत्यावश्यक पण्य विधेयक के अधीन दंड देना असम्भव हो जायेगा।

मैं विधेयक का उस रूप में जिस में वह इस समय है समर्थन करता हूं।

कुमारी एनीं मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं। हम लोगों ने अभी इन नियंत्रणों से छुटकारा पाया है, जिस के परिणामस्वरूप चीजें सस्ती हो गई हैं और गरीब लोग अपना जीवन चला सकते हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इस से निर्धन वर्गों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

इस विधेयक के अधीन दण्डों इत्यादि से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा संबंध तो खंड एक की प्रथम कुछ पंक्तियों से ही है, जिन में यह बताया गया है :

"सार्वजनिक हित में उत्पादन, संभरण और वितरण के नियंत्रण का उपबन्ध करने के लिये ...."

सभापति महोदय : मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का सवाल है, वह प्रवर समिति द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अब केवल इस पर चर्चा की जा सकती है कि प्रवर समिति द्वारा किये गये परिवर्तन कहां तक ठीक हैं, और उस में कौन कौन से परिवर्तन और करने चाहियें थे।

कुमारी एनीं मैस्करीन : मैं खण्ड २ और १ के कुछ दोषों का उल्लेख करना चाहती हूं। इस विधेयक के द्वारा चारा, कोयला, लोहा तथा इस्पात, कागज इत्यादि पर नियंत्रण लगाये गये हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन वस्तुओं पर नियंत्रण लगाने के बजाय इन का निर्यात कर के विदेशी मुद्रा क्यों न प्राप्त की जाये। जो अत्यावश्यक वस्तुयें हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैं, हमें उन का निर्यात कर के विदेशी धन प्राप्त करना चाहिये। उन पर नियन्त्रण लगाने से क्या लाभ है? यदि सरकार किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे तो वह ठीक है। उस दशा में सरकार किसी वस्तु का उत्पादन कर के उसे सस्ते भाव में लोगों को बेच दे। किन्तु हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था का अनुकरण करते हैं। गैरसरकारी क्षेत्र में जो उद्योग आते हैं, उन्हें सरकार को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि जो चीजें बाहर से नहीं मंगाई जाती हैं, उन पर नियंत्रण क्यों लगाया जाये।

प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि यद्यपि यह विधेयक प्रवर

समिति से लौट कर आया है, किन्तु राष्ट्र को बड़ा अहितकारी है और हमें किसी प्रकार भी नियंत्रणों की अनुमति नहीं देनी चाहिये। आज त्रावनकोर-कोचीन में कोयले का अभाव है, इसलिये नहीं कि देश में कोयला नहीं है, अपितु उस के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है तथा माननीय मंत्री इस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि इस को इधर से उधर भेजा जाये।

श्री कामरकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे त्रावनकोर-कोचीन के बारे में काफी ख्याल है।

कुमारी एनी मैस्करीन : मैं यह कहना चाहती हूं कि कोयला, चारा तथा खाद्यान्नों पर नियंत्रण क्यों लगाये जायें। लोहा तथा इस्पात के बारे में तो यह ठीक है क्योंकि हमारे यहां इस्पात संयंत्र हैं और हम चाहते हैं कि उनका आयात न हो। वस्तुतः वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय देश के लिये उचित रूप में काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार का विधान बनाना राष्ट्र के लिये बहुत अहितकर है। मैं इस का विरोध करती हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं ने बड़े शौक के साथ वह तकरीर सुनी जो अभी मेरी बहिन मिस मैस्करीन ने दी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि बावजूद उसे बहुत इश्तियाक से सुनने के मैं उन के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकता हूं।

यह जो बिल है यह फिलवाके हर एक सूबे को, बल्कि हर एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिये है। यह कहा जाता है कि त्रावनकोर-कोचीन में कोयला नहीं पहुंचता या फलां जगह फलां चीज नहीं पहुंचती, यह डिटेल की बातें हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शायद हिन्दुस्तान में लोग भूखे मर जाते अगर यह ऐक्ट हमारे पास न होता। और कोयला जो कि इतनी तादाद में है वह शायद त्रावनकोर-कोचीन में उस तादाद में और उस कीमत पर न मिलता अगर यह कंट्रोल की ताकत गवर्नमेंट के पास न होती। मैं ने कृष्णमूर्ति राव की सदारत में जो कमेटी बैठी थी उस की रिपोर्ट पढ़ी है। उस से मुझे मालूम हुआ और वैसे भी मैं ने देखा है कि जब चीजें कम मिलती हैं तो बिला गवर्नमेंट के कंट्रोल के वे ठीक कीमत पर नहीं मिल सकती हैं। और मैं समझता हूं कि वह गवर्नमेंट अपना एक जरूरी फर्ज अदा नहीं करती जो कि चीजों के कम मिलने के वक्त कंट्रोल कर के उन को वाजिब कीमत पर मुहैया नहीं करती।

इसलिये जहां तक इस बिल की अहमियत का सवाल है इस के बारे में तो कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। यह बिल निहायत जरूरी है और जब कि हम ने इस का अमेंडमेंट पास किया था तो वह भी इसी गरज से पास किया था। मैं हर एक चीज में नहीं जाना चाहता कि क्यों हम ने अमेंडमेंट पास किया। मैं समझता हूं कि इस वक्त इस पर बोलना कि इस बिल को क्यों लाया गया यानी इस के औरिजिनल प्रिंसिपल पर बोलना इस बिल के परव्यू के बाहर जाना है। इस वजह से मैं जनाब वाला की खिदमत में वही चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं जो कि इस बिल से रेलेवेंट हैं।

एक जमाना था कि लोगों को कंट्रोल की वजह से बड़ी दिक्कतें होती थीं सारे मुल्क में कंट्रोल की वजह से करप्शन फैला हुआ था। आज जब कंट्रोल बहुत कम हो गया है तो उस जमाने की याद कर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कंट्रोल के जमाने में कितना करप्शन था यह हर एक जानता है। लेकिन अगर जरूरी चीजें मिलना मुश्किल हो जायें तो यह जरूरी हो जाता है कि कंट्रोल लागू किया जाय। कल ही हम ने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सुना है कि अजित प्रसाद जैन साहब ने उन ज़ोन्स में फूड के मूवमेंट पर कंट्रोल था जो को सिवा कुछ थोड़ी सी चीजों के खत्म कर दिया है। इस से मालूम होता है कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि कंट्रोल हो और आहिस्ता आहिस्ता वह सब कंट्रोल हटा देना चाहती है। और मेरे ख्याल से वही गवर्नमेंट सब से ज्यादा कामयाब भी है जिस के बारे में लागों का यह न मालूम हो कि कोई गवर्नमेंट है या नहीं। उस दिन गवर्नमेंट सब से ज्यादा कामयाब समझी जायेगी जब कि लोग यह भूल जायेंगे कि गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्टिव स्टेप्स ले रही है जैसे कि इन्सान की तन्दुरुस्ती तभी ठीक समझी जाती है जब कि वह यह न महसूस करे कि उस का लिवर कहां है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल न हो और सब चीजें ठीक तरह से चलती जायें तो वह गवर्नमेंट निहायत कामयाब है। किसी गवर्नमेंट के लिये कंट्रोल लगाना कोई प्लेजर की चीज नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि गर चीजें कम हो जायें तो हर एक आदमी को वाजिब कीमत पर चीजें मुहैया की जायें और यह कंट्रोल के जरिये ही हो सकता है। जब हम इस बिल को देखते हैं तो हमें वह वक्त याद आता है जब कि मुन्शी साहब ने हमारी मर्जी के खिलाफ इस कानून को ताड़ने के लिये सात साल की सजा कर दी थी। इस से बड़े आदमियों को तो सजा नहीं हुई लेकिन छोटे छोटे जमींदारों और लेबरर्स को बहुत नुक्सान पहुंचा। उन को गवर्नमेंट ने हजारों की तादाद में जेल में बन्द कर दिया। उस वक्त इतना सख्त कंट्रोल था कि कोई पांच मील से बाहर का गल्ला नहीं ला सकता था। इसलिये अगर कोई बाहर से जहां कि गल्ला बहुत था अपने लिये गल्ला लाता था तो उस को उस के ट्रांसपोर्ट की कीमत गल्ले की कीमत से भी ज्यादा देनी पड़ती थी। लेकिन बावजूद इस के मुझे जरा भी यह तसलीम करने में ताम्मुल नहीं है कि मैं इस बिल के प्रिंसिपल्ज के हक में हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसा बिल हमारा लेजिस्लेचर पास करे।

जहां तक इस बिल की दीगर बातों का सवाल है मैं आनरेबुल मिनिस्टर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस के अन्दर वे तमाम गंदे फीचर्स जो पुराने बिल में थे और जो डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट की तरह का पैनिकी लैजिस्लेशन था, वह इस में मौजूद नहीं है। श्री वेंकटारमन और श्री त्रिवेदी ने अभी बतलाया कि पहले कितना रिस्ट्रिक्टिव प्राविजन था कि किसी आदमी की बेल नहीं होगी जब तक कि पब्लिक प्रासीक्यूटर आ कर प्रैक्टिकली ऐग्री न कर जाय। हर एक जायदाद जिस के वास्ते जुर्म किया गया है, उस के लिये इस के अन्दर मौजूद है कि हर एक सूरत में सजा के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं होगी। फूड ग्रेन्स के लिये सात साल की सजा होगी और हर एक जायदाद जिस के वास्ते जुर्म किया गया है ज़ब्त कर ली जायेगी। आज यह प्रावीजन कहां इस में मौजूद है? आज के दिन यह बिल बहुत इम्प्रूव्ड है और जो इस के आब्जैक्शनेबुल फीचर्ज थे वह सब के सब तकरीबन इस में मौजूद नहीं हैं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल नार्मल टाइम्स के वास्ते हैं।

आज के दिन उस को अगर कोई जरूरत पड़े, ऐसा वक्त आये, देश के अन्दर एमरजेंसी हो और इन चीजों की कमी हो जाये तो मैं श्री वेंकटारमन के इस कथन से सहमत हूं कि हमें ज्यादा सख्ती का बिल लाना पड़ेगा और इस बिल के प्रावीजन्स को कुछ ज्यादा सख्त बनाना पड़ेगा। वक्त के मुताबिक हम कानून बनाते हैं। आज जो हम कानून बना रहे हैं, तो ठंडे दिल से इस कानून को सोच रहे

हैं । हम उस पैनिकी सूरत में नहीं हैं जो ऐन लड़ाई के बाद और लड़ाई के दिनों में थी, वैसी बात आज नहीं है । मैं ने बहुत सारे मुकद्दमे इस के बाबत किये हैं, ब्लैक मार्केटिंग और इस ऐक्ट के मातहत किये हैं और जनाब वाला सुन कर हैरान होंगे कि मैं ने देखा कि एक आदमी पर सिर्फ इसलिये मुकद्दमा चलाया गया था कि उस ने पांच रुपये के नोट को तोड़ने में दो, ढ़ाई आने बट्टा ले लिया था, पांच रुपये की रेजगारी में दो, ढ़ाई आने के पैसे कम दिये थे । अब यह सब कोई जानता है और यह कामन नालेज है कि आप किसी स्टेशन पर जाइये या कहीं तीर्थ पर जाइये तो एक रुपये की रेजगारी अगर आप लेना चाहें तो रेजगारी देने वाला एक पैसा रुपया के हिसाब से बट्टा लेगा और आप को केवल ६३ पैसे ही देगा और यह तो रेकगनाइज्ड कमर्शियल प्रैक्टिस हो गई है । तो मैं बतला रहा था कि उस शख्स ने दो, ढ़ाई आने कम दे दिये और वह ले कर चला गया और अदालत ने इसी जुर्म पर उस को डेढ़ साल की कैद और हजार या पन्द्रह सौ रुपये जुर्माने की सजा सुना दी । जब वह आदमी अपील में गया तो मैं ने जज के सामने अर्ज किया कि यह तो रेकगनाइज्ड प्रैक्टिस है, आप कहीं भी जायें रुपये की रेजगारी भुनाने में एक आध पैसा बट्टे का देना पड़ता है और यह बट्टा गजट के अन्दर जहां भाव छपते हैं, पहले वहां छपा करता था । मैं ने कहा इस के लिये इतनी सख्त सजा देना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता है । जज की समझ में कुछ आया और उस ने डेढ़ साल की सजा को घटा कर डेढ़ महीने कर दी । मैं और भी कई मिसालें देता लेकिन अब वक्त नहीं है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थे जिन की वजह से सोशल कांशेंस लोगों की इस के बिल्कुल बरखिलाफ थी और आज इस के बरखिलाफ मेरी बहिनें बोलती हैं, श्री राघवाचारी ने इस का विरोध किया और यह उस जमाने में बड़ी सख्ती से बर्ता गया जब कि दूसरी गवर्नमेंट थी, डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लागू था, आहिस्ता आहिस्ता उस का साया कम होता गया और हम ने कंट्रोल को अपने देश से हटाया, उस की हिस्ट्री आप को बखूबी मालूम है । उस को दुहराने की जरूरत नहीं है । कंट्रोल बड़ी मुश्किल से कहीं जा कर हम लोग अपने देश से हटा पाये हैं । बड़े बड़े कांग्रेस मिनिस्टर्स कंट्रोल्स के हटाने के बरखिलाफ थे, हमारी पार्टी ने एक कमेटी मुकर्रर की जिस ने सन् १९५१ में कंट्रोल्स के खिलाफ रिपोर्ट पेश की, उस को किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा । भला हो श्री राजगोपालाचार्य और स्वर्गीय श्री कि दवई का जिन्होंने कि इस अपोजीशन को एक तरह से खत्म किया कि आज हम यह देखते हैं कि कंट्रोल का नाम लेते डरते हैं, हालांकि कंट्रोल्स उठा दिये गये हैं फिर भी कितनी ही चीजों पर जैसे कोल पर कंट्रोल है , कोल प्राइसेज कंट्रोल्ड हैं, कोल प्राइसेज कंट्रोल्ड न हों तो कोलियरी में काम करना मुश्किल हो जाये, किन्हीं खास खास चीजों का कंट्रोल बिल्कुल लाजिम है चाहे पीस टाइम हो चाहे वार टाइम हो । मैं जहां यह कहता हूं वहां यह भी मानता हूं कि इन कंट्रोल की वजह से हमारे देश में काफी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन जहांतक कंट्रोल्स के प्रिंसिपल्ज का ताल्लुक है, मैं उन के बरखिलाफ नहीं हूं ।

जनाबवाला के रूबरू जो यह बिल आया है, इस पर मैं ने एक छोटा सा नोट आफ डिसेंट लिखा है और उस की हिस्ट्री जो श्री वेंकटारमन ने फरमाई, उस में बहुत कुछ सदाकत है । मुझे अफसोस है कि उन्हें किसी दूसरी कमेटी में तशरीफ ले जानी थी, इस लिये वे यहां पर नहीं रुक सके और जो कुछ मैं जवाब दूंगा वह उन के कानों तक नहीं पहुंचेगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह कानून इतना सख्त था और इतना जुरिसपूडेंस के खिलाफ था और इस नुक्ते-निगाह से बनाया गया था कि जो हम इस हाउस में कई दफा देखते हैं, इंसाफ का तकाजा यह है कि कोई मुल्जिम गरीब हो या अमीर, हम को एक ही निगाह से उस को देखना चाहिये। कानून की निगाह में एक जुर्म के इनग्रेडिएंट्स रखते वक्त हम को यह ख्याल रखना चाहिये कि दरअस्ल वह फेल जिस को कि हम जुर्म करार देते है वह जुर्म बनने का हकदार है या नहीं। यह दुरुस्त नहीं होगा कि अगर किसी कम्पनी के बरखिलाफ, किसी अमीर आदमी के बरखिलाफ आप जुर्म बनायें, लेकिन यह न देखें कि आया इस का कसूर है भी या नहीं। आप उसे जुर्म की सजा नहीं देते हैं, उस को अमीर होने की सजा देते हैं। कम्पनी को इस बात की सजा नहीं दी जाती है कि जुर्म किया या नहीं बल्कि इसलिए दी जाती कि कम्पनियां आम तौर से लेबरर्स के साथ इंसाफ नहीं करती हैं, मैं मानने को तैयार हूं। मैं मिस्टर वेंकटारमन् साथ हूं कि जहां तक लेबरर्स का सवाल है, उन के हकूक की हिफाजत करें। मैं इस को एक मिनट के वास्ते भी नहीं मान सकता कि एक डाइरेक्टर या और किसी को जिस ने कोई जुर्म नहीं किया, उस को आप गिल्टी करार दें, इस वास्ते कि जैसा श्री वेंकटरामन् सोचते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने गलती की है, मिनिस्टर ने गलती की और इस को वाटर डाउन कर दिया है। मेरे विचार में दो तीन केसेज आये जिन की वजह से यह तबदीली की गई है और हाउस में जोर दिया गया कि इसे तबदील किया जाय। क्योंकि इस के रहते तो डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी हर एक शख्स जुर्म का विकैरियसली गिल्टी है। आप ही बतलाइये कि अगर एक जगह जुर्म हो जाये, एक शख्स कम्पनी का डाइरेक्टर विलायत के अन्दर बैठा है और वह शामिल नहीं होता कम्पनी की मीटिंग में भी, नेजिंग ऐजेंट कम्पनी का काम करता है, डाइरेक्टर सिर्फ उस रोज जिस रोज मीटिंग होती है, चालीस पचास रुपये जेब में डाल लेता है तो वह भी शख्स गिल्टी है, जैसे मैनेजिंग ऐजेंट गिल्टी कहलाते हैं उसी तरह से डाइरेक्टर भी गिल्टी हैं। कम्पनी में ऐडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस की कितनी ही शाखायें होती हैं और मौजूदा प्रावीजन से यह होगा कि ऐसे डाइरेक्टर और दूसरे अफसरान हालांकि उन का उस गिल्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा लेकिन वह भी गिल्टी समझे जा सकते हैं। प्रेजेन्ट प्रावीजन वेग और अनवर्केबुल हैं। इस की रू से वे शख्स भी गिल्टी हो जायेंगे जिन को कि पता भी नहीं था कि क्या जुर्म हुआ और क्या जुर्म नहीं हुआ। यहां पर मैं आप को बतलाऊं कि एक डाइरेक्टर साहब मेरे पास तशरीफ लाये कि मुझ को बचाइये, मेरा इस में कोई कसूर नहीं है। मैं ने जब उन का केस देखा तो पाया कि एक मैनेजिंग डाइरेक्टर के बरखिलाफ पुलिस ने रेड किया और जैसा कि पुलिस का कायदा होता है सीक्रेटली उस मैनेंजिग ऐजेंट के पास एक आदमी को भेजा कि तुम उस के पास से वह चीज खरीद लो, ब्लैक मार्केटिंग का सौदा हुआ और उस को मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे आला अफसरान मौके पर मौजूद थे, उन्हों ने यह सारा प्लान सीक्रेटली अरेंज किया था ताकि उस को मौके पर रंगे हाथों पकड़ा जा सके और पुलिस हमेशा ऐसे केसेज में सीक्रेटली ही काम करती है क्योंकि अगर ब्लैक मार्केटर का पता चल जाय कि ऐसा होने वाला है तो वह पकड़ा नहीं जा सकता है और वह ब्लैक मार्केटिंग करेगा ही क्यों। पुलिस औफेंडर को गिरफ्तार करती है और उस सामान को और उस रुपये को अपने कब्जे में ले लेती है और उसी बेसिस पर उस पर मुकद्दमा चलता है। ब्लैक मार्केटर को क्या मालूम कि पुलिस ने उस को फांसने

का जाल बिछा रखा है। मेरा तो कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग तो करता है मैनेजिंग ऐजेंट, फिर उन डाइरेक्टरों को क्या मालूम कि मैनेजिंग ऐजेंट चोरबाजारी कर रहा है। ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में देहली के एक ताजिर के आदमी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोग गिरफ्तार कर लिये गये, वह मेरे पास आया, लोअर कोर्ट ने उसे सजा दे दी यह मानते हुए भी कि क्राइम तुम्हारे इल्म से नहीं हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, मैं तो हैरान रह गया कि उस को दो साल की सजा हो गई। एक ही मामला नहीं, मैं ऐसे कई केस बता सकता हूं। मुझे खुद भिवानी मिल्ज के मुकद्दमे का तजुर्बा है जिस में वहां के एक छोटे अहलकार को जो एकाउन्टेन्ट या खजान्ची था तीन साल की सजा हुई और ६ हजार का माल जो उस कम्पनी का था वह पकड़ लिया गया और वह छै हजार का माल फोरफिट कर लिया गया। चूंकि कानून यह था कि वह जायदाद जब्त कर ली जाये, जिस के मुताल्लिक यह हुआ हो, इस वजह से वह जायदाद छै हजार रुपये की कम्पनी की खत्म हो गई। हालांकि कम्पनी व डाइरेक्टर बेकसूर करार दिये गये।

आप का कानून ऐसा बढ़िया था कि जो कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। कान्स्टिट्यूशन में अभी दफा १९ (एफ) मौजूद हैं, लेकिन बावजूद उस के रहने के आप का कानून यह था कि कोई जुर्म करे या न करे, किसी को नुक्सान हो या न हो, लेकिन वह जायदाद जब्त हो जाये। मैं खुश हूं कि आप ने उस कानून को इस बिल के अन्दर ठीक कर दिया है। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने जो तबदीली की उस के लिये मैं मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं और अब यह पहले के मुकाबले में बैटर ला है। श्री कृष्णमाचारी और श्री वेंकटारमन इस उसूल को अब मानने के लिये तैयार भी हैं कि फिजवाया मामूली ला और कंट्रोल ला में किसी कदर फर्क है। कंट्रोल ला हमेशा ज्यादा सख्त होता है और अगर वह ज्यादा सख्त न हो तो अपना परपज ही डिफीट कर देगा। मैं तो कहता हूं कि मैं कंट्रोल ला को मामूली ला से ज्यादा सख्त देखना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इस के हक में हूं लेकिन यह दूसरी चीज है। मैं ने दो तीन अमेंडमेंट्स भेजे हैं और उन में, जनाब वाला सुन कर हैरान होंगे, कि मैं ने इस उसूल को टच भी नहीं किया है कि जिस मामले में सब्स्टेन्टिव क्राइम हो उस में सजा लाजिमी हो, यह यकीनन जायज चीज है। मैं ने जिस चीज के बारे में अमेंडमेंट दिया है वह सिर्फ इस कदर है कि जिन सूरतों में हिसाब किताब का सवाल हो, जिन सूरतों में प्लेकार्ड लगाने का सवाल हो, जिस के अन्दर भाव वगैरह लिखा जाय, या अगर कोई स्टैटिस्टिकल इन्फार्मेशन मांगी जाये और उस के भेजने में कोताही हो जाये, ऐसी सूरत में मंत्री महोदय ने मान लिया है कि तीन साल की बजाय एक ही साल की सजा दी जाय और यह भी एग्री कर लिया कि अगर अदालत फाइन करना चाहे तो फाइन ही कर दे, लेकिन वजूहात दे। अगर जुर्म जरा सा हो तो वह (एच) या-(आई) में आता है। यानी जो जुर्म स्टैटिस्टिकल इन्फार्मेशन या दूसरी मामूली बातों के बारे में हो, जिन के अन्दर जुर्म टैक्नीकल टाइप का हो, उन के अन्दर आप अदालत को अख्तयार दे दें कि अदालत कैद करे या जुर्माना करे। आप उस को मजबूर न करें कि वह वजूहात दे क्योंकि अगर आप अदालत को मजबूर करते हैं तो आप इन्डिकेशन देते हैं कि वह बिना इंसाफ की तरफ देखे, जरूर कैद की सजा उस के अन्दर दे दे। यह चीज गलत है।

मेरा एक अमेंडमेंट तो यह है जो कि बिल्कुल बिल के उसूल को टच नहीं करता क्योंकि अगर उसूल को यह टच करता होता

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तो मैं बहुत अदब से आनरेबुल मिनिस्टर इन्चार्ज से और श्री वेंकटरामन से पूछना चाहता हूं कि उन्हों ने तीन साल के बजाय एक साल को क्यों मान लिया ? उन्हों ने उस को इसी लिये मान लिया कि वह ऐमेन्डमेन्ट बिल्कुल दुरुस्त था :

इस के अलावा मैं यह चाहता था कि जो दूसरा हिस्सा है उस के अन्दर आप ने लिखा था कि कोर्ट जरूर सजा दे और वजूहात लिखे क्योंकि वह सब्टैन्शियल चीज है । कंट्रोल के अन्दर पहली चीज यह है कि कंट्रोल तभी काम करेगा जब लोगों के अन्दर इस का डर रहे कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर काफी सजा होगी, लेकिन अगर आप यह कहें कि टैक्नीकल चीजों के बारे में जरूर सजा दी जाये तो यह उसूलन गलत है । मैं बैन्थम साहब के इस चौथे उसूल की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने फरमाया था कि जो चीज बेंत से कराई जा सके उस के लिये डंडा इस्तेमाल न करो क्योंकि अगर डंडा इस्तेमाल करोगे तो लोग जुर्म ज्यादा करेंगे । हर एक जुर्म के वास्ते इंडियन पीनल कोड में सजा रेगुलेटेड है । हमारे बिल में भी रेगुलेटेड है । तीन साल बड़े जुर्मों के लिये और एक साल मामूली जुर्म के लिये । लेकिन जब आप ने यह किया है तो कम से कम यह अख्तायार भी तो दीजिये कि वह बिना वजूहात दिये फाइन कर दे । अगर हम कोर्टस के ऊपर एतबार न करें तो यह कानून कामयाब नहीं हो सकता है । यह ठीक है जो श्री कृष्णमाचारी साहब ने फरमाया कि कोर्टस गलत विऊ नहीं लेते हैं, और लेना भी नहीं चाहिये । अगर कोर्ट के सामने कोई किसी निरपराध आदमी को पेश कर दे तो किसी कोर्ट की काशैन्स गवाही नहीं देगी कि वह छोटे छोटे जुर्मों के लिये किसी को जेलखाने भेज दे ।यह बिल उसी वक्त तक कामयाब हो सकता है जब तक कि सोशल कांशैन्स आफ दि पीपुल इन के साथ रहेगी ।

मेरा दूसरा अमेंडमेंट यह है और वह बड़ा छोटा सा है । मैं इस उसूल को मानता हूं कि कम्पनी या अगर कम्पनी का प्रिंसिपल आफिसर, जो कि एक जिम्मेदार शख्स है, अगर वह आप का हुक्म नहीं मानता है आप उस के साथ सख्ती से पेश आइये । अगर आप उस के ऊपर बर्डेन आफ प्रूफ भी डाल दें तो मैं उस के खिलाफ भी नहीं हूं । मेरा अमेंडमेंट तो यह है कि जो बाकी के नीचे के लोग हैं उन को आप सजा न दें । मैं भी चाहता हूं कि आप के हुक्म की, आप के डाइरेक्शन्स की कम्पलायेंस हो और देश में चीजों की कमी न हो । लेकिन अगर आप किसी को बेजा तौर पर सजा दें तो यह कानूनन गलत चीज है । मैं हर्गिज इस को मानने के लिये तैयार नहीं हूं । कायदा यह है कि कानून उस वक्त माना जायेगा जो एक आदमी को तो आप मुकर्रर करें कि यह जुर्म का जिम्मेदार है । अगर किसी कानून में आप दस आदमियों को जिम्मेदार बना दें तो वह कभी काम नहीं कर सकेगा । पहले आप यह तो तय कीजिये कि किस का कसूर है । चुनांचे मेरा अमेंडमेंट यह है । मैं भी कहता हूं कि कंट्रोल आर्डर सख्त होना चाहिये, हम उस आदमी को पकड़ लें जो रिअल इन्चार्ज आफ दि क्राइम हो, लेकिन किसी कम्पनी में आप जायें और कहें कि यह आफैन्स किया गया वह आफैन्स कैस किया गया, उस के अन्दर आप किसी एक आदमी को पकड़ सकें तो पकड़ लीजिये कि हम ने देखा कि फलां ने आफैन्स किया है ।

मैं अर्ज करूंगा कि आप यह गौर करें कि कौन शख्स वह है जो चार्ज में है, या रैस्पान्सिबुल है बिजनैस आफ दी कम्पनी का ।

दस आदमी होंगे जो मुख्तलिफ ब्रांचों के ऐडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज में होंगे । आप का जो डाइरेक्शन होगा वह एक ब्रांच के मुताल्लिक ही नहीं होगा , दस के मुताल्लिक होगा । आप किस को पकड़ेंगे और कौन सा रूल ऐप्लाई करेंगे आप को यह परेशानी हो जायेगी । इस के बजाय मैं यह कहता हूं कि आप कम्पनी को हुक्म दीजिये, कम्पनी का फर्ज होगा कि वह एक आदमी मुकर्रर करे जो कि कम्पनी के लिये रिस्पान्सिबुल हो और डाइरेक्शन्स के कमप्लायेंस के लिये जिम्मेदार हो । मैं पहली बात यह चाहता हूं कि वह इन्सान जाती तौर पर रिस्पान्सिबुल हो, वह खुद इन्स्ट्रक्शन्स को मनवायेगा । उस के बाद अगर आप उस पर मुकद्मा चलावें तो उस को यह कहने की गुंजाइश नहीं होगी कि मुझे इल्म नहीं था कि मुझे काम कराना है । इस में यह जरूर हो सकता है, जैसा कि मेरे लायक दोस्तों ने सिलेक्ट कमेटी में डर जाहिर किया था, कि एक छोटा सा आदमी मुकर्रर कर दिया जायेगा और वह डमी होगा । वह सजा पाने के लिये मुकर्रर कर दिया जायेगा । मैं ने यह समझ कर कि यह बहस की जा सकती है और फिलवाक्या हो भी सकता है कि एक अमीर आदमी एक ३०० रुपये तनख्वाह का मैनेजर मुकर्रर कर दे और मुकद्मा हो तो वह उसे भेज दे । इसलिये मैं ने यह लिखा है कि वह शख्स वह होगा जिसे गवर्नमेंट ऐप्रूवल दे । यह नहीं कि आप ए, बी, सी, किसी को मुकर्रर कर दें । गवर्नमेंट कहेगी कि वह तुम्हें हुक्म देती है कि किस आदमी को रखो। किसी ए, बी, सी, को गवर्नमेंट नहीं मानती । गवर्नमेंट ने शूगर फैक्ट्रीज के लिये यह रूल बना रक्खा है कि जो सब से बड़ा अफसर है वह सारे काम का जिम्मेदार होगा । जब गवर्नमेन्ट को हम ने मामूली फैक्टरियों के लिये यह पावर दी है कि गवर्नमेंट उस आदमी को ऐप्रूव करे क्योंकि फर्म के आदमी पर गवर्नमेंट को ऐतबार नहीं है तो यह कंट्रोल आर्डर तो सारी सोसायटी के बचाव के लिये है । मैं और ज्यादा इसरार करता हूं कि ऐसी हालत में वह कानून के ऐन्फोर्समेंट की तरफ ध्यान दे । यह न देखे कि मुकद्मा किस पर चलेगा । एन्फोर्समेंट तभी मुमकिन है जब आप एक आदमी को मुकर्रर कर दें और जिसे मालूम है कि मेरी बेइज्जती हो जायेगी या मुझे कैद हो जायेगी । यह जो चीज आप ने बना रखी है इसी वजह से मुकद्मे कमजोर हो जाते हैं । रोज सुनते हैं कि कोर्टस् मुकद्मे छोड़ देते हैं । मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कोर्टस् आप की बेगरीज के साथ नहीं जा सकते हैं । वह हर एक आदमी को सजा नहीं दे सकते हैं । इसी लिये मैं कहता हूं कि अगर ऐसा रूल हो जायेगा तो जुडिशियरी की सारी इन्डेपेन्डेन्स खत्म हो जायेगी और जुडीशियरी आप के साथ कोआपरेट नहीं करेगी जब तक आप उस को यह मौका न दें कि वह यह कह सके कि फलां शख्स ने जुर्म किया है ।

जहां तक बर्डेन आफ प्रूफ का सवाल है, मेरे एमेन्डमेंट में तो यही बात रखी गई है, जैसा कि श्री वेंकटरामन साहब ने भी कहा है : "नियमों के उत्तम रीति से परिपालन से दंड भी अधिक दियें जा सकेंगे ।"

मुझे, जनाब की इजाजत से, कुछ ही अल्फाज और अर्ज करने हैं । इस कानून को और सख्त करने के वास्ते ६(२) में एक और दफा लिख दी :

"(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि हम अधिनियम के अन्तर्गत किसी समवाय द्वारा कोई अपराध किया जाता है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त अपराध किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव अथवा समवाय के किसी अन्य अधिकारी की

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सहमति से किया गया है अथवा उन की किसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ है, तो उक्त संचालक प्रबन्धक सचिव अथवा किसी अन्य अधिकारी को उक्त अपराध का अपराधी समझा जायेगा और उस के विरुद्ध यथाविधि कार्यवाही की जायेगी और उसे दंड दिया जायेगा ।"

जनाबेवाला, मेरी अदब से गुजारिश है कि इस जाल को जितना ज्यादा फैलायें उतना ही लोग एल्यूड कर जायेंगे । मैं चाहता हूं अगर किसी डायरेक्टर की गलती है उस को सजा दो, मैं इस के खिलाफ नहीं हूं लेकिन सारे जुरिस्प्रुडेंस को आप देखें, आई० पी० सी० को आप देखें, निगलैक्ट के आप को तीन चार जुर्म मिलेंगे । निगलैक्ट में उन सूरतों में सजा दी जाती है जहां कि कांसिक्वेंसेज बड़े डिजास्टरस हों । अगर कोई रैश ड्राईविंग करता है तो उस को निगलैक्ट की सजा दी जाती है । लेकिन अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल इन्फारमेशन मांगते हैं और चाहते हैं कि वह एक मुकर्रर तारीख तक आप को पहुंच जाये लेकिन उस के अन्दर एक रिस्पांसिबल अफसर जो है या जो इंचार्ज है वह तो परवाह नहीं करता लेकिन अगर एक बरायेनाम गलती एक क्लर्क से हो जाये उस को निगलैक्ट के जुर्म में कैद कर दिया जाये यह गलत बात होगी । निगलैक्ट में और मैंसरी में कनाइवेंस में और कनसेंट में बहुत फर्क है । निगलेक्ट में आदमी जान बूझ कर जुर्म नहीं करता कांसिक्वेंसेज उस के भले ही ऐसे हों । ६(१) के अन्दर निगलेक्ट का सवाल नहीं है । यहां पर बड़े आदमियों का सवाल आ जाता है । लेकिन जहां छोटे गरीब क्लर्क का या छोटे मुलाजिम का सवाल आता है तो वहां पर निगलैक्ट आ जाता है । ये वे आदमी हैं जिन को किसी फेल के लिये जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है । इन के केस में उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ हो, को भी नहीं रखा गया है । क्रिमिनल ला में भी यह चीज रेयर है कि निगलैक्ट को इस तरह पनिश किया जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह उपबन्ध विचित्र है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप ने निगलैक्ट रखना है तो इस को कल्पैबल निगलैक्ट कर दीजिये । मैं सख्ती से अर्ज नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जो जुर्म करे आप उन को सजा दें लेकिन उस के साथ साथ आप यह भी देखें कि जो असली आदमी हैं उन को भी जब वे गलती करते हैं सजा होनी चाहिये न कि सिर्फ छोटे आदमियों को जो कि इस के लिये कम्पलीटली जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते हैं । इस निगलैक्ट को जैसे है वैसे रखना मेरे विचार में हर एक प्रिंसिपल के खिलाफ है, जरायम के प्रिंसिपल के खिलाफ है । अगर इस को ऐसे ही रखने दिया गया तो मैं अर्ज करता हूं कि जब इन छोटे आदमियों को निगलैक्ट के लिये आप सजा दें तो उन के बीवी बच्चों का क्या बनेगा जो कि रोटी के लिये उन पर निर्भर करते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : बड़े आदमी भी तो जेल जायेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन में और इनमें बहुत फर्क है, उन को तो फर्स्ट क्लास मिलेगी लेकिन इन बेचारों को तो सैल्ज में ही रहना पड़ेगा । यहां पर तीस चालीस या पचास रुपये माहवार पाने वाले को बिना किसी कसूर के लिये एक या तीन साल के लिये जेल भेज दिया जायेगा । कंट्रोल के जमाने में आप जानते हैं कि छोटे छोटे आदमी बिना इम्तियाज के हजारों की तादाद में जेल गये लेकिन आप ने बहुत

काम बड़े आदमी जेल भेजे गये सुने होंगे। मैं वार टाइम में जैसे छोटे आदमियों पर सख्तियां हुई उन में नहीं जाना चाहता हूं, यह आप को मालूम ही है। लेकिन अब जब आप पीस टाइम में यह प्रोविजंज लागू करने जा रहे हैं तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इस को ज्यादा मत बढ़ायें। मैं ने इस वास्ते तीन चार तरमीमें इस बिल में दी है जो कि फिलवाक्या इस बिल के उसूलों के एन मुताबिक हैं और अगर ये उन तरमीमों को न मानें तो इन की मर्जी है। सिवीयर ला होना चाहिये इस के बारे में मेरी रायं यह है कि जब कभी कोई मैजिस्ट्रेट सख्त आ जाता है और लोगों को सख्त सजायें देता है तो बार में यह बात कई दफा होती है कि इस मैजिस्ट्रेट को एक आध साल के लिये जेल भेज दिया तो उस को पता चले कि सजा देना कितना आसान है लेकिन उस सजा को काटना कितना मुश्किल है। इस बिल की प्रोविज़ंज को आप औपरेट नहीं करेंगे इन को तो पुलिस वाले औपरेट करेंगे, इन को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नाफिज करेगा और आप पुलिस वालों को जानते ही हैं। अगर इस बिल के मातहत श्री करमरकर को सजा देने का हक होता तो मैं जानता हूं कि वह इंसाफ करते और यह देखते कि किसी तरह झूठा आदमी बच कर न निकल जाये और बेकसूर आदमी को सजा न हो जाये लेकिन इस को पुलिस वाले ही इन्फोर्स करेंगे। पुलिसवालों के कारनामों से आप सब वाकिफ ही हैं और मुझे इस बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है आप ने इस में यह लफ्ज़ रखे हैं।

"जो उक्त समवाय के कार्यकरण के प्रभार में हो।"

यह बहुत ही वेग हैं और इस के बारे में जो मेरी अमेंडमेंट है उस पर गौर किया जाना चाहिये। इस बिल में करप्शन के सोर्स खुले हैं उनको भी खत्म किया जाये।

इन अल्फाज के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तीन चार एमेंडमेंटस मैं ने दी हैं वे कबूल किये जाने चाहियें।

श्री तुषार चटर्जी (श्री रामपुर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस विधेयक का आम जनता स्वागत नहीं करेगी क्योंकि उन को नियंत्रणों के बारे में कठिनाइयां हुई थीं और वह ही कारण है कि कई सदस्यों ने इस का विरोध यहां भी किया।

[**श्रीमती सूषमा सेन** पीठासीन हुईं]

यदि आप खण्ड ३(२) (ख) की ओर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस के अनुसार बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिये अधिकारियों को अत्याधिक शक्ति दी गई है जिस के फलस्वरूप किसी साधारण व्यक्ति को असह कठिनाइयां उठानी पड़ सकेंगी।

खण्ड २ में "अत्यावश्यक पण्य" की जो परिभाषा दी गई है उस से संदेह पैदा होता है कि "अत्यावश्यक पण्य" क्या हैं। यदि लोक हित को ध्यान में रखा जाये तो हमारा विचार है कि कई और वस्तुओं को भी सूची में सम्मिलित किया जाये।

इस का कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक के अधीन केवल कच्चा पटसन क्यों लिया गया है और पटसन से बनी हुई वस्तुयें क्यों छोड़ दी गई हैं। यदि इस का अभिप्राय कृषकों को लाभ पहुंचाने का है तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन का अभिप्राय पूरा नहीं होगा। हमारी अनुमति यह है कि "अत्यावश्यक पण्य" की परिभाषा को स्पष्ट कर देना चाहिये

[श्री तुषार चटर्जी]

और सूची में अन्य और वस्तुयें सम्मिलित करनी चाहियें ।

माननीय वाणिज्य मंत्री ने आरम्भ में ही कहा कि पटसन से बनी हुई वस्तुयें और कुछ अन्य वस्तुयें उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन नियंत्रित हैं। यह ठीक है, परन्तु कपास के वस्त्र और मोटरों के अत्यावश्यक भाग भी उसी अधिनियम के अधीन नियंत्रित हैं, तो आप उन वस्तुओं को दोबारा सूची में क्यों संम्मिलित करते हैं । मेरा ऐसा विचार है कि हम इस सूची के अभिप्राय को नहीं समझते हैं । सरकार किस प्रकार का नियंत्रण करना चाहती है और किन के हित के लिये ? लोक हित के लिये "अत्यावश्यक पण्य" का क्या अर्थ है ?

हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि बाइसिकिल, जिस का प्रयोग आम जनता द्वारा होता है, के भागों का निर्माण, वितरण तथा संभरण और उस के बारे में व्यापार तथा वाणिज्य भी सूची में क्यों सम्मिलित न किये जायें ।

हम अनुभव करते हैं कि विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों द्वारा इतना नियंत्रण नहीं होता जितना इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा हो सकता है । चाय हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि बहुत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । चाय पर विदेशियों का नियंत्रण है । अतएव देश की अर्थ व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सभी वस्तुओं पर नियंत्रण के लिये एक सामान्य विधि होनी चाहिये ।

मैंने औषध जांच समिति के प्रतिवेदन में एक ऐसी औषधि की सूची देखी जिन का उत्पादन और वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिये ताकि लोगों को इस कारण हानि न हो कि उन्हें ये औषधियां न मिलें । अतः उन औषधियों को इस विधेयक के अधीन ले आना चाहिये ।

यह महत्वपूर्ण अधिनियम इतना पूर्ण होना चाहिये कि जिस से लोगों को न केवल उपभोग की दृष्टि से अधिकाधिक वस्तुओं के नियंत्रण का लाभ प्राप्त हो वरन् उन सब वस्तुओं का लाभ प्राप्त हो जो सामान्यतः देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये आवश्यक हों ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री को उत्तर देने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): मुझे ज्ञात नहीं कि मुझे उत्तर में कितना समय लगे । परन्तु इस विधेयक के लिये और दो प्रक्रम बाकी हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : इस विधेयक के सिद्धान्त के ऊपर बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी और न मैं सोचता था कि इस पर मैं बोलूंगा, किन्तु हमारे बहुत से लोक सभा के सदस्यों ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं और इतना उन बातों को आवश्यक बताया है कि मुझे मजबूर हो कर इस के बारे में कहना पड़ा । सब से पहले तो हमारी जो सदस्या त्रावनकोर-कोचीन की हैं उन्होंने इस के सिद्धान्त के बारे में विरोध किया, मैं समझता हूं कि उन्हों ने इस बिल को बिना पढ़े और इस बिल के सिद्धान्त और मकसद को बिना समझे हुए उस का विरोध करने का साहस किया है । यह हाउस इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत है, इस के बारे में हमें कोई बात नहीं कहनी है और उन्हों ने त्रावनकोर-कोचीन के कोयले और उस की कमी के बारे में जो जो जिक्र किया, मैं नहीं समझता कि त्रावनकोर-कोचीन के कोयले के प्रोडक्शन में या वहां की सप्लाई में किस तरीके से बाधा हो सकती है या

किस तरीके से वहां के लोगों को नुक्सान हो सकता है। इस बिल का मकसद तो जैसा कि ठाकुर दास जी ने पहले फरमाया रेगुलेट करना है, जो हमारे यहां का प्रोडक्शन है, जो हमारे यहां की सप्लाई है और जो हमारे यहां का डिस्ट्रीब्यूशन है उस को हमें नियम-पूर्वक करना है। हमें यह देखना है कि हमारे मुल्क के अन्दर जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं या और जो दूसरी वस्तुयें हैं उन को किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं जिससे कि उन का जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है और डिस्ट्रीब्यूशन है, वह कहीं ऐसे लोगों के हाथ में न आ जाये जो कि उन का बेजा फायदा उठा सकें और इस बिल के अन्दर ऐसे क्लाजेज हैं, जिन से हमें पता चलेगा कि उन लोगों को सुविधायें दी गई हैं जो कि इन को एक्सपोर्ट भी कर सकें जिस से इस देश की सम्पत्ति, इस देश की जो आवश्यक सम्पत्ति है, वह कहीं चन्द लोगों के हाथ में न आ जाय। इसलिये सब से पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो बातें इस के सिद्धान्त के बारे में कही गई हैं वे बिल्कुल अनावश्यक, फिजूल और अनुचित थीं।

इस के बाद मैं उन दो तीन बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जिन का कि जिक्र श्री त्रिवेदी ने किया है। मैं समझता हूं कि उन का उत्तर शायद कानून के तौर पर हमारे जो मिनिस्टर हैं वह दे देंगे। मैं कोई कानूनदां तो नहीं हूं, मैं कानूनी नुक्ते पर तो अथारिटी से कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो अपना नोट आफ डिसेंट दिया है और जो उन्हों ने दो बातें कहीं हैं उन के बारे में मुझे कुछ कहना है और मैं समझता हूं कि जो उन का पहला संशोधन है, उस संशोधन में कुछ हद तक मैं उन के साथ सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि यह कुछ बहुत ही अनिश्चित और वेग सी धारणा बताई गई है। हमारे यहां भी कानूनदां मौजूद हैं और बाहर भी हैं और जिस तरीके की मिसालें भार्गव जी ने दी हैं कि बाहर किस तरीके का वह कानून लाते हैं और कचहरियों में जा जा कर इस कानून का क्या क्या मतलब लगाया जाता है और सम्भावना इस बात की है कि जिन के पास पैसा है, जैसे कि किसी कम्पनी को सजा देने का मामला है जिन्होंने कि ऐसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के बारे में गड़बड़ की है और जिनको कि हम सजा देना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम सजा देना चाहते हैं जिन्होंने कि इस कानून को तो कर राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उन को सजा देना चाहते हैं। सम्भव है कि वह किसी प्रकार सजा से बच जायें क्योंकि आप की धारा के अन्दर ऐसी चीज लिखी है जिस की व्याख्या हमारे वकील विभिन्न प्रकार से कचहरियों में कर सकते हैं और जैसा हम देखते हैं कि होती भी है। अब जैसा कि पंडित ठाकुर दास ने कहा कि गवर्नमेंट नामिनेट करे, उस से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं। उन्हों ने कहा है कि गवर्नमेंट उस को नामिनेट करे। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी निश्चित रूप से हम उस के अन्दर बात रख सकते हैं जो कि डाइरेक्टर हो या मैनेजिंग डाइरेक्टर हो, जैसा कि पहले बिल के विधेयक में पहली धारा के अन्दर रखा गया था, ऐसे हम कोई निश्चित रूप से किसी एक या दो व्यक्तियों का नाम रखेंगे जो कि रिस्पांसिबिल होंगे और उन को सजा दी जा सकेगी। इस में किसी विशेष स्पैसिफिक बात के कहने से जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं और जिन कानूनों और कचहरियों के झगड़े को हम हटाना चाहते हैं और जिन को हम सजा देना चाहते हैं, वह हमारा मकसद पूरा हो सकेगा, इसलिये उस हद तक मैं उन का जो नोट आफ डिस्सेंट है, उस से मैं सहमत हूं, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने

[डा० सुरेश चन्द्र]

कही है और जो क्लाज नम्बर ६ की उपधारा नम्बर २ है और जिस में यह लिखा है कि

"किसी समवाय द्वारा कोई अपराध किया जाता है और यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त अपराध किसी संचालक, प्रबन्धक सचिव .... की सहमति से किया गया है अथवा उन की किसी उपेक्षा के परिणाम-स्वरूप हुआ है ....."

इस के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास चाहते हैं कि "ऐनी कल्पेबुल नेगलेक्ट" शब्द रखे जायें। वह वकील हैं और इस नाते वह कानून की बात मुझ से ज्यादा जानते हैं और इस विषय में वह हम लोगों से अच्छी बहस कर सकते हैं। मैं ने उन के भाषण को बहुत अच्छी तरह से सुना लेकिन मैं बड़े अदब के साथ उन से कहना चाहूंगा कि उन की यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो वह कहते हैं कि इस में गरीबों का नुक्सान होगा, इस में गरीब लोग जो हैं वह पिस जायेंगे, गरीब लोग मर जायेंगे और गरीबों की आह को ले कर उन्हों ने उस की बड़ी दुहाई दी, लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं कि शब्द "नैगलैक्ट" हटा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा वह क्यों चाहते हैं। यह चीज यहां पर बड़े समझदार बुजुर्गों ने सोच समझ कर और कानून की पेचीदिगियों को समझ कर रखी है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो डाइरेक्टर है, या जो मैनेजर है या जो सेक्रेटरी है, वह गरीब नहीं है जिन की कि आप दुहाई देने के लिये यहां पर आये हैं। उन को इस से बहुत नुकसान नहीं होगा। जो सजा यहां पर दी जायेगी, वह उस डाइरेक्टर को दी जायेगी, उस मैनेजर को दी जायेगी जो कि हजार रुपये से ऊपर तनख्वाह पाता है और जिन के कि नेगलैक्ट से, लापरवाही से ऐसे नुकसान हो जाया करते हैं जिन से कि तमाम राष्ट्र को नुकसान होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह जो बड़े आदमी हैं वह ६(१) में आते हैं।

वह बड़े आदमी उस में आते हैं। उस के अन्दर लिखा है कि कोई भी अफसर या शख्स जो कि कम्पनी के बिजनेस के लिये उस वक्त जिम्मेदार होगा, डाइरेक्टर, मैनेजर ही खाली इस में नहीं आते बल्कि जो छोटे नौकर होते हैं अफसर होते हैं, उन को भी इस में सजा दी जा सकती है।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरा अदब से कहना यह है कि इस में तो यह लिखा हुआ है कि

"यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त अपराध किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव अथवा समवाय के किसी अन्य अधिकारी की सहमति से किया गया है या उन की किसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ है ...."

यह सच है कि इस में अदर आफिसर का भी नाम आता है और हो सकता है कि वह एक गरीब आदमी हो तो मेरा कहना है कि हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जो कि इसेंशियल सप्लाईज के बारे में है और इस के अन्दर यह इम्प्रूवमेंट किया गया है कि अगर किसी शख्स की लापरवाही के कारण से हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति का नुकसान हो तो उस को पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिये, इसलिये यह जो हमारे सामने बिल रखा गया है, इस का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और समझता हूं कि इस के सम्बन्ध में जो आब्जैक्शन्स रक्खे गये हैं उन में किसी प्रकार का तथ्य नहीं है और मैं आशा करता हूं कि हाउस इस को पास करेगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : क्योंकि अब इस विधेयक की क्षेत्र सीमा और नियंत्रण

की सख्ती में बहुत परिवर्तन कर दिया गया है इसलिये उस सीमा तक यह स्वागत के योग्य है। परन्तु मैं श्री वेंकटरामन के इस तर्क को नहीं समझ सका कि दण्ड के विषय में और विशेषत: खंड ७ के उपबन्ध के अधीन न्यायालय को स्वविवेक न दिया जाये। वे कहना चाहते थे जब निश्चय ही इस अधिनियम अधीन अपराध समाज विरोधी है तो अपराधी को कड़ा दण्ड मिलना चाहिये और इस सम्बन्ध में न्यायालय को स्वविवेक का अधिकार देना उचित नहीं है। खण्ड (३) (ज) के उपबन्ध के अनुसार यदि सरकार या नियंत्रक पदाधिकारी वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्राप्त करना चाहें और वे कहें कि कोई अन्य व्यक्ति उस में बाधा डालता है तो वह व्यक्ति जेल भेजा जा सकता है। इसी प्रकार खण्ड ३ (झ) में भी यह उपबंध है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन संभरण या वितरण या व्यापार का कार्य करने वाले व्यक्तियों को लेखों की सम्बन्धित पंजियां निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करनी चाहियें। ये सब प्रावधिक बातें हैं और साधारण बातें नहीं हैं। इन बातों में भी न्यायालयों को स्वविवेक का अधिकार न देना अनुचित है। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन से सहमत हूं कि खण्ड ७ के उपखण्ड (१) का दण्ड विधान भी न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर होना चाहिये।

४ म० प०

समवाय से सम्बन्धित निर्देशकों और अन्य लोगों को दण्ड देने के बारे में मैं 'निर्देशक' शब्द की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। खण्ड ६ के अधीन इस शब्द की व्याख्या 'सार्थ का साझीदार' दी गई है। फर्म में संयुक्त परिवार भी सम्मिलित हैं और कोई भी सम्बन्धी व्यक्ति साझीदार हो सकता है। अत: शब्द निर्देशक या पदाधिकारी को गलत नहीं समझना चाहिये। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस मत से सहमत हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (२) के शब्द "या व्यक्ति की उपेक्षा के कारण है" शब्द दण्ड विधि के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

अतएव न्यायालयों को अवश्य स्वविवेक का अधिकार देना चाहिये। पहले पुराने शासन में निस्सन्देह पुलिस किसी ऐसे न्यायालय को चुन कर अन्यायपूर्ण दण्ड भी दिलवा देती थी। परन्तु अब न्यायालयों को स्वविवेक का अधिकार होना ही चाहिये।

श्री नंद लाल शर्मा :

यस्यांघ्रि रेणुबीजानि जनैरुप्तानि मूर्धसु। ।
सद्य:सुरदुमायन्ते श्रीधर: सश्रिये अस्तु न : ।

इस सम्बन्ध में बहुत समय भी नहीं लेना है क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता महानुभावों ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। इस विधेयक के उद्देश्य से पूर्णत: सहमत होते हुए भी मुझे इस पर मतभेद अवश्य प्रकट करना है। हालांकि समय कम होने के कारण मैं उस में बहुत विस्तार नहीं कर सकता हूं। कंट्रोल्स से लोगों को बहुत दु:ख हुआ और इस कारण से हमारी बहिन कुमारी मैस्करीन ने इस का विरोध किया। खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में जो कंट्रोल थे उन से देश की जनता को बहुत सताया गया, इस कारण से आने वाले समय में भी, कहीं वैसा कष्ट न हो, हालांकि धारा ३ के अनुसार :

"समान वितरण कराने तथा उचित मल्य पर उपलब्ध कराने"

यह शब्द जो कहे गये हैं पर कंट्रोल आते समय इतना अनर्थ हो जाता है कि सारी वस्तु ब्लैक मार्केट में चली जाती है और उस के बाद जनता को बड़ा कष्ट होता है। मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाने के लिये ही मैं यह शब्द कह रहा हूं। इसी कारण इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी माननीय

[श्री नंद लाल शर्मा :]

सदस्यों ने धारा ७ और धारा ९ के चन्द संशोधनों के सम्बन्ध में मिनट्स आफ डिसेन्ट दिये हैं। माननीय पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो कहा है उस को मैं बड़ा आवश्यक समझता हूं, इस रूप में कि कम्पनी के कर्मचारियों, कम्पनी के कार्यकर्ताओं और कम्पनी के अन्दर भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सब को दण्ड देना क्रिमिनल ला के विरुद्ध है। क्रिमिनल ला में जो व्यक्ति अपराध करने वाले होते हैं वही अपराध के भागी होते हैं या जो उसकी प्रेरणा देने वाले होते हैं वह अपराध के भागी हो सकते हैं, परन्तु जिस व्यक्ति का उस से सम्बन्ध नहीं है, जिन के लिये कहा गया कि जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, जो अपने घर पर बैठे हुए होते हैं, जिन को पता नहीं किसी बात का, उन को दण्ड देना या अपने को निरपराध सिद्ध करने का भार उन के ऊपर लाद देना, बर्डेन आफ प्रूफ उन पर डाल देना, यह निश्चय ही क्रिमिनल जूरिस प्रूडेन्स के विरुद्ध है। समाज स्वयं उसको निरपराध मानता है जब तक कि उस के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध न कर दे, परन्तु यहां पर बिना अपराध सिद्ध किये ही उस को अपराध के लिये उत्तरदायी माना जायेगा जब तक कि वह अपने आप को निरपराध सिद्ध न कर सके।

इसी प्रकार से धारा ९ के भाग २ में भी आखीर में दे दिया गया है :

"किसी संचालक .... की उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ हो..." इत्यादि इत्यादि।

कहा गया है कि निगलैक्ट मात्र पर ही दंड दिया जायेगा। 'निगलैक्ट' मात्र जो है वह कोई अपराध नहीं है। जब अपराध का उद्देश्य नहीं है, कार्य करने में कोई दुर्भावना नहीं है, तब उस के लिये किसी को दंड दिया जाना अनुचित है।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिला कर इस वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा और वह है धारा ८ के सम्बन्ध में। शायद इस ओर श्री भार्गव जी का ध्यान गया नहीं। इतने योग्य व्यक्ति होने पर भी जहां उन्हों ने ऐसे अपराध के मुख्य भाग में पहले था कि :

"जो एक वर्ष की अवधि का हो सकता है और अर्थ दंड भी दिया जायेगा"।

उस के लिये कहा कि "अर्थ दण्ड या दोनों" होना चाहिये, वहां धारा ८ में (१) और (२) दोनों जगहों पर "..झूठा समझने के समुचित कारण हैं अथवा उसे ठीक नहीं समझा जाता है..." इत्यादि कह कर उस में "....तीन वर्ष की अवधि का अथवा अर्थ दंड सहित अथवा दोनों..." रहने दिया है। जहां तक मुझे स्मरण है, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर विश्वास से कह सकता हूं कि धारा १९३ और १८२ में पुलिस के सामने अशुद्ध बयान देने पर भी इतना दंड नहीं है जितना दंड कि यहां पर रखा गया है। और यह प्रधानतयः इस कार्य को भी लागू कर रहे हैं..

श्री कानूनगो : ज़ानबूझ कर रखी गई है।

श्री नंद लाल शर्मा : यह तब होता यदि आप मुख्य भाग में भी सजा तीन साल की रखते। मुख्य भाग में तो सजा एक वर्ष कर दी गई है और यहां पर आकर भी सजा एक वर्ष ही होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस के सिद्धान्त के साथ सहमत होते हुए इन संशोधनों को आप के सामने उपस्थित कर के आज्ञा लेता हूं।

श्री कानूनगो : मुझे हर्ष है कि मुझ से पूर्व बोलने वालों ने मेरा काम हल्का कर दिया है। इस विधान की आवश्यकता के सम्बन्ध में मैं अपने आदरणीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव की तुलना में कुछ अधिक नहीं कह सकता। उन्हों ने बहुत उचित ढंग से और स्पष्ट रूप में सभा को बताया है कि इस देश में बहुत समय से जो ऐसा ही विधान लागू है उस में क्या सुधार किया गया है। मैं अभी बताऊंगा कि भूतकाल के अनुभव की स्मृति अभी तक उन माननीय सदस्यों के मन में है जिन्हों ने इस विधान पर बोला है। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि उस समय की सरकार उन असाधारण परिस्थितियों को जान लेती जो देश में व्याप्त थीं और आवश्यक विधान बना लेती तो जो बातें हुई थीं वे कुछ मात्रा तक कम हो सकती थीं।

कुमारी एनी मैस्करीन : इस की क्या प्रत्याभूति है कि आप का व्यवहार अच्छा होगा ?

श्री कानूनगो : क्योंकि माननीय सदस्या सभा की सदस्या हैं वे इस सभा में पारित विधानों सम्बन्धी अपने अनुभव और अपनी ज्ञान गरिमा द्वारा लाभ पहुंचायेंगी।

मैं कह रहा था कि इस विधान के अनुभव के आधार पर जो पहले लागू था और इस के प्रवर्तन और इस की त्रुटियों के आधार पर मैं यह आशा करता हूं कि यदि दुर्भाग्यवश कभी इस विधान का विस्तृत प्रयोग करना पड़ा तो इस अधिनियम का प्रवर्तन पहले समयों की अपेक्षा अधिक अच्छा, तीव्र और सामुदायिक हितों के अनुकूल होगा। यह विधान प्रायः सरकार की रक्षित शक्ति के रूप में है। सरकार आशा करती है कि उसे इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा, जो कि उसे सौंप दी गई हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने सरस भाषण में जो मुख्य बातें कहीं हैं उन पर अन्य अवसरों पर विशेषतः प्रवर समिति में चर्चा की गई थी। जैसा मुझ से पूर्व वक्ता ने कहा है प्रवर समिति से आये इस विधेयक का यह उपबन्ध इस विषय के सम्बन्ध में विरोधी मतों के सन्तुलन के रूप में है। इस विधेयक के इन विशेष खण्डों के गुणावगुणों के सम्बन्ध में, जिस रूप में वे हैं, मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के शब्दों में केवल यह कहना चाहता हूं कि इस द्वारा पूर्व के विधान में बहुत सुधार किया गया है। यह अभी देखना है कि क्या इस विधेयक के उपबन्ध जिस रूप में वे हैं विधेयक के प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं अथवा ये कार्यपालिका या न्यायपालिका की शक्ति का दुरुपयोग करने से रोक सकेंगे या नहीं।

विधेयक में उपबंधित दण्ड की मात्रा के सम्बन्ध में जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया है यह स्पष्ट है कि पूर्व की अपेक्षा दण्ड कम कर दिया गया है। मैं इस सुझाव का कि इसे और कम किया जाये विरोध करूंगा। आखिर इस विधेयक के उपबन्ध तो तभी लागू होंगे जब इस का प्रयोजन पूरा करने के हेतु आपातकालीन परिस्थितियां होंगी। लोगों को समाजवादी कार्य करने से रोकने के लिये उपबन्धित दण्ड पर्याप्त रूप से भयजनक होना चाहिये।

खण्ड ६ के उपबन्ध के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बहुत सरस ढंग से यह बात कही है, परन्तु उन्होंने जिस बात का इस योग्यता से पक्ष लिया है मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। यह केवल इस कारण से कि जो उपबन्ध अब किया गया है उस में इस बात का काफी उपबन्ध है कि किसी निरपराधी को भयभीत

[श्री कानूनगो]

न किया जाय । आखिर अभियोग कर्ता इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है कि वह जिन लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाता है उन्हें अपराधी सिद्ध करेगा और किसी विशेष व्यक्ति पर किसी विशेष अपराध के लिये अभियोग का चलाया जाना विशेष घटना पर निर्भर करता है । आप इस सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त नहीं बना सकते । यह भी संभावना हो सकती है कि प्रबन्ध निदेशक या उत्तरदायी निदेशक स्वयं उपस्थित न हो । परन्तु उस का कोई पत्र आदि आया हो । यह बहुत संभव है प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक पर अभियोग चलाने की आवश्यकता न हो । यह सब विशेष मामले के विशेष तथ्यों पर निर्भर करता है । मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में निरपराधी को पर्याप्त सुरक्षण दिया गया है ताकि उन्हें भयभीत न किया जा सके, और फिर भी इस आपातकालीन अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिये पर्याप्त गुंजाइश है । विधान जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है ये ऐसे विधान हैं जिन्हें कभी कभी ही लागू किया जाता है । मुझे आशा है कि इन्हें बहुत कम लागू किया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर खंडशः विचार किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

" कि जनसाधारण हित में कुछ पण्यों के उत्पादन, संभरण तथा वितरण और व्यापार तथा वाणिज्य पर नियंत्रण लगाने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(परिभाषायें)

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पटसन की मिलों को बहुत लाभ प्राप्त होता था तब भी ऐसा उपबन्ध नहीं था कि पटसन के उत्पादकों को ठीक मूल्य मिल सकें । अतः हम चाहते हैं कि सरकार का पटसन के माल और पटसन उद्योग पर नियंत्रण हो क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि पटसन के उत्पादकों को ठीक मूल्य नहीं दिये जाते ।

मेरा यह भी सुझाव है कि चाय को भी इस में सम्मिलित किया जाये । हमें यह सन्देह है कि इस उद्योग को इस कारण नियंत्रण में नहीं लाया जाता कि वह विदेशियों के हाथ में है । जहां तक चाय और पटसन का समाज के लिये उपयोग का सम्बन्ध है हम इन दोनों में कोई अन्तर नहीं समझते । अतः चाय को भी परिभाषाओं में सम्मिलित करना चाहिये ।

जहां तहां अपमिश्रण और अत्यावश्यक औषधियों की प्राप्ति में कठिनाई का ध्यान रखते हुए औषधियों को भी विधान अधीन लाना चाहिये ।

मैं अपने तीसरे संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि तेल, पैट्रोल और पैट्रोल उत्पादों को भी इस विधान अधीन लाया जाये । बर्मा शेल और स्टैण्डर्ड वैक्यूम के विदेशी समवायों के साथ किये गये करारों के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्हें यह प्रत्याभूति दी गई है कि २५ वर्ष तक इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा । इस कारण इन वस्तुओं को विधान अधीन लाना और भी आवश्यक है ।

श्री कानूनगो : मेरा कार्य बहुत सरल है । संख्या १ इस विधेयक में उन अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण करने का विचार है जिन के बिना समाज को हानि पहुंचती है । यद्यपि पटसन के रेशे और चाय का बहुत

अधिक प्रयोग किया जाता है परन्तु कल्पना की किसी उड़ान द्वारा यह नहीं समझा जा सकता कि यह समाज के जीवन के लिये अत्यावश्यक हैं। विधेयक का उद्देश्य उद्योग का विनियमन नहीं है, इस का उद्देश्य यह भी नहीं कि देश की अर्थ-व्यवस्था का विनियमन किया जाये। इस विधेयक का उद्देश्य केवल यह है कि आपातकाल में मूल्यों और वितरण का विनियमन किया जाये। इस के अतिरिक्त चाय और पटसन के उत्पादों का विनियमन अन्य विधानों द्वारा किया जाता है।

औषधियों के लिये एक विशेष विधान औषधि अधिनियम है। उस विधान के अनुरूप विधान विभिन्न राज्यों में लागू होते हैं। वस्तुतः यह सुझाव दिये गये थे कि उस विधान की इस रूप में आवश्यकता नहीं है। इस के लिये राज्य सरकारों और स्वास्थ्य मंत्रालयों में विचार विमर्श हो रहा है। परन्तु संसद् ने जिस औषधि अधिनियम को पारित किया है और राज्यों में जो उस के अनुरूप विधान हैं उन से इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये सरकार को पर्याप्त शक्ति मिल जाती है। संसद् को अधिकार है कि वह किसी समय भी यह सुझाव दे दे कि कोई वस्तु आपातकाल म समाज के इतनी अत्यावश्यक हो जायेगी कि उसे भी सम्मिलित कर लिया जाये और सभा को सदा ही यह अधिकार है कि वह अधिनियमों में उल्लिखित वस्तुओं में जिस वस्तु को चाहे जोड़ दे। आज जैसी परिस्थितियां हैं और भविष्य का जैसा अनुमान हो सकता है मैं नहीं समझता कि जिन वस्तुओं के लिये सुझाव दिया गया है उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता हो सकती है।

पैट्रोल और पैट्रोल के उत्पादों अर्थात् मिट्टी के तेल आदि, जिन का प्रयोग बहुत अधिक लोग करते हैं, उन्हें परिभाषाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। माननीय मित्र ने अशुद्ध तेल के सम्बन्ध में जो तर्क दिया है वह हमें जचा नहीं। अशुद्ध तेल पैट्रोल के उत्पादों के निर्माण के लिये कच्ची सामग्री है। इस का नियंत्रण किया जा सकता है और यह नियंत्रण अन्य ढंगों से किया जा रहा है। अतः मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय ने श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन मतदान के लिये रखे और वह अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३--(उत्पादन पर नियंत्रण की शक्ति आदि)

श्री राघवाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २८, में "Central" (केन्द्रीय) शब्द के बाद "or State" (अथवा राज्य) शब्द रखे जायें।

खण्ड ३ के अधीन आदेश राज्य तथा राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी किये जा सकते हैं। मंत्री महोदय ने सब आदेश केवल संसद् के समक्ष रखने का ही नहीं परन्तु मंत्रणा समिति के समक्ष रखने का भी आश्वासन दिया है। चूंकि राज्य सरकार ज्यादा आदेश जारी करेंगी इसलिये वह सब आदेश जो राज्य सरकार अथवा राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने चाहियें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में

(१) पंक्ति १ से पंक्ति ४ तक को लोप किया जाये;

(२) उप-खण्ड (३) लोप किया जाये ।

मेरा संशोधन एक तरह का आनुषंगिक संशोधन है और यह उस संशोधन से संबंधित है जिस का सुझाव मैं ने खंड ७ के बारे में दिया है ।

होता यह है कि ऐसे आदेश प्राय : स्टाक वालों को दिये जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को माल दो ।

दोनों पक्षों के बीच कोई करार होने के स्थान पर, विधि के संविहित उपबन्ध के अन्तर्गत करार किया जाता है और माल छोड़ दिया जाता है और कोई न कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है जिस के कारण तुरन्त ही मूल्य नहीं दिया जाता है । फिर क्या होता है ? समस्त शासन यंत्र अपना कार्य करने लगता है और एक असैनिक (दीवानी) केस फौजदारी केस बन जाता है । यह स्पष्ट ही एक करार सम्बन्धी मामला है और इस मामले को फौजदारी मामला बना देना क्रेता के प्रति अन्याय करना है ।

क्रेता को मूल्य तो देना है ही और यदि भुगतान में कुछ देरी हो जाती है तो धारा ७ लागू हो जाती है । ऐसी दशा में गरीब क्रेता की क्या स्थिति होगी इस का अनुमान लगाया जा सकता है । अत: मेरा निवेदन है कि इस की सावधानी से जांच की जायें और मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री कानूनगो : जहां तक श्री राघवाचारी के संशोधन का सम्बन्ध है संविहित रूप से विधान द्वारा यह आदेश देना, कि राज्य सरकारों के आदेश यहां रखे जायेंगे, संभव नहीं है । माननीय मंत्री ने जितने भी आदेशों को एकत्रित करना संभव होगा एकत्रित कर के सभा के समक्ष रखने का वायदा किया है । इसलिये मैं संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

जहां तक श्री त्रिवेदी की प्रस्थापना का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी अफसरों, कर्मचारियों तथा राज्य सरकारों में सहज बुद्धि का अभाव नहीं होगा । जैसी कि उन की परिकल्पना है उस प्रकार का कोई भी आदेश किसी भी अवस्था में जारी नहीं किया जायेगा । साथ ही कोई भी न्यायालय इस प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही नहीं करेगा । अत: मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मान लीजिये कि एक आदेश दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को इतनी गांठें कपास दे दी जायें और वह व्यक्ति उन गांठों का उसी समय नकद मूल्य चुकाने की स्थिति में न हो और विक्रेता यह कहे कि वह माल देने को तैयार नहीं है तो क्या उसे आदेश के उल्लंघन करने का अपराधी समझा जायेगा ?

श्री कानूनगो : सिद्धान्त रूप से यह बात ठीक है ।

इस के पश्चात् श्री यू० एम० त्रिवेदी का संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि : "खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४–६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ७—(शास्तियां)

श्री राघवाचारी : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कानूनगो : हम श्री कासलीवाल के संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं, श्री राघवाचारी का संशोधन उसी में आ जाता है ।

इस के पश्चात् श्री यू० एम० त्रिवेदी तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी इस अमेंडमेंट के बारे में थोड़ी सी बहस हुई थी । उस बहस के दौरान में हमारे मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया और उन साहबान ने जिन्हों ने कि इस को अपोज किया कि दरअस्ल यह बैलेंस ऐसा है कि दो डिफरेंट व्यूज हैं और उन दोनों व्यूज को ले कर हम ने एक एवरेज व्यू बनाया है । मुझे इस एवरेज के बारे में एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं हाउस को सुनाना चाहता हूं । एक लम्बा सा आदमी था जिस की ठिगनी सी बीवी थी और दो, तीन बच्चे थे । उन को इत्तिफाक से एक बड़ा दरिया क्रौस करने का मौका पड़ा तो उस आदमी ने सोचा कि चार, पांच आदमी को यहां से गुजरना है, यह देखना चाहिये कि इस दरिया की गहराई कितनी है और ऐसा मन में सोच कर उस ने कपड़े उतार कर मुख्तलिफ जगह दरिया में गोते लगा कर पता लगाया कि मुख्तलिफ जगहों पर कितनी कितनी गहराई है । एक जगह गहराई पांच फुट निकली, दूसरी जगह साढ़े पांच निकली, और कहीं कहीं पर तीन फुट और चार फुट गहराई निकली तो उस ने मन में विचार किया कि एवरेज करीब साढ़े चार फुट हुई, गहराई दरिया की साढ़े चार फुट हुई । खुद उस ने देखा कि मैं डूबा नहीं हूं और उस ने अब अपने बाल बच्चों और अपनी औरत को नदी में उतारना शुरू किया और नतीजा यह निकला कि आहिस्ता आहिस्ता जो उस की ठिगनी बीवी और बच्चे थे वह सब बेचारे उसी दरिया के अन्दर डूब गये उस ने देखा कि आखिर माजरा क्या है और यह सब क्यों डूब गये । उस ने दोबारा गोता लगाया यह देखने के लिये कि क्या एवरेज है और कहने लगा कि हिसाब ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों ? यह कुनबा सारे का सारा क्यों डूब गया ? उस को हिसाब समझ में नहीं आया । अब इस की मैरिट्स पर अगर कोई बहस करे और हमें समझा दे कि यह गलत है तो मैं उसे मानने को तैयार हूं लेकिन यह एवरेज निकाला जाय कि मिस्टर वेंकटरामन यह चाहते हैं और पंडित ठाकुर दास यह चाहते हैं और उस के लिये आनरेबुल मिनिस्टर यह कह दें कि हम ने इन दोनों की बातें मान लीं, तो न तो मिस्टर वेंकटरामन राजी होंगे और न मुझे तसकीन होगी । मेरा तो कहना है कि मैरिट्स के ऊपर आप कीजिये । मुझे अफसोस है कि एक लफ्ज भी न मिनिस्टर साहब ने कहा था और न ही मिस्टर वेंकटरामन ने इर्शाद फरमाया है, मैरिट्स के बारे में कोई चीज उन्होंने नहीं बतलायी । मिस्टर वेंकटरामन ने जो उसूल हमारे सामने बयान किये , उन के बरखिलाफ मैं नहीं हूं, मैं तो उन के साथ सहमत हूं कि जितने कंट्रोल्स आर्डर्स् है उन के अन्दर बगैर सीवियरिटी के काम नहीं चलेगा और कंट्रोल आर्डर्स में यह फर्क होता है कि वह इतना सख्त होता है और उस के डर से काम चलता है । इस वास्ते इस के अन्दर सजायें ज्यादा दी हैं । इस दफा का जो दूसरा हिस्सा है, उस के अन्दर हम ने तीन साल की सजा का प्राविजन रक्खा है और जिस में सजा ही दी जानी चाहिये जब तक कि कोई वजह न दे कि क्यों कैद नहीं की गई? मैं ने सैक्शन के उस हिस्से को छुआ है जिस के अन्दर प्रावीजन यह है कि सजा कम कर दी गई है उस के वास्ते मैं ने लिखा है कि कैद भी दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है और दोनों भी हो सकते हैं । यही इस कानून का मंशा है । मैं ने तो सिर्फ एक चीज में तरमीम की है और वह यह कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मेजिस्ट्रेट को यह डाइरेक्शन न दी जाये कि वह जरूर उस के अन्दर कैद कर दे। अगर स्टेटिस्टिक्स के मामले में कोई गड़बड़ हो या कोई ऐसा मामला हो जिस में जुर्म इतना संगीन नहीं कि जिस से देश के अन्दर कोई डिस्टरबेंस पैदा होता हो या खराबी पैदा होती हो, टैक्नीकल चीज को लेकर जुर्म हुआ हो तो मैं ने लिखा है कि ऐसे जुर्मों में एक साल की सजा हो। इस दफा के कम्पेयरेबुल प्रौवीजन में आई० पी० सी० में एक महीने या तीन महीने की सजा १७६, १७८, दफा में है। मैं नहीं समझता कि कोर्ट को क्यों मजबूर किया जाय कि वह वजूहात लिखे कि उस ने किसी शख्स को कैद की सजा क्यों नहीं दी। कोर्ट को तो आप ने पावर दे रखी है और उस को एक लाइन लिखने की जरूरत है कि यह आदमी गरीब मालूम होता है, कोर्ट को सारा मामला जायेगा, कोर्ट को यह कहने का अख्तियार होगा, कोर्ट को सारे अख्तियारात होंगे और उस को यह चेतावनी दे कर छोड़ दे इस बिना पर कि यह उस का पहला जुर्म है। कोर्ट को वजूहात लिखने के लिये मजबूर न करने में आप के किसी उसूल की खिलाफ वरजी नहीं होगी। मैं अदब से अर्ज करूंगा कि आप मैरिट्स पर इस अमेंडमेंट को देखें और मेरा अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जिस से मंजूर किये जाने से आप के जो प्रिंसिपल्स आफ दी एक्ट हैं, उन में फर्क पड़ता हो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैरिट की बेसिस पर मेरे अमेंडमेंट को मंजूर किया जाय।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी बातें कहीं हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन पर ठीक ढंग से विचार किया जाना आवश्यक है। खंड ७ पर विचार करते समय हमें यह विचार करना होगा कि कहीं घूस खोरी को इस से बढ़ावा न मिले। आज तक तो घूसखोरी पुलिस तक ही सीमित थी और अब आगे इस का विस्तार भी हो जायेगा। खंड ७ के अन्तर्गत दंडाधिकारी को असीम अधिकार दिये गये हैं। जुर्माना तथा दंड की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस से अनुचित कार्यवाही होने की आशंका भी है। अतः पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। मैं ने एक अन्य परन्तुक बढ़ाने का सुझाव दिया है और वह केवल एक आनुषंगिक परन्तुक होगा। जैसा कि माननीय मंत्री ने भी स्वयं स्वीकार किया था, इस स्थिति में केवल संविदा जन्य सम्बन्धों से ही एक व्यक्ति ....

श्री कानूनगो : यहां संविदा जन्य सम्बन्ध नहीं है, यह तो अनैच्छिक सम्बन्ध हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : वह ऐसा कह रहे हैं। एक दावा क्रेता तथा विक्रेता के मध्य दायर होगा और सरकार का उस में कोई हाथ नहीं होगा। मैं तो यही समझता हूं इस लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां पर भुगतान न करने अथवा विलम्ब से भुगतान करने का प्रश्न है, वहां तीन वर्ष के कठोर कारावास का उपबन्ध हटा देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो खंड ३(१)(च) को उपखंड (३) के साथ पढ़ने से लोगों पर अत्याचार किया जाना संभव हो सकेगा। मैं इस उपबन्ध के आदिष्ट किए जाने का कारण ही नहीं समझता हूं, किन्तु फिर भी हमें अब इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिये और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन भी स्वीकार किया जाये।

श्री राघवाचारी : मेरा संशोधन यह है कि "contravenes" ['उल्लंघन करता है'] के बाद 'or abets the contra-

vention of' ["अथवा इस के उल्लंघन करने के लिये उकसाता है"] शब्द रखे जायें ।

श्री कानूनगो : श्री कासलीवाल का ऐसा ही संशोधन है जिसे मैं स्वीकार कर रहा हूं । उसी में श्री राघवाचारी के संशोधन का आशय भी आ जाता है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : 'प्रयत्न' तथा 'उकसाना' दोनों को ?

श्री कानूनगो : जी हां ।

श्री राघवाचारी : मैं इस संशोधन को पसन्द नहीं करता । मेरे संशोधन में केवल 'उकसाना' है और दूसरे में 'प्रयत्न' भी है । श्रीमान्, इस बात में क्या आनंद है कि एक प्रस्तुत हुए संशोधन को स्वीकार न किया जाय और एक ऐसे संशोधन का समर्थन किया जाय जो कि अभी प्रस्तुत होगा ।

श्री वेंकटरामन : आनंद केवल इस बात में है कि श्री कासलीवाल के संशोधन में दोनों ही बातें आती हैं जहां श्री राघवाचारी के संशोधन में केवल एक ही बात । सरकार दोनों बातों को चाहती है ।

श्री राघवाचारी : आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मेरा संशोधन भी स्वीकार कर लें और उन का एक भाग स्वीकार कर लें । वास्तव में आप अपने ही दल के सदस्यों की बात मानते हैं, दूसरों की नहीं ।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि श्री राघवाचरी ने अपनी बात कही है ।

श्री राघवाचारी : मैं ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की । मैं 'प्रयत्न' शब्द के रखे जाने का विरोधी हूं । आप जानते हैं कि वास्तविक अपराध से 'प्रयत्न' का स्थान कहीं नीचा है और 'प्रयत्न' के लिये उतनी मात्रा में दंड भी नहीं दिया जाता । भारतीय दंड संहिता तथा सामान्य विधि में इसी प्रकार के उपबन्ध हैं । प्रधान अपराध तथा प्रयत्न में बड़ा अन्तर है । यदि इन दोनों में समानता लाई गई तो यह न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । मेरा संशोधन स्पष्ट और समझ में आने वाला है । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि यद्यपि सरकार अपने दल के सदस्यों का पक्ष करती है, फिर भी मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री वेंकटरामन : इस गंभीर आरोप को दृष्टि में रखते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ।

सभापति महोदय : समय नहीं है ।

श्री वेंकटरामन : अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम के अन्तर्गत दोनों बातों के लिये एक समान दंड का उपबन्ध था । भारतीय दंड संहिता में विभिन्न उपबन्ध हो सकता है । अब विधेयक के प्रवर समिति के पास आने पर गलती से यह बात रह गई प्रतीत होती है । श्री कासलीवाल के संशोधन से वही उपबन्ध पुनर्संस्थापित हो सकेगा । इसलिये सरकार द्वारा श्री कासलीवाल के संशोधन की स्वीकृति अनुचित नहीं है । श्री राघवाचारी का इस प्रकार दोषारोप करना अत्यन्त अनुचित है । श्री कासलीवाल का संशोधन व्यापक है और श्री राघवाचारी का संशोधन आंशिक है ।

श्री कानूनगो : मुझे कुछ और नहीं कहना है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सभापति जी ने व्याख्या दी है, जो समस्ततः सरकार ने नहीं दी अतः क्या माननीय सदस्य सरकार की ओर से इस प्रकार बोल सकते हैं ?

श्री कानूनगो : इस में क्या गलती है । जो उन्हों ने कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९, १०, ११, तथा श्री यू० एम० त्रिवेदी का एक और संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये जो अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री बंसल : ५ बज रहे हैं । अब हमें सभा स्थगित करनी चाहिये ।

सभापति महोदय : इस विधेयक को पारित करना है अतः थोड़ी देर और बैठना है ।

नया खंड ७ क (प्रयत्न तथा उकसाना)

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ में पंक्ति ३२ के बाद निम्न अंश जोड़ा जाये :—

"7A. *Attempts and abetment* :–Any person who attempts to contravene or abets a contravention of any order made under section 3 shall be deemed to have contravened that order."

["७क. प्रयत्न तथा उकसाना :–कोई व्यक्ति, जो धारा ३ के अधीन किसी आज्ञा के उल्लंघन के लिये उकसाता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है, उस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला समझा जायेगा ।"]

श्री कानूनगो : मुझे यह स्वीकार है ।

श्री राघवाचारी : औचित्य प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं कि अभी अभी 'उकसाना' अस्वीकृत हुआ है और इस संशोधन में ये दोनों बातें हैं । सभापति महोदय, अभी अभी जब सभा ने किसी अपराध के उकसाने को इस में सम्मिलित करने से अस्वीकार किया हो तो इस संशोधन का वह भाग भी नियम-विरुद्ध है ।

श्री वेंकटरामन : सभानेत्री जी, जो यह संशोधन श्री कासलीवाल ने रखा है, यह अधिक व्यापक है । इस में दोनों बातें आती हैं । यदि आंशिक संशोधन को छोड़ कर हम एक व्यापक संशोधन करते हैं तो इस का अर्थ यह नहीं कि हम ने सारे संशोधन के विरुद्ध ही निर्णय किया है । इसलिये यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

श्री राघवाचारी : इस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय का एक विनिश्चय है और उसके बाद ऐसा ही सिद्धान्त बन चुका है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो कुछ सभा में हुआ है हम उसको नहीं भूल सकते । श्री राघवाचारी का संशोधन इस कारण से अस्वीकृत किया गया था कि इस प्रकार का एक और व्यापक संशोधन हमारे सामने आने वाला है । उनका संशोधन वैसे ही अस्वीकृत नहीं हुआ अतः हम उस पृष्ठभूमि को भुला नहीं सकते । इस कारण से मैं समझता हूं कि हमें इस नये संशोधन पर विचार करने का हक है ।

सभापति महोदय : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों से सहमत हूं अतः मैं इस औचित्य प्रश्न को नियम विरुद्ध घोषित करती हूं ।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ५ में पंक्ति ३२ के बाद निम्न अंश जोड़ा जाये :—

"7A. *Attempts and abetment* :–Any person

who attempts to contravene or abets a contravention of any order made under section 3 shall be deemed to have contravened that order."

["७ क. **प्रयत्न तथा उकसाना** : कोई व्यक्ति जो धारा ३ के अधीन किसी आज्ञा के उल्लंघन के लिये उकसाता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है, उसे आज्ञा का उल्लंघन करने वाला समझा जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नया खंड ७ क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८—(झूठे वक्तव्य)

सभापति महोदय : खंड ८ में कोई संशोधन नहीं है ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है चर्चा कैसे की जा सकती है ।

श्री राघवाचारी : ५ बजे के बाद हम नहीं बैठ सकते ।

श्री कानूनगो : घंटी तो बजाई जा सकती है ।

सभापति महोदय : आज ही विधेयक को समाप्त करना है अत: माननीय मंत्री गणपूर्ति का प्रबन्ध करें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: आप लोक-सभा सचिवालय को यह आदेश दें कि कल सब से पहले इस विधेयक को ही रखा जाये, चाहे कल के दिन के लिये अन्य कोई कार्य निश्चित हो

सभापति महोदय : सभा का क्या अभिप्राय है ?

माननीय सदस्य : हां ठीक है ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २२ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—2 LSD—31-5-55—000